लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 47—मंगलवार, 26 अप्रैल, 1966/6 वैशाख, 1888 (शक)

No. 47—Tuesday, April 26, 1966/Vaisakha 6, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1334	भारतीय अधिनियमों का अनुवाद	Translation of Indian Acts. .	7307–09
1335	पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर समुद्री मछली पकड़ना	Exploitation of Sea Fish From Eastern and Western Coasts .	7309–11
1336	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . . .	7311–12
1338	भारत से चीनी का निर्यात	Export of Sugar from India .	7312–15
1337	अमरीकी गेहूं को भारत लाने के लिये टैंकर	Tankers for Carrying American Wheat to India . .	7315–17
1339	अनुपूरक खाद्य पदार्थों का विकास	Development of Subsidiary Foods	7317–19
1340	बन्दरगाहों की खाद्यान्न को उतारने-भरने की क्षमता	Capacity of Ports to Handle Food-grains	7319–21
1341	उर्वरकों की मांग	Demand of Fertilisers	7322

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1342	ब्लिट्ज में साक्ष्य के प्रकाशन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement in 'Blitz' Publication of Evidence Case	7322–23
1343	मंगलौर पतन	Mangalore Port .	7323
1344	एयर इंडिया की विमान सेवाएं	Air India Services . .	7323
1345	मुंदड़ा फर्मों के विरुद्ध जांच	Inquiries against Mundhra Firms	7324
1346	चावल तथा धान की खरीद-कीमत	Purchase Price of Rice and Paddy	7324
1347	ग्रीष्मकालीन धान की फसल	Harvesting of Summer Paddy .	7325
1348	चीनी के स्टाक का जमा हो जाना	Accumulation of Sugar Stocks .	7325
1349	रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Company	7326

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1350	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन	Reorganisation of I.C.A.R.	7326
1351	परादीप पत्तन पर अनाजों का उतारा जाना	Foodgrains unloading at Pradeep Port	7326–27
1352	बीज निगम	Seeds Corporations	7327
1353	चावल का समाहार	Procurement of Rice	7327–28
1354	मुख्य मंत्री सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	7328
1355	हिन्दी विधि शब्दावली	Hindi Legal Terminology	7328–29
1356	कृषि फार्म उपज पर उपकर	Cess on Agricultural Farm Produce	7329
1357	मिट्टी की जांच (सायल टैस्टिंग) करने के लिये प्रयोगशालाएं	Laboratories for Soil Testing	7329–30
1358	शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान	Role of Panchayati Raj in Education	7330
1359	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी	I.A.C. Employees	7330
1360	ऋण को विपणन से सम्बद्ध करना	Credit to be Linked with Marketing	7331
1361	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	Visakhapatnam Port Trust	7331
1362	खाद्य तथा कृषि संगठन का सत्र	Food and Agriculture Organisation Session	7331
1363	विभिन्न राज्यों में अनाज के दाम	Prices of Foodgrains in different States	7332

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4339	एर्णाकुलम ला कालेज के छात्र	Ernakulam Law College Students	7332
4340	केरल में पर्यटन तथा दस्तकारी निगम	Tourist and Handicarafts Corporation in Kerala	7332–33
4341	एर्णाकुलम के निकट मछुओं की बस्ती	Fishermen Colony near Ernakulam	7333
4342	टेपिओका की खेती	Tapioca Cultivation	7333
4343	रेलवे की कृषि योग्य भूमि	Cultivable Railway Lands	7334
4344	केरल में कायमकुलम कायल भू-कृष्यकरण योजना	Kayamkulam Kayal Reclamation Scheme in Kerala	7334
4345	भू-बन्धक बैंकों, चीनी मिलों तथा विपणन समितियों के लिये धन	Funds to Mortgage Banks, Sugar Factories and Marketing Societies	7334
4346	जेतसर यंत्रीकृत फार्म	Jetsar Mechanised Farm	7335

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4347	अखिल भारतीय केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक सहकारी संघ समिति, हैदराबाद	All India Central Land Mortgage Co-operative Union Ltd., Hyderabad	7335
4348	महाराष्ट्र राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंक	Maharashtra State Cooperative Land Mortgage Bank . .	7335–36
4349	दूध का उत्पादन	Milk Production . .	7336
4350	महाराष्ट्र में बीज फार्म	Seeds Farms in Maharashtra .	7336
4351	घी क्रीमरी केन्द्र	Ghee Creamery Centres . .	7337
4352	दुधारू भैंस का हल चलाने के लिये उपयोग	Use of Milch Buffalo for Ploughing Purposes	7337
4353	विमान सेवाओं का अस्तव्यस्त हो जाना	Dislocation of Air Services .	7337–38
4354	शाक वाटिका प्रतियोगिता, दिल्ली	Kitchen Garden Competition, Delhi	7338
4355	महाराष्ट्र को सहायता	Assistanc to Maharashtra .	7338
4356	उरुग्वे से गेहूं का आयात	Import of Wheat Corn from Uruguay	7339
4357	उड़ीसा को चीनी का संभरण	Supply of Sugar to Orissa. .	7339
4358	बनों में संचार व्यवस्था	Forest Communications . .	7339–40
4359	केरल में चारे के भण्डार (फौडार बैंक)	Fodder Banks in Kerala .	7340
4360	भारत में तैचुन नेटिव बीजों का बोया जाना	Planation of Taichum Native Seeds in India . . .	7340–41
4361	सहकारी खेती से सम्बन्धित प्रायोगिक परियोजनाएं	Pilot Projects on Co-operative Farming	7341–42
4362	हल्दिया में सूखी गोदी	Dry Dock at Haldia . .	7342
4363	राज्यों में कृषि तथा पशु पालन का विकास	Development of Agriculture and Animal Husbandry in States .	7342
4364	चावल तथा धान के दामों में वृद्धि	Increase in Price of Rice and Paddy	7342
4365	स्टेट टनेज क्लब	State Tonnage Clubs . . .	7342–43
4366	समवाय विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक	Company Regional Directors of Law Board . . .	7343
4367	चावल का आयात	Import of Rice . .	7343–44
4368	रूस में निर्मित खेती के औजारों का संभरण	Supply of Soviet Farm Machinery	7344
4369	पंजाब में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Punjab	7344

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4370	पंजाब में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Punjab	7344–45
4371	केरल भूमि उपयोग करण आदेश	Kerala Land Utilisation Order	7345
4372	माथुपेट्टी में भारत-स्विटजरलैण्ड दुग्धशाला (डेरी) परियोजना	Indo-Swiss Dairy Project at Mathuppelty	7346
4373	तुना मछली	Tuna Fish	7346
4374	केरल अन्तर्देशीय जल सेवा	Kerala Inland Water Service	7347
4375	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	7347–48
4376	दिल्ली में पशु पालन	Animal Husbandry in Delhi	7348
4377	क्रॉलर ट्रैक्टरों का आयात	Import of Crawler Tractors	7348
4378	उड़ीसा में चीनी कारखाने	Sugar Factories in Orissa	7348–49
4379	उड़ीसा में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Orissa	7349
4380	नेफा में बन	Forests in N.E.F.A.	7349–50
4381	धान की खेती	Cultivaton of Paddy	7350
4382	मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक	Cooperative Banks in M.P..	7350
4383	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in U.P.	7350–51
4384	बागवानी के स्नातक	Horticultural Graduates	7351
4385	परीक्षणात्मक नलकूप संघ	Exploratory Tubewell Organisation	7351
4386	केरल में सड़क निर्माण कार्य	Road Works in Kerala	7351–52
4387	अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	Report submitted by Delegation of American Food Processing Industry	7352
4388	दिल्ली में अतिथि नियंत्रण आदेश	Guest Control Order in Delhi	7352
4389	उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilisers	7352–53
4390	महिलाओं को समान अधिकार देने के लिये कानून	Law for Giving Equal Rights to Women	7353
4391	बम्बई का सहायक पत्तन	Subsidiary Port to Bombay	7353–54
4392	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के लिए उर्वरक	Fertilisers for Tobacco Cultivation in Andhra Pradesh.	7354
4393	देहरादून में दुग्धशाला	Milk Dairy at Dehra Dun	7354–55
4394	नेपाल को गेहूं दिया जाना	Supply of Wheat to Nepal	7355
4395	संसद् तथा विधान मण्डलों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Legislative and Parliamentary Constituencies	7355
4396	आस्ट्रेलिया से गायों का उपहार	Gift of Cows from Australia	7355–56
4397	राष्ट्रीय सड़क बोर्ड	National Road Board	7356
4398	प्रशिक्षण विमान	Trainer Aircraft	7356

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4399	गुजरात में तटवर्ती राजपथ	Coastal Higheways in Gujarat.	7356–57
4400	मैसूर में उद्यान विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था	Zonal Horticultural Institute in Mysore	7357
4401	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान	New Aircrafts for I.A.C. and Air India	7357–58
4402	उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से नियत की गई राशि	Allocation from the Central Road Fund for Orissa . . .	7358
4403	उड़ीसा में बड़े पुल	Major Bridges in Orissa . .	7358–59
4404	बम्बई लन्दन विमान सेवा	Bombay-London Air Service .	7359
4405	दिल्ली में राशन व्यवस्था के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to Rationing in Delhi	7359
4406	मिलों में धान से चावल तैयार करना	Milling of Paddy . . .	7359
4407	राशन व्यवस्था के अन्तर्गत गेहूँ का दिया जाना	Supply of Wheat under Rationing	7360
4408	कोचीन पत्तन में हड़ताल	Strike at Cochin Port . .	7360–61
4409	दिल्ली में अनाज का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foodgrains in Delhi	7361
4410	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	International Civil Aviation Organisation	7361
4411	उर्वरक संवर्द्धन निगम	Fertilizer Promotion Corporation.	7361–62
4412	अन्तर्राज्य भूमि संरक्षण बोर्ड	Inter-State Soil Conservation Board	7362
4413	केरल में अंडों का पाउडर बनाने का कारखाना	Egg Powder Manufacturing Plant in Kerala . . .	7363
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)—		Re : Calling Attention Notices to Matter of Urgent Public Importance (Questions)—	
	काशी एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बारे में वक्तव्य	Statement re : Fire in Bogie of Kashi Express . . .	7363–65
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	7365–66
सदस्य की रिहाई—		Release of Members—	
	(डा० सारादीश राय)	(Dr. Saradish Roy)	7367
प्राक्कलन समिति—		Estimates Committee—	
	एक सौ दो वां प्रतिवेदन	Hundred and Second Report .	7367
लोक-लेखा समिति—		Public Accounts Committee—	
	पचासवां प्रतिवेदन	Fiftieth Report	7367

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	Twenty-fourth-Report . .	7367
आसाम में रेल-दुर्घटनाओं के बारे में	Re : Railway Accidents in Assam	7367
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
वैदेशिक कार्य मंत्रालय—	Ministry of External Affairs—	
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon . .	7368–70
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	7370–74
लोहा तथा इस्पात मंत्रालय—	Ministry of Iron and Steel—	
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh. . .	7375–76
श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा	Shrimati Lakashmikathamma	7377
श्री दाजी	Shri Daji . . .	7377–79
श्री टे० सुब्रह्मण्यम	Shri T. Subramanyam .	7379–80
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan .	7380
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi . . .	7380–82
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	7382
श्री रामचन्द्र मलिक	Shri Rama Chandra Mallick	7382
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee .	7382–83
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	7383–84
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh .	7384
श्री लिंग रेड्डी	Shri Linga Reddy . .	7384
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . . .	7385
श्री राने	Shri Rane	7385
श्री रामभद्रन	Shri Ramabadran . .	7385–86
डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	7386
श्री म० ला० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	7386
श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh . .	7386–88
भारतीय इतिहास की आलोचना के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re : Criticism of Indian History—	
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	7389
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	7390–92

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 अप्रैल, 1966/6 वैशाख 1888 (शक)

Tuesday, April 26, 1966/Vaisakha 6 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Translation of Indian Acts

+

*1334. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether there is any centralised arrangement for supervising the authorised translated versions of the Indian Acts in various languages in order to ensure that uniformity is maintained and the same legal terminology is used in them;

(b) if so, the nature of this arrangement and the steps taken or being taken by Government to get translated versions perpared in other languages along with Hindi; and

(c) the details of the scheme for preparing translated versions of the Indian Rules in Indian languages and whether this work will be done entirely by the Central Government or the co-operation of States will also be obtained, and if so, the manner in which it will be done?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख): विभिन्न भाषायों में केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत रूपान्तरों के पर्यवेक्षण के बारे में केन्द्रित व्यवस्था राजभाषा (विधायी) आयोग में विद्यमान है । राज्य-अधिनियमों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराना अलग अलग राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिन्हें यह सलाह की गई कि वे जहां तक हो सके आयोग द्वारा तैयार की गई मानक विधि शब्दावली का प्रयोग करें । राजभाषा (विधायी) आयोग से निवेदन किया गया है कि जहा तक संभव हो वह अधिक से अधिक अधिनियमों के अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करे और इस प्रयोजन के लिए आसामी और गुजराती को छोड़ कर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रारूपकार नियुक्त किए गए है । इन दो भाषाओं के लिए भी नियुक्तियां करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय नियमों के भारतीय भाषाओं में प्राधिकृत रूपान्तर तैयार करने के लिए कोई स्कीम नहीं बनायी है।

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that Indian Acts used to be translated and published during foreign rule? If so, how has the hon. Minister said that it is the responsibility of the respective States and not of the Central Government?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए हम राज्यों से सहयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष इस सम्बन्ध में राज्यों के मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। केन्द्र द्वारा सहायता दी जाने पर राज्यों के मंत्री अनुवाद कार्य कराने के लिये सहमत थे। 10,000 पृष्ठों के अनुवाद पर लगभग 11 लाख रुपये की लागत आती है।

Shri M. L. Dwivedi : What percentage of assistance is given by the Central Government to the States for this purpose and what is the percentage expected to be borne by the states and is the Government satisfied with this arrangement ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अभी तक कोई धन नहीं दिया गया है। राज्य सरकारें अनुवाद कार्य के लिय केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मांग रही हैं। बंगाली संविदा अधिनियम तथा विशिष्ट सहायता अधिनियम का बंगाली में अनुवाद किया गया है। मलयालम भाषा में संविदा अधिनियम, विशिष्ट सहायता अधिनियम तथा हिन्दू अप्राप्त वयस्कता तथा संरक्षता अधिनियम का अनुवाद किया गया है; मराठी में सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम का; उड़िया में सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम और विशिष्ठ सहायता अधिनियम का; तामिल में सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम का; और तेलगू में सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय माल की बिक्री अधिनियम तथा विशिष्ठ सहायता अधिनियम का; अनुवाद किया गया है। जहां तक शब्दावली का सम्बन्ध है, इस में बहुत समय लगेगा और हम इस बारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहते है।

श्री प्र० चं० बरुआ : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि आसामी और गुजराती के अलावा अधिनियमों का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आसामी भाषा में अधिनियमों का अनुवाद करवाने में क्या कठिनाई है ? क्या राज भाषा आयोग इसके लिये कोई पृथक संस्था स्थापित करेगा? इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं बता चुका हूं कि इन दो भाषाओं के लिये भी व्यवस्था की जा चुकी है यद्यपि इस में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था।

Shri Bhagwat Jha Azad : Some States have got one or two Acts translated. Is this progress satisfactory and has the Official Language Commission also put emphasis on it according to their advice?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इन अधिनियमों का अधिकृत हिन्दी रूपान्तर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है; भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सम्पति का हस्तांतरण अधिनियम, संविधा अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, विधि मान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) अधिनियम, गोआ, दमन तथा दीव न्यायिक आयुक्त (उच्च न्यायालय द्वारा घोषित रूप में) अधिनियम, केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इसके अतिरिक्त 34 अन्य अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है किन्तु उन्हे अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। यह कार्य बहुत कठिन है। अलग शब्दों के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिये वादी के अर्थ प्लेन्टिफ होता है किन्तु केरल में प्रतिवादी का अर्थ प्लेन्टिफ होता है। इसके लिये हमे ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो सबको मान्य हों।

श्री स० चं० सामन्त : जिन हिन्दी भाषी राज्यों में इस समय अधिनियमों में हिन्दी का प्रयोग होता है, क्या वे अब बनाई गई शब्दावली का प्रयोग करते है या वे अब भी उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करते है जिनका पहले हिन्दी अधिनियमों में किया जाता था ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह शब्दावली हिन्दी भाषी राज्यों तक में नहीं अपनाई गई है। हम उनसे इस का यथा संभव प्रयोग करने के लिये कह रहे है। एक शब्द संग्रह सभा-पटल पर रखा जा चका है।

Shri Siddheshwar Prasad : Keeping in view the fact that the work of the Commission has not been satisfactory so far, it has been recently reconstituted by the Ministry? If so, what was its aims and objects and what is the composition of the reconstituted Commission?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : पहले आयोग का पुनर्गठन करने का कारण यह था कि यह समय के साथ साथ पुराना हो गया था। हमने इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 9 कर दी है। जहां तक किसी भाषा विशेष का सम्बन्ध है हम ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं जिससे प्रत्येक राज्य अपना विधि सचिव अथवा कानूनी जानकार भेज कर हमारे साथ सहयोग करेगा। पहले आयोग में अंशकालीन सदस्य थे। अब हमने यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब इसके नये अध्यक्ष होंगे। सदस्यों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाने वाला है।

डा० रानेन सेन : जिन अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है, उनका खर्चा क्या केन्द्रीय सरकार ने दिया है अथवा राज्यों ने ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : खर्चा केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है। माननीय सदस्य संवैधानिक उपबन्ध के बारे में जानते हैं।

Shri Yashpal Singh : The late Prime Minister Shri Shastri had said that the Bills in English and Hindi, both, will be introduced in the House but it had not been implemented so far. What is the difficulty?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं कठिनाइयों के बारे में बता चुका हूं। हिन्दी भाषी राज्यों में से भी बहुत से राज्यों ने बहुत से शब्दों को स्वीकार नहीं किया है। जहाँ तक निदेशकों का सम्बन्ध है उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है।

श्रीमती सावित्री निगम : राज भाषा आयोग को उन शब्दों का प्रयोग करके, जिनका प्रयोग हिन्दी भाषी राज्य करते हैं, केन्द्रीय अधिनियमों का शीघ्र अनुवाद कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं कठिनाई के बारे में बता चुका हूं। विभिन्न राज्यों में एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ होता है। मैं पहले वादी तथा प्रतिवादी शब्दों का उदाहरण दे चुका हूं। अतः यही अच्छा होगा कि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सबके लिये एक समान शब्दावली तैयार न हो जाये।

पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर समुद्री मछली पकड़ना

* 1335. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि इस समय भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर कितने प्रतिशत मछली पकड़ी जाती है,

(ख) क्या देश में मछली की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिये इस प्रतिशतता को बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पिछले दस वर्षों में भारत के पूर्वी पश्चिमी घाटों पर समुद्री मछली पकड़ने की औसत प्रतिशत अनुमानित सम्भाव्यता का क्रमश: 12.2 और 6.3 प्रतिशत है।

(ख) जी हां।

(ग) चौथी योजना में, 8000 मछली पकड़ने की यन्त्रीकृत नौकाएं और 200 मात्स्य-हरण बड़े जहाज चलाने और मत्स्य-हरण नौकाओं के लैण्डिग और घाट लगाने तथा पकड़ी गयी मछलियों को सम्भालने के लिये पर्याप्त सुविधाएं सुलभ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : May I now the percentage of target fixed for sea fishing during the Fourth Plan to be achieved in the first year of the Plan i.e. in 1966-67 and the amount to be spent on it?

गोविन्द मेनन : चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने के लिए 8000 अतिरिक्त यंत्रीकृत नावों और 200 बड़े जहाजों की व्यवस्था की जायेगी। पहले वर्ष कितनों की व्यवस्था हो सकेगी, यह उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether more sea fish is being caught from Eastern Coast or Western Coast, from Bay of Bengal or from Arabian Sea?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिमी तट पर अधिक संभाव्यता है, किन्तु जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, पूर्वी तट पर अधिक मछलियां पकड़ी गई हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार बंगाल की खाडी में मछली पकड़ने के अपने प्रयास में असफल रही है, और यदि वह असफल रही है तो, क्या केन्द्र द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई नया प्रयास किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया जायेगा और पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श के लिये इस सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है।

Shri Bhagwat Jha Azad : What will be the increase in the percentage after introducing proposed eight thousand mechanised boats and two hundred large trawlers by the Government?

श्री गोविन्द मेनन : इन प्रयत्नों के फलस्वरूप चौथी योजना के अन्त में 4.8 लाख टन अधिक मछली के उत्पादन होने की आशा है।

श्री प्र० के० देव : अन्दमान के जल-प्रांगण में काफी मात्रा में तुना मछली पाई जाती है जिससे विदेशी नावें वहां मछली पकड़ने के लिए आती हैं। कुछ समय पूर्व एक चीनी नाव का हमारी पुलिस ने पिछा किया था। अन्दमान के जल प्रांगण में विदेशी नावों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : नौसेना इस पर निगरानी रखेगी। हमारे जल प्रांगण में कोई विदेशी नाव अवैध प्रवेश नहीं कर सकेगी। तुना मछली पकड़ने के लिये हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये हम जिन 200 बड़े जहाजों की व्यवस्था कर रहे हैं वे तुना मछली पकड़ने के लिये भी उपयोगी होंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : किस देश में तटों पर सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है और क्या सरकार अपने तटों पर मछली पकड़ने के उद्योग का विस्तार करने के लिये उन देशों से सहायता मांगेगी ?

श्री गोविन्द मेनन: कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने के लिये अतिरिक्त 8,000 यंत्रीकृत नावों और 200 ट्रावलर्स की व्यवस्था की जायेगी। 100 लाख टन की संभाव्यता में से 4.8 लाख टन मछली पकड़ी जा सकेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हम वही तरीके अपना रहे हैं जो अन्य देशों द्वारा अपनाये जाते हैं और जो सफल साबित हुए हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस मछली पकड़ने के क्षेत्र में उन्नत देश नार्वे, जापान और अन्य देशों से सहायता ले रहे हैं।

श्री रंगा : इसके साथ साथ क्या पश्चिमी तट और पूर्वी तट के परम्परागत मछुओं को इन यंत्रीकृत नावों तथा स्टीमरों को चलाने तथा मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने की कोई सहायक योजना है ताकि इन लोगों को आवश्यक प्राथमिकता तथा अतिरिक्त कार्य दिया जा सके ?

श्री गोविन्द मेनन : मछुओं को प्रशिक्षण देने की योजना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में बढ़ रहे खारेपन के कारण वर्ष में पर्याप्त मात्रा में कम से कम दो महीने पाई जाने वाली हिल्सा मछली कुछ समय पूर्व मर गई हैं; यदि हां, तो सरकार ने नदी के खारेपन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि बंगाल में हिल्सा मछली काफी मात्रा में मिल सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : देश के विभिन्न भागों में अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की व्यवस्था करके हम पश्चिम बंगाल की आवश्यकता को पूरा करने का ध्यान रखते हैं। अतः पश्चिम बंगाल में मछली की जो कमी रह जाती है उसे अन्य राज्यों से मछली मंगा कर पूरी की जाती है। जहां तक हुगली नदी की समस्या का सम्बन्ध है उसमें किसी मौसम में अधिक मछली मिलती है और किसी मौसम में कम।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री बागड़ी ।

श्री रंगा : महोदय, प्रश्न संख्या 1338 भी इसी के साथ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के लिये यह सुविधाजनक हो, तो वह इसका भी उत्तर दे सकते हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : यह कुछ भिन्न प्रश्न है, किन्तु मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

चीनी का निर्यात

+

*1336. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बड़े :
श्री दलजीत सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये पिछले वर्ष की अपेक्षा 1966–67 में अधिक चीनी निर्यात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी के निर्यात के लिये कुछ देशों के साथ करार किये ह; और

(ग) यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख): जी हां। भारतीय शर्करा मिल एसोसिएशन, कलकत्ता को 1966 में निम्न देशों को 3.97 लाख मीटरी टन शर्करा के निर्यात के लिए ठेके करने का अधिकार दिया गया है —

देश	मात्रा (लाख मीटरी टन में)
संयुक्त राज्य अमरीका .	0.60
ब्रिटेन और कनाडा .	1.49
मलेशिया .	0.78
अन्य देशों को	0.10
जोड़ .	3.97

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका को शर्करा का निर्यात एक विशिष्ट अवधि में न्यूयार्क काफी तथा शुगर एक्सचेन्ज इंक. के कंट्रेक्ट 7 स्पाट कोटेशन की औसत के आधार पर किया जाएगा। ब्रिटेन को 0.25 लाख मीटरी टन शर्करा का निर्यात राष्ट्रमण्डीय शर्करा करार के अधीन बातचीत से तय मूल्य 7.5 पौण्ड प्रति बड़ा टन है, पर किया जाएगा। शेष निर्यात विशिष्ट अवधियों में लंदन डेली प्राइस का औसत के आधार पर निर्धारित भाव पर किया जाएगा। लदान की अवधि जनवरी से सितम्बर, 1966 है। विदेशी मुद्रा की कमाई भाव निर्धारण अवधियों में शर्करा के अन्तर्राष्ट्रीय भाव स्तर पर निर्भर करेगी।

Export of Sugar from I a

*13 **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that export of sugar from India is being made from the coastal areas only; and

(b) if so, the difficulties experienced by Government in exporting sugar from mills in northern India?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Bagri : May I know whether the sugar to be exported to the various countries will be exported at the uniform rate or at different rates? If at different rates what will be the highest price per kilogram of sugar to be exported and how it compared with the internal rate of sugar?

श्री शिन्दे : सब देशों में चीनी के एक समान मूल्य नहीं है। उदाहरणार्थ, अमरीकी चीनी अधिनियम के अन्तर्गत हमें विशेष कोटा मिला हुआ है और हमें कुछ अधिक मूल्य मिलता है। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल चीनी समझौते के अन्तर्गत हम राष्ट्रमंडलीय देशों में कुछ अधिक मूल्य पर चीनी बेचते हैं। अन्य देशों में हमें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी व्यापार के अनुसार समय समय पर चीनी के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और ये मूल्य लन्दन के बाजार में प्रचलित दैनिक मूल्य पर निर्भर करते है, अतः इस समय इसके बारे में नहीं बताया जा सकता।

Shri Bagri : What are the reasons for exporting more sugar to some Commonwealth countries only at lower prices and less sugar to other Countries which purchase sugar at higher rate? What are the reasons for having such a big difference between the exporting prices and the internal prices of sugar?

श्री शिन्दे : यह प्रश्न का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है इस लिये मैं उसका उत्तर दूंगा।

Mr. Speaker : It has been answered several times in this House.

श्री शिन्दे : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में चीनी निर्यात करने वाले सभी देश घाटे से चीनी का निर्यात करते हैं क्योंकि मांग कम है और सप्लाई अधिक है और स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रीय चीनी मण्डी में मांग तथा सप्लाई के सामान्य नियम लागू होते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि जब चीनी जांच आयोग से इसकी जांच करने के लिए कहा गया था तो श्री सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ द्वारा इस प्रश्न की बारीकी से जांच की गई थी। अन्य फसलों को उगाने की बजाय चीनी का निर्यात करना राष्ट्र के हित में है। चीनी आयोग कहता है . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप प्रतिवेदन को सदस्यों को परिचालित क्यों नहीं करते ?

श्री शिन्दे : इसको पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया था। सदस्यों द्वारा आम तौर पर जो तर्क दिया जाता है उसका खंडन करने के लिये मैं प्रतिवेदन से कुछ पंक्तियां उद्धरित करता हूं। वे इस प्रकार हैं :—

> "यदि देश के सामने यह प्रश्न हो कि एक ही एकड़ भूमि में गन्ना पैदा किया जाये या चावल पैदा किया जाये, तो गन्ना पैदा करके उसके द्वारा बनी चीनी को निर्यात करना और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का चावल के आयात के लिये उपयोग करना अधिक लाभप्रद होगा। इस निर्यात से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी वह उतने ही एकड़ भूमि में देश में पैदा किये जा सकने वाले चावल की मात्रा के आयात मूल्य से अधिक होगी।"

श्री यलमन्दा रेड्डी : कितना अन्तर है ?

Shri Bagri : How do our export prices of Sugar compare with those at which we sell it to our Countrymen?

Mr. Speaker : It has been replied several times that we are exporting it at lower rates.

Shri Vishram Prasad : Just now the hon. Minister stated that our export potential of sugar is 3·97 lakh tons. May I know what amount of foreign exchange we earn through it and what steps are being taken to promote the export ?

श्री शिन्दे : यह जानकारी पहले दी जा चुकी है। मैं कह सकता हूं कि 13 से 14 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा इस वर्ष अर्जित की जायेगी यद्यपि कीमतें बहुत ही नीची हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : What are the names of those Countries from which we are getting the highest price for our sugar and have Goverment drawn any scheme for increasing the export to other countries also to earn foreign exchange? What are their names?

श्री शिन्दे : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अमरीका और ब्रिटेन में कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा ऊंची हैं। जहां तक अन्य देशों में निर्यात प्रोत्साहन कार्य का संबंध है, हम जापान, मलेशिया और कनाडा को चीनी निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि संभव हुआ तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये हम अन्य देशों की मांग पूरी करने के लिये भी चीनी निर्यात करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि चीनी के निर्यात के लिये अधिक मांग हो।

Shri Yashpal Singh : What are the reasons for not exporting the sugar produced in Northern India and exporting only that produced in Southern India? Why people from your area are allowed to earn foreign exchange and not we?

श्री शिन्दे : वास्तव में कुछ माननीय सदस्यों के दिमागों में यह गलत धारणा है कि चीनी केवल दक्षिण भारत से ही निर्यात की जा रही है, उत्तर भारत से नहीं। इस वर्ष जो चीनी निर्यात की जा रही है उसमें हम लगभग 44 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ही निर्यात कर रहे हैं और शेष अन्य राज्यों से।

Shri Vishwanath Pandey : The hon. Minister stated that greater quantity of sugar would be exported in 1966-67 to earn more foreign exchange. As a result of this the sugar price in the Country will naturally rise. What is the reaction of the Government in regard to this?

श्री शिन्दे : इस वर्ष निर्यात के परिणामस्वरूप घरेलू उपयोग के लिये चीनी की मात्रा में कमी होने की संभावना नहीं है और चूंकि चीनी के मूल्य पर नियन्त्रण है इसलिये इसकी कीमत बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या चीनी के समाहार मूल्य तथा निर्यात मूल्य में कोई अन्तर है?

श्री शिन्दे : यह लगभग 565 रु० प्रति टन है।

Shri Onkar Lal Berwa : How much loss we have suffered by exporting sugar during 1965?

श्री शिन्दे : केन्द्रीय सरकार ने 17.50 लाख रु० की सहायता दी थी।

Shri Onkar Lal Berwa : How much loss was suffered?

श्री शिन्दे : विक्रय मूल्य तथा वास्तविक समाहार मूल्य में जो अन्तर है वह राज्य सहायता की राशि है।

Shri Onkar Lal Berwa : It is being concealed. In 1964 a loss of Rs. 30 crores was suffered.

Mr. Speaker : Order, Order. There is no need to conceal. I think he has not understood.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : चीनी को देश में बेच कर रुपया कमाने का प्रश्न नहीं है। परन्तु, प्रश्न है विदेशी मुद्रा अर्जित करने का।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न है अन्तर के बारे में।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसी का उत्तर दिया गया है। 1965 में हमने 11.26 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की। इसके लिये हमें 17.50 करोड़ रु० की राज सहायता देनी पड़ी थी। 17.50 करोड़ रु० आन्तरिक तथा वैदेशिक मूल्य के जो अन्तर है वह है।

Shri Bibhuti Mishra : Just now the hon. Minister stated that sugar is being exported from all the States. Is it a fact that Government is exporting sugar from South and for consumption of South the sugar is moved from North with the

result that the price of the Sugar exported from North gets raised; if so, whether Government propose to reduce the freight charges with regard to the Sugar exported from Northern India?

श्री शिन्दे : निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा इतनी कम है कि हमारे आन्तरिक उपभोग पर इसका असर नहीं पड़ता। और चीनी की बड़े पैमाने पर ढुलाई करने की बात को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : विभिन्न खंडों के लिये हमारे भिन्न भिन्न मूल्य हैं। इसलिये, निर्यात की जाने वाली चीनी उस मण्डी से ली जाती है जहां सब से कम मूल्य होता है। इसलिये हम चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से ले रहे हैं ताकि राज-सहायता भी कम से कम दी जाये। यदि हम चीनी पंजाब से लें जहां पर कि चीनी का मूल्य सब से अधिक है और पंजाब की चीनी को बाहर भेजें तो इस पर हमें बहुत अधिक राजसहायता देनी पड़ेगी। यही कारण है कि हम मूल्यों को भी ध्यान में रखते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that sugar is moved to the Southern States from Northern States because the former run short of it for their consumption due to the export of their own sugar; if so, whether in such a situation concessions that are being given to the Southern States will be given to the Northern States also?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यदि हम उत्तर प्रदेश या बिहार की चीनी को लेते हैं तो हमें उसको पत्तनों तक ले जाने के लिये रेल भाड़े के रूप में भी भुगतान करना पड़ता है, जब कि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में हम इस खर्च को बचा सकते हैं क्योंकि वहां तटवर्ती चीनी मिलें हैं। इसलिये हमें इस दृष्टि से सारे नफे-नुकसान को सोचना है। अतः यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में खिचाव का प्रश्न नहीं होना चाहिये। निर्यात के लिये हमें सारे भारत के हित को ख्याल में रखना है।

अमरीकी गेहूं को भारत लाने के लिये टैंकर

†

*1337. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मत इलियास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 में उनकी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें यह सूचित किया गया था कि अमरीकी गेहूं को भारत ले जाने के लिये भारत को अमरीका से भिन्न स्त्रोतों से बड़े जहाज़ों (टैंकरों) की व्यवस्था करनी होगी,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये थे;

(ग) इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस कार्य के लिए कितने भारतीय जहाज़ उपलब्ध होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमरिका से इस वर्ष खाद्यान्नों के प्रत्याशित भारी आयात के संदर्भ में, खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अपनी दिसम्बर, 1965 में अमरीका की यात्रा के दौरान अमेरिका

से खाद्यान्न लाने के लिये बड़े आकार के टैंकरों/ढेरवाहकों के उपयोग के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। तथापि, ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि गैर-अमरीकी स्त्रोतों से बड़े आकार के टकरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(ग) और (घ): तब से इस कार्य के लिये बड़े आकार के तीन विदेशी ध्वज टैंकर और बड़े आकार का एक ढेर वाहक किराये पर लिया गया है।

श्री स० चं० सामन्त : गत कुछ वर्षों में कितने प्रतिशत तक भारतीय टैंकरों का प्रयोग किया गया था ?

श्री गोविन्द मेनन : गत कुछ वर्षों के संबंध में मुझे यह जानकारी इकट्ठी करनी होगी। परन्तु इस वर्ष हमने केवल चार टैंकरों को किराया पर लिया है जिनमें से एक भारतीय है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि भारतीय जहाज़ मालिक अमरीका से गेहूं लाने के लिये अपने जहाजों का प्रयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनको कम भाड़ा दिया जाता है, अन्य स्थानों पर प्रयोग करके वे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : भारतीय जहाजों को इतना कम भाड़ा नहीं दिया जाता है जितना कि माननीय सदस्य बता रहे हैं। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय जहाज़ मालिक खाद्यान्न की ढुलाई के लिये तैयार नहीं हैं।

Shri M. L. Dwivedi : How many tankers, separately of America, India and other countries will be used for shipment of wheat to India during 1966-67 and what shall be the percentage of Indian tankers ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 को किराये पर लिया गया है जिनमें से 2 अमरीकी हैं, 1 गैर-अमरीकी और 1 भारतीय।

श्री म० ला० द्विवेदी : गैर-अमरीकी टैंकर किस देश का है ?

श्री गोविन्द मेनन : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Bhagwat Jha Azad : How much foodgrains shall we be able to carry from there by the tankers which are being arranged in the meantime from other sources ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : सामान्यत: हम से यह आशा की जाती है कि हम अमरीका से 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में लाये; अन्य 50 प्रतिशत गैर-अमरीकी जहाजों में लाया जा सकता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि अमरीकी जहाज मालिक भारत को खाद्यान्न लाने के लिये इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उनको वापसी पर कोई माल नहीं मिलता है जिससे उन्हें हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको कोई आश्वासन दिया है कि उनको वापसी पर सामान मिलेगा। यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह एक वाणिज्यिक सौदा है। हम इसके लिये तैयार हैं; यदि वह आगे आयें और इसको स्वीकार करें, इसका अर्थ है उनको वापसी पर जो भाड़ा उपलब्ध होगा उसे भी उन्हें हिसाब में लेना होगा।

Shri Yashpal Singh : What amount of freight shall we have to pay in respect of the foreign tankers that are being chartered ?

श्री गोविन्द मेनन : जो दो अमरीकी टैंकर हमने किराये पर लिये हैं उनका भाड़ा क्रमश: 25–30 डालर प्रति लांग टन रहा है। भविष्य के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि कितने जहाज किराये पर लिये जायेंगे और कितना भुगतान किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : किराये पर लिय गय जहाजों द्वारा भारत को अमरीकी गहूं लाने पर 1965 से अब तक कितनी विदेशी मद्रा खर्च की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसकी लागत लगभग 5–6 करोड़ रु० प्रति 10 लाख टन है । गत वर्ष हमने लगभग 70 लाख टन का आयात किया ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने, जिसको भारत सरकार द्वारा ऋण दिया गया है, भारत को आयातित गहूं लाने से इन्कार कर दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि अमरीकी जहाजों का भाड़ा अन्य देश के जहाजों के भाड़े की अपेक्षा अधिक है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अमरीकी भाड़ की दरे गर-अमरीकी दरों की अपेक्षा कुछ अधिक है, परन्तु अतिरिक्त शुल्क अमरीकी सरकार द्वारा दिया जाता है ।

अनुपूरक खाद्य पदार्थों का विकास

*1339. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य संकट को दूर करने के लिय वर्तमान परिस्थिति में देश में अनुपूरक खाद्य पदार्थों जैसे कुक्कुटपालन का विकास करने के लिए किस सीमा तक योजनाएं बनाई गई है ;

(ख) ये योजनाएं कहां तक सफल रही हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कितना खर्च आया है और उनके क्या परिणाम निकले है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग): देशभर में सहायक खाद्यों को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है । ये कार्य या तो राज्य सरकारो/संघ क्षत्रों के साधारण कार्यकलापों के रूप में या पंचवर्षीय योजनाओं के भाग के रूप में हो रहे है । दूध, कुक्कुट, अण्ड, मांस, मछली, साग-सब्जियो तथा फलो आदि सहायक खाद्यों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जून, 1964 में एक विशष विकास कार्यक्रम शरू किया था । 1964–65 तथा 1965–66 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई योजनाओं पर राज्य सरकारों न 8.07 करोड़ रुपए खर्च किए है । सब्जियो तथा कुक्कुटो आदि की कुछ योजनाओं से लाभ भी होने लगा है जबकि संधन पशु विकास आदि की योजनाओं के परिणाम कुछ समय पश्चात् ही प्राप्त होंगे । चौथी योजना की अवधि में ये समस्त कार्य जारी रहेंगे और इन्हें और गतिमान किया जायगा ।

श्री लिंग रेड्डी : आपने अनुपूरक खाद्यपदार्थों के लिये एक विशेष विकास कार्यक्रम का जिक्र किया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

श्री शिन्दे : मेरे पास इस समय राज्यवार आंकड़े नहीं है, परन्तु मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में सारी विस्तृत जानकारी दी गई है ।

श्री लिंग रेड्डी : इस विशष कार्यक्रम द्वारा कितना खाद्यान्न तथा अनपूरक खाद्यपदार्थ पदा किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वर्षा न होने के कारण पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिये इस आपात योजना के दौरान हम लगभग 35 लाख

एकड़ भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना चाहते थे । वास्तव में लगभग 39 या 40 लाख एकड़ भूमि को खेती के अन्तर्गत ला रहे हैं। इससे लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होगा। जहां तक आलू और सब्जियों का संबंध है विभिन्न राज्यों में लगभग 120,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में आलू की खेती होने लगी है और लगभग 170,000 एकड़ भूमि में सब्जियों की काश्त होने लगी है ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या सरकार इससे अवगत है कि 1965–66 में सरकार की इच्छानुसार सब्जियों का उत्पादन हुआ और इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकारने नष्ट होने वाली सब्जियों के परिरक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सब्जियों को उपयोगी बनाने और उनके परिरक्षण के लिये हमने कुछ प्रबन्ध किया है परन्तु मुख्य रुप से वे वर्तमान उपयोग के लिये ही हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is Government fully aware that the non-vegetarians are not taking less quantity of ration? In view of this why poultry farming is being linked with food stuffs?

श्री शिन्दे : भारत के लोग अनाज अधिक मात्रा में खाते हैं, और हम वास्तव में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में लेते हैं ।

अंडे में काफी प्रोटीन मिलता है, इसलिये अंडा हमारे भोजन का भी एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये । यह वांछनीय है, और इसी दृष्टि से हम ये विभिन्न कार्यवाहियां आरम्भ कर रहे हैं, जहां तक मुर्गीपालन विकास का सम्बन्ध है, हमने व्यावहारिक रुपसे निर्धारित लक्ष से कहीं अधिक काम किया है, केवल इतना ही नहीं, देश भर में, यहां तक कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी मुर्गीपालन के सम्बन्ध है काफी सन्तोषजनक विकास हो रहा है ।

Shri Sreenarayan Das : It appears from the Report that an amount to the tune of Rs. 8·7 lakhs has been spent on various schemes by 1965-66 and the above amount was spent by various States. I want to know whether the Central Government have any agency to ensure that the amounts advanced to the State Governments for various schemes is actually spent on those specified works and if so, the details of the Reports and the extent of expenditure incurred thereon?

श्री शिन्दे : विभिन्न निर्दिष्ट योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को विभिन्न धनराशियां दी जाती हैं और यदि ये योजनाएं क्रियान्वित भी नहीं हो पाती, तो भी उनकी देखरेख करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार भी उनकी सामायिक जांच करती रहती है और उनके बारे में सामयिक अनुमान लगाने का प्रयत्न करती है ।

Shri Rameshwara Nand : In view of the fact that eggs also cost more and some people are not accustomed to take eggs, and fruits are not less important item of the diet. May I know whether Government propose to spend some amount, even the half of that now being spent on poultry development, on the production of fruits which will help to solve this problem to a great extent?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बात से कि अंडे की कीमत बढ रही है यह मालूम होता है कि उसकी मांग ज्यादा है । यहां तक कि जो लोग अंडे खाने के आदि नहीं हैं वे भी अब चोरी छिपे अंडे खा रहे हैं । (**अन्तर्बाधाएं**) जहां तक फलों को सम्बन्ध है, हम फलों के उत्पादन को भी महत्व दे रहे हैं ।

Shri R. S. Pandey : What provision has been made in the Fourth Five Year Plan for progressive implementation of various schemes relating to subsidiary foods regarding which the hon. Minister has just now made a mention?

श्री शिंदे : जैसा मैंने पहले बताया है, चौथी पंच वर्षीय योजना तैयार कर ली गई है, और मैं समझता हूं अधिकतर राज्य विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। तीसरी पंच वर्षीय योजना, आदि को मिला कर पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह बात देखी जा सकती है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : दूध से तैयार की गई वस्तुओं तथा अन्य उत्पादों जैसे सहायक भोजनों के अतिरिक्त अनाजों के स्थानापन्न के रूप में अनाजरहित भोजनों के उत्पादन के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अधिक आलू पैदा करने के लिये प्रयत्नशील हैं, क्योंकि अनाज के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सकता है और इस काम में हमने काफी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश के बाजारों में आलुओं की भरमार है और हम उसे उत्तर प्रदेश से बाहर विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरह हमने सब्जियां उगाने के सम्बध में काफी अच्छा काम किया है और इस वर्ष विशेषत: इस संकट के दौरान सब्जियां काफी मात्रा में उगाई गई हैं। इसलिये हम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि अनाजों के स्थानापन्न पैदा किये जायें।

बन्दरगाहों की खाद्यान्न को उतारने-भरने की क्षमता

+

*1340. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री काजरोलकर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रामपुरे :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री रा० बरूआ :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विशेषज्ञों का नौ सदस्यीय दल कलकत्ता तथा अन्य बन्दरगाहों में यह देखने के लिये गया था कि अमरीका से आने वाले खाद्यान्न के जहाजों को सम्भालने की उन बन्दरगाहों की क्षमता कितनी है,

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या सिफारिशें की हैं, और

(ग) उस दल की सिफारिशों के अनुसार बड़ी मात्रा में सामनको उतारने-धरने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल०टी० 6138/66।]**

(ग) गैर मान्सून के महीनों में प्रतिमास 12 लाख मीटरी टन तक आयातित खाद्यान्न सम्भालने, यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें वृद्धि करने की सम्भावना भी हैं, के प्रबन्ध कर दिये गये हैं। इन प्रबन्धों में बन्दरगाहों पर पारवाहन शेडों को सुधारना, अतिरिक्त अनाज हैण्डलिंग के लिये मशीनें तथा उपकरण खरीदना और लगाना, बढ़ी हुई संख्या में वैगनों की पूर्ति तथा मजदूरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि सड़क परिवहन व्यवस्था तथा अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। इस कार्य को कर रही सम्बन्धित सरकार की विभिन्न एजसियों और विभिन्न बन्दरगाह प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क तथा तालमेल रखा जाता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार कोई यांत्रिक उपकरण लगाया गया है और यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आया है ?

श्री गोविन्द मेनन : जी हां, यांत्रिक उपकरणों के बारे में सुझाव दिया गया है। कुल खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गेहूं तथा अन्य अनाजों का आयात निरन्तर बढ़ता ही जायेगा, क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत कोई ऐसी अन्य व्यवस्था की गई है कि इस माल को लादने-उतारने के लिये भी इन मशीनों का आयात अमरीका से ही किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विचारणीय प्रश्न यह है। यह वर्ष एक असामान्य वर्ष है। मैं नहीं समझता कि आगामी वर्षों में भी हम उतना ही आयात करेंगे, इसलिये बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण करने से पहले इस बात पर भी विचार किया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस अमरीकी दल को स्वत: भारत सरकार ने आमंत्रित किया था अथवा अमरीकी सरकार द्वारा उसके लिये सिफारिश की गई थी और इस दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर सरकार को कोई लाभ हुआ है यदि हां, तो किस तरह?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख टन आयात करने के प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ, तो इस बात पर कुछ सन्देह व्यक्त किये गये कि हमारे पत्तनों की क्षमता शायद उतनी नहीं है जितनी कि इन चीजों के लादने-उतारने के लिये आवश्यक है। इसलिये अमरीका चाहता था कि उसे इस बात का पक्का विश्वास दिलाया जाये कि हम आयातित सामान को बन्दरगाहों पर अच्छी तरह उतार सकेंगे, जब विशेषज्ञ दल यहां आया और उसने क्षमता का निर्धारण किया तो उन्हें यकीन हो गया कि हम अन्य लादे उतारे-जाने वाले माल के अतिरिक्त उस 12 टन अनाज को भी लाद-उतार सकेंगे जो हमें बरसात के अलावा और दिनों में मिलेगा और 900,000 टन जो बरसात के दिनों में मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर, अपने उपकरणों में थोड़ीसी वृद्धि करने पर हम इस क्षमता को 12 लाख टन से 15 लाख टन तक बढ़ा सकते हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विभिन्न पत्तनों से माल को देश के अन्दर भेजने के लिये क्या सरकार ने 35 टन की क्षमता वाले ट्रकों के लिये "आर्डर" दिया है और यदि हां, तो हमारे पास कितने ट्रक आ गये हैं? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ट्रकों के लिये हमने कोई "आर्डर" नहीं दिया है। माल को देश के भीतर लाने-लेजाने के लिये रेलवे में काफी क्षमता है किन्तु कुछ लोगों ने तथा अन्य धर्मार्थ संगठनों ने भेंट स्वरूप हमें कुछ ट्रक दिये हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिये काम में लाया गया है।

श्री रा० बरुआ : ये व्यवस्थाएं अल्पकालीन हैं अथवा दीर्घकालीन; और यदि अल्प कालीन उपाय हैं तो क्या ये उपाय देश के हित में होंगे?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने पहले ही बताया है कि इसके लिये अल्प कालीन उपाय ही करने आवश्यक हैं क्योंकि मैं ऐसी आशा नहीं करता कि हम आगामी वर्षों में भी इसी स्तर पर आयात करते रहेंगे।

Shri Ram Harakh Yadav : May I know whether the assessment made by the team of U. S. experts is much larger than what we have estimated and that is why they are now prepared to give larger quantities of wheat?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं, हमने भी यही अनुमान लगाया था कि हमारे बन्दरगाहों की क्षमता 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख टन तक है और इस बात की पुष्टि उस दल ने भी कर दी जो यहां आया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे अल्प कालीन उपाय सुझाये हैं जिनसे इसे 12 लाख टन से बढ़ा कर 15 लाख टन प्रतिमाह किया जा सकता है।

श्री रंगा : उस विशेष आवश्यकता का जो उत्पन्न हो गई है, लाभ उठाते हुये क्या पश्चिमी घाटपर तूतीकोरीन, नेगापतम ककिन्दा, विजग, मसुलीपटम् तथा कई अन्य स्थानों जसे मझले आकार के पत्तनों का विकास करने के लिये और आने वाले वर्षों में आयात तथा निर्यात के लिये हमारी पत्तन क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पत्तनों से सम्बन्धित मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सम्बन्धित मंत्रालय को इस राष्ट्रीय समस्या का भलीभांति पता है और योजना में इसके लिये व्यवस्था की गई है ।

Shri Bibhuti Mishra : Recently a news item appeared in the 'Blitz' that slackness was being shown in the unloading of imported wheat at the Kandla Port and also the wheat stocked there was being eaten by dogs and other animals and thus being wasted and thus the use of this wheat might cause diseases. May I know whether it is a fact and if so, whether Government propose to put this imported wheat in a safe place and ensure the quickest possible movement thereof to its destinations.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ऐसा ही करते हैं। मुझे इस रिपोर्ट का पता नहीं है। मैं निश्चय ही इस मामले की जांच करुंगा और मालूम करुंगा।

श्री प्रिय गुप्त : इस बात की जांच करने के लिये कि खाद्य तथा जल्दी खराब होने वाले पदार्थ उचित रुप से ले जाये जाते हैं अथवा नहीं, क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से उस समय परामर्श किया जाता है जब माल गाड़ियों तथा जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं को ले जाने वाली यात्री गाडियों को रेलवे मंत्रालय द्वारा कैन्सिल किया जाता है । बिहार में कटिहार से आसाम को नाशवान वस्तुएं ले जाने वाली सभी यात्री गाडियां मार्गाभाव के नाम पर बंद कर दी गई है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक आसाम का सम्बन्ध है । वहां माल लाना-लेजाना बहुत सीमित कर दिया गया है । इस समस्या पर विचार करना रेलवे मंत्रालय का काम है । जहां तक अन्य पत्तनों से देश के भीतरी भागों तक माल की ढुलाई का सम्बन्ध हैं, हम परिवहन मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय से निकट संपर्क स्थापित किये हुये हैं और इस बारे में कोई भी समस्या नहीं हैं ।

Shri M. L. Varma : May I know whether it is a fact that the wheat imported from U.S.A. is distributed in Naga Land and Mizo Hills, as reported, through Christian missionaries?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे इस बारे में पता नहीं है कि वह किसके मार्फत वितरित किया जाता है ।

श्री प्र० के० देव : पारादीप पत्तन का ड्राफ्ट 40 फीट का है जो देश में सबसे बड़ा है और जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है । क्या परादीप पत्तन को अनाजों के आयात के लिये काम में लाने का प्रयास किया गया है और यदि हां, तो क्या कार्य हुआ है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पारादीप पत्तन का भी कुछ हद तक इस समय इस कार्य के लिए प्रयोग किया जायेगा कि बड़े टैंकरों से छोटे पोतों में माल लाद कर वहां से विभिन्न अन्य पत्तनों को भेजा जाये । यदि हम अपने आयातों को 12 लाख से बढाकर 15 लाख टन करना चाहे तो हमें उसकी क्षमता बढाने के लिये कुछ जमीन काटकर वहां समुद्र लाना पड़ेगा ।

उर्वरकों की मांग

+

*1341. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों की वर्तमान मांग कितनी है; और

(ख) वह किस प्रकार और किस हद तक पूरी की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०. 6139/66 ।]**

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार विशेषकर सूखा ग्रस्त राज्यों को सप्लाई करने के लिये उर्वरकों की कीमत कम करने का कोई विचार कर रही है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री श्यामधर मिश्र : उर्वरकों के मूल्य घटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि मूल्य घटें। दुर्भाग्यवश सप्लाई की स्थिति तथा खाद की कठिनाइयों के कारण मूल्य काफी ऊंचे हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका : विवरण में कहा गया है कि हमें 15 लाख टन की आवश्यकता पड़ेगी जब कि आयात किये जाने वाले 1.5 लाख टन को छोड़कर केवल 9 लाख टन उर्वरक खपत के लिये उपलब्ध होगा। वर्ष 1966-67 में शेष मात्रा किस ढंग में प्राप्त की जायेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : अनुमान के अनुसार हमें लगभग 15 लाख टन की आवश्यकता पड़ेगी। हम लगभग 10.5 लाख टन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षित बाकी उर्वरक की कमी रहेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"ब्लिट्ज" में साक्ष्य अभियोग के प्रकाशन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*1342. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मौर्य :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ब्लिट्ज" में साक्ष्य अभियोग के प्रकाशन के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामों के बारे में विचार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या याचिका सारभूत आधार पर खारिज की गई थी अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी आधार पर; और

(ग) "खुली जांच" (ओपन ट्रायल) के सिद्धांत का उल्लंघन न होने पाये, इस के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां।

(ख) याचिका मुख्य रूप से सारभूत आधारों पर खारिज की गई थी अर्थात्, यह कि विद्वान न्यायाधिश द्वारा पारित आदेश उसकी अधिकारिता में था, अतः उच्चतम न्यायालय के लिये

अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के अधीन रिट निकालने का कोई प्रश्न ही न था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों कि उच्चतम न्यायालय ने "खुले परीक्षण" के सिद्धांत की साधारणत: परिपुष्टि की है।

मंगलौर पत्तन

*1343. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन के विस्तार के संबन्ध में 27 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन अब तैयार कर लिया गया है और सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) क्या इसका समस्त व्यय अब केन्द्र द्वारा उठाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के लिये क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मंगलौर पर एक नये बड़े पत्तन के विकास के लिये मंगलौर हारबर परियोजना के मुख्य इंजीनियर और प्रशासक ने 27 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार करके प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) और (ग) : चूंकि मंगलौर बड़ा पत्तन होगा अत: इस परियोजना के लिये प्रशासन और धनव्यय पूर्णत: भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। अत: राज्य सरकार पर शर्तें लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

एयर इंडिया की विमान सेवाएं

*1344. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बूटा सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की विमान सेवाएं पुन: चालू करने के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर; और

(ग) स्थिति के कब तक सामान्य हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नेवीगेटरों द्वारा 7 अप्रैल को अपनी हड़ताल समाप्त किये जाने पर विमान सेवाएं 8 अप्रैल, 1966 से पुन: आरंभ कर दी गयी हैं।

(ख) सभी अनुसूचित सेवाएं फिर चालू हो गयी हैं।

(ग) स्थिति सामान्य हो गयी है।

मुंदड़ा फर्मों के विरुद्ध जांच

*1345. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम के अन्तर्गत उन कम्पनियों के कार्यों के बारे में, जिनसे हरीदास मुंदडा का सम्बन्ध है, कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम की किन धाराओं के अन्तर्गत और उनके विरुद्ध क्या विशेष आरोप थे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : यद्यपि समवाय अधिनियम की धाराओं 235 या 237 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार उन कम्पनियों के मामलों की जांच औपचारिक रूप से नहीं की जा रही है, तथापि समवाय विधि बोर्ड और समवाय विधि बोर्ड के अधीन समवाय पंजीयक मसर्ज़ डंकन स्ट्रेटन एण्ड कम्पनी, बम्बई, कुछ अन्य कम्पनियों जिनमें इनसे लेन देन रखने वाली कम्पनियों भी शामिल हैं, के बारे में अगली उपयुक्त कार्यवाही का निणय लेने के विचार से इन कम्पनियों के हिसाब-किताब की परीक्षा कर रहे हैं। मैसर्स डंकन स्ट्रेटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध आरोप वही हैं जिनका निर्देश तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर दिनांक 4-11-1965 और तारांकित प्रश्न संख्या 684 के उत्तर दिनांक 22-3-1966 में किया गया है। मैसर्ज़ डंकन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अतिरिक्त, मैसर्स मनमोहन कारपोरेशन इंडिया प्राइवट लिमिटेड और रिचर्डसन क्रूडस प्रापरटीज़ प्राइवेट लि० के बारे में यह आरोप लगाए गए हैं कि इन कम्पनियों के हिसाब किताब तयार नहीं किए गए और इनका लेखा-परीक्षण पिछले चन्द वर्षों से नहीं हुआ और यह कि निरीक्षण के लिये कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर कम्पनी की लेखा सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी जिन का होना समवाय अधिनियम की धारा 209 में अपेक्षित है।

ये जांच-कार्य / पुस्तकों की परीक्षाएं समवाय अधिनियम की धाराओं 234 और 209 (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन की जा रही है।

(ग) अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

चावल तथा धान की खरीद-कीमत

*1346. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 5 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में चावल तथा धान की समान खरीद कीमत निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय किये जा रहे हैं,

(ख) क्या ये कीमतें राज्य सरकारों की सहमति से निर्धारित की गई थी और किन राज्यों के मामले में केन्द्र उनके विचारों से सहमत नहीं हो सका, और

(ग) क्या यह सच है की आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले राज्यों में कमी वाले राज्यों की अपेक्षा कम मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण उन राज्यों में चावल और धान का उतना समाहार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिये था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार के परामर्श से स्वयं राज्य सरकारों द्वारा खरीद भाव निर्धारित किये गये थे।

(ग) जी नहीं।

ग्रीष्मकालीन धान की फसल

*1347. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्मकालीन धान की फसल को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रयास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस तरीके से तथा किस पैमाने पर; और

(ग) ग्रीष्मकालीन धान की फसल की प्रति एकड़ उपज की औसत क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष उपायों द्वारा अतिरिक्त खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये संकटकालीन अभियान के सम्बन्ध में सितम्बर, 1965 में राज्यों के समस्त मुख्य सचिवों को सूचना भेज दी गई थी । सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त फसल उगाना इन उपायों में से एक उपाय यह सुझाया गया था कि सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त फसल उगाई जाये । इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि सम्भव क्षेत्रों का शीघ्र ही निरीक्षण कर लिया जाए और आगामी सर्दी तथा स्प्रिंग सीजनों के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए । उड़ीसा तथा बिहार में हीराकूड आधिपत्य क्षेत्र में सम्भव क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष सुझाव दिये गये थे । ग्रीष्मकालीन धान की खेती के लिए एक विशेष कार्यक्रम को विकसित करने हेतु एक पत्र अक्तूबर, 1965 में आसाम को भेजा गया था जिसके उत्तर में आसाम सरकार ने बीजों, पम्पों आदि की प्राप्ति तथा वितरण के बारे में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश जारी किये । यह बताया गया कि तैयारियां नवम्बर, 1965 में ही कर ली गई और ऐसी सम्भावना थी कि आसाम में ग्रीष्मकालीन धान फसल व्यापक और घनी होगी ।

(ग) क्या कदम उठाये गये और क्या परिणाम निकले इस सम्बन्ध में जानकारी आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से पूछी गई है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी के स्टाक का जमा हो जाना

*1348. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में विभिन्न कारखानों में 1 करोड़ 20 लाख टन से भी अधिक चीनी के स्टाक के जमा हो जाने के कारण चीनी उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) (क) जी नहीं । शर्करा उद्योग के पास 15 अप्रैल, 1966 को शर्करा का 23.37 लाख मीटरी टन का स्टाक था ।

(ख) रिजर्व बैन्क के माध्यम से अनुसूचित बैंकों द्वारा पेशगियों के रूप में शर्करा उद्योग के लिये और निधि का उपबन्ध करने की कार्यवाही की गयी है । घरेलू खपत के लिये शर्करा की निकासी में दिसम्बर, 1965 में 2.06 लाख मीटरी टन प्रति मास से बढ़ाकर अप्रैल, 1966 में 2.49 लाख मीटरी टन कर दी गयी है ।

रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी

*1349. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी ने अपने कलकत्ता के कर्मचारियों को सूचित किया है कि उन्हें फरवरी, 1966 से कोई वेतन नहीं दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को जबरी छुटी दी गई है अथवा उनकी छटनी की गई है;

(ग) क्या अब इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है कि कंपनी को बन्द किया जाये अथवा परिसमापन किया जाये अथवा पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच कंपनी अन्तर्देशीय जल वहन के रूप में कार्य करें; और

(घ) यदि कम्पनी के राजाबागान स्थित गोदी के बारे में कोई प्रस्ताव है तो वे क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) श्रमिक नियमों के अनुसार राजाबागान डेकयार्ड के 1218 कर्मचारियों को और कलकत्ता घाट के 443 कर्मचारियों को जबरी छुटी दी गयी है। अभी तक किसी स्थायी कर्मचारी की छटनी नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) : मामला सक्रिय विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन

*1350. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री बूटा सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास : **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारियों से त्यागपत्र देने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को ऐसा आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1966 के सरकारी आदेशों के अन्तर्गत दिये गये थे; और

(घ) इन कर्मचारियों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6140/66।]**

Foodgrain unloading at Pradeep Port

*1351. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and

Co-operation be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 392 on the 8th March, 1966 and state :

(a) the arrangements made for the movement of foodgrains imported from U.S.A. to the various States from Pradeep Port; and

(b) the approximate time to be taken to move the foodgrains to other parts of the country from that Port?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Discharge of imported foodgrains on the shore at Paradeep port is not proposed to be taken up at present; only overside discharge into coastal vessels is under consideration.

(b) Dose not arise.

बीज निगम

*1352. **श्री फिरोड़िया :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में बीज निगम स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा सहकारी क्षेत्र में; और

(ग) कब अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : बीजों की प्राप्ति, भण्डारण तथा वितरण के लिये राज्य, क्षेत्रीय अथवा जिन्सवार बीज निगम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। ये पब्लिक, सहकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में हो सकते हैं। मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

चावल का समाहार

*1353. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री तन सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य समाहार योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के कालाहांडी जिले से कितने चावल का समाहार किया गया;

(ख) कालाहांडी ज़िले में खाद्यान्न की अत्याधिक कमी को दूर करने के हेतु वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो वर्षों में उड़ीसा सरकार को कितना गेहूं दिया; और

(ग) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में कुल कितना चावल पैदा हुआ और तदनुरूप इस जिले में चावल की कितनी मांग थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चालू फसल वर्ष में, कालाहांडी जिले में स्वैच्छिक एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के अधीन 7 अप्रैल 1966 तक 9.5 हजार मीटरी टन धान की अधिप्राप्ति हो चुकी थी।

(ख) भारत सरकार सारे राज्य के लिये खाद्यान्न सप्लाई करती है। केन्द्र से प्राप्त सप्लाई और राज्य में अधिप्राप्त किए गये खाद्यान्नों का विभिन्न जिलों में वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 1964 और 1965 में उड़ीसा को कुल 1.29 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया गया था। इस में रोलर आटा मिलों को सप्लाई की गयी मात्रा भी शामिल है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार 1964-65 में कालाहांडी जिले में चावल के हिसाब से 2.92 लाख मीटरी टन की पैदावार हुई जबकि 1965-66 में 1.05 लाख मीटरी टन हुई है। खाद्यान्नों की खपत सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही कालाहांडी जिले के लोगों की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं का कोई अनुमान उपलब्ध है।

मुख्य मंत्री सम्मेलन

*1354. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री रा० बरुआ :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री राम हरख यादव :
श्री नारायण दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में योजनाओं पर विचार करने के लिये हाल ही में मुख्य मंत्रियों और राज्यों के खाद्य तथा कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये क्या निर्णय किये गये; और

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों को पृथक पृथक निर्धारित करने और कृषि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये उनकी योजनाओं को समन्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की जायगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, उसकी क्रियान्विति के लिए उसके लक्ष्य तथा उपाय अनुमोदित किये गये।

(ग) जी हां।

Hindi Legal Terminology

*1355. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the extent of success achieved in persuading Hindi-speaking States to adopt in toto the Hindi Legal terminology prepared by the Ministry of Law;

(b) whether the ministry is making any effort to the effect that the same legal and technical terminology is used in all the regional languages; and

(c) whether any efforts are being made to ensure that the same legal terminology is used in the translated versions of laws which are being prepared or may be prepared in various regional languages?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) The standard legal terminology evolved by the Official Language (Legislative) Commission has been largely adopted in the Hindi-speaking States.

(b) & (c). The Official Language (Legislative) Commission under the Ministry of Law is concerned with the evolution of a standard legal terminology. The evolution of scientific and technical terminology has been entrusted to the Commission for Evolution of Scientific and Technical Terminology under the Ministry of Education. Legal terminology evolved by the Official Language (Legislative) Commission is being used in the regional language versions of Central Acts prepared by the Commission. The State Governments have also been requested that the same legal terminology may be used by them, as far as possible, in the preparation of regional language versions of the State laws.

कृषि फार्म उपज पर उपकर

*1356. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि फार्म-उपज पर उपकर को बढ़ाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह वृद्धि सब कृषि-जन्य पदार्थों पर लागू होगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) संसद में 1 अप्रैल, 1966 को पेश किया गया उत्पादन उपकर बिल, 1966 कपास, लाख, कोपरा तथा तेलों पर लगने वाले उन उपकरों के बारे में निश्चित रूप से उल्लेख करता है जो पहले भारतीय कपास उपकर अधिनियम, 1923, भारतीय लाख उपकर अधिनियम, 1930, भारतीय नारियल समिति अधिनियम 1944 तथा भारतीय तिलहन समिति अधिनियम 1946 में समाविष्ट थे। भारतीय उत्पादन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत कुछ अन्य कृषि-पण्यों का भी समावेश होता है। कृषि उत्पादन उपकर अधिनियम, 1940 की दर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Laboratories for soil testing

*1357. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the names of places where laboratories for soil testing have been established since the achievement of independence till now;

(b) the number of farmers that have benefitted from them; and

(c) the extent of increase in production as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) The names are given in the statement laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L.T./6141/66.]**

(b) The actual number of farmers benefitted by these laboratories is difficult to estimate. However, the number of queries received in the laboratories from the farmers during the Third Plan period is about 9·4 lakhs.

(c) No accurate estimate of this is available. However, as a result of some observations and trials, the increase obtained by following fertiliser recommendations based on soil tests was found to be on an average 14·5% over the yield obtained from the usual fertiliser recommendations of the States, in the case of paddy.

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान

*1358. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज के योगदान से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) इस समय पंचायती राज संस्थाएं शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व उठाने के लिये कहां तक सुसंगठित हैं; और

(ग) सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा का आयोजन और व्यवस्था करने के काम में लगाने के विचार को कहां तक स्वीकार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग): इस समय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों के पास है और महाराष्ट्र में यह कार्य जिला परिषदों के पास है। आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में माध्यमिक शिक्षा भी जिला परिषदों को सौंप दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्न, दूसरे मामलों के साथ, शिक्षा आयोग के विचाराधीन है; उसकी सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी

*1359. **श्री मधु लिमये :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :
श्री ह० च० सोय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान परिचारिकाओं के साथ विमान चालकों के दुर्व्यवहार के आरोप तथा विमान चालकों द्वारा विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध लगाये गये अवज्ञा करने के आरोप के बारे में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पायलट संघ तथा विमान कर्मचारी संघ के बीच विवाद खड़ा हो गया है;

(ख) क्या इस विवाद के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप विमान द्वारा यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो विवाद को निपटाने तथा इंडियन एरलाइंस कारपोरेशन की कार्यव्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): जी, हां।

(ग) एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन के साथ एक समझौता हो गया है और 24 मार्च, 1966 से विमान सेवाएं सामान्य रूप से चलने लगी हैं।

ऋण को विपणन से सम्बद्ध करना

*1360. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऋण को विपणन से सम्बद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विपणन के प्रयोजन के हेतु गोदामों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ग) देश में ऋण को विपणन से सम्बद्ध करने तथा विपणन के लिये गोदाम सम्बन्धी मिली सुविधाएं अब तक कितनी सफल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6142/66।]**

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

*1361. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन-न्यास के न्यासियों के बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1966 को समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 अप्रैल 1966 से एक नया बोर्ड बनाया गया है;

(ग) क्या बोर्ड में मजदूर संघों की सदस्यता के सत्यापन के आधार पर मजदूरों के प्रतिनिधि चुने गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बोर्ड के लिये चुने गये मजदूरों के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : जी हां।

(घ) 1. श्री बी० जी० एम० ए० नरसिंह राव।

2. श्री पी० मानवालाया नायडू।

खाद्य तथा कृषि संगठन का सत्र

*1362. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संघटन के एशिया के लिये फार्म प्रबन्ध सम्बधी कार्यकारी दल का एक सत्र हाल में नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो भारत से सम्बन्धित उसके मुख्य निष्कर्ष तथा निर्णय क्या थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। खाद्य तथा कृषि संगठन के एशिया और दूरपूर्व के लिए फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकारी दल का सत्र 11 से 20 एप्रैल 1966 तक नई दिल्ली में हुआ।

(ख) एक नोट जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गई हैं सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6143/66।]**

विभिन्न राज्यों में अनाज के दाम

*1363. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1966 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अनाज (सीरियल) के क्या क्या दाम थे; और

(ख) विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अनाज के दामों में अन्तर दूर करने के हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मार्च, 1966 के अन्त तक विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रों में गेहूं और तथा अन्य अनाज के मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6144/66 ।**]

(ख) अनाज के मूल्यों में समता लाना सम्भव नहीं है क्योंकि एक राज्य में स्थिति दूसरे से भिन्न है ।

एर्णाकुलम लॉ कालेज क छात्र

4339. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमा नाथ :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एर्णाकुलम लॉ कालेज के 40 छात्रों तथा कुछ विधि प्रशिक्षुओं (लॉ एप्रेन्टिसेज़) ने एर्णाकुलम में उच्च न्यायालय में सात घण्टे तक भख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) क्या लॉ कालेज के छात्रों ने केरल के महाधिवक्ता को एक स्मरण पत्र पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) उनकी मुख्य मांग यह थी कि विधि स्नातकों को 'बार काऊंसिल' की परीक्षा से छूट दी जाये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विधिवित्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49क के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार की 15 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने 31 दिसम्बर, 1965 से पूर्व हुई किसी परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी भारतीय विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त की है, अधिनियम के धारा 25 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रशिक्षण के पाठयक्रम और परीक्षा पास करने से विमुक्ति दी गई है ।

केरल में पर्यटन तथा दस्तकारी निगम

4340. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक पर्यटन तथा हस्तशिल्प निगम बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितनी अंश पूंजी लगेगी;

(ग) यह निगम कौन से विकास कार्य करेगा ; और

(घ) क्या पर्यटन गृहों को इस निगम के अधीन रखने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री(श्री संजीव रेड्डी) : (क) केरल पर्यटक और हस्तकला निगम को 29-12-1965 को केरल सरकार के सम्पूर्ण स्वामित्व में निजी सीमित कम्पनी के रूप में पंजीयत किया गया था ।

(ख) निगम की शेयर पूंजी 1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये हैं जो 100 रुपये को बराबर के शेयरों में एक लाख भागों में विभाजित है ।

(ग) निगम धीरे धीरे केरल में पर्यटन और हस्तकला के विकास के संबद्ध सब कामकाज करेगा ।

(घ) निगम शीघ्र ही त्रिवेन्द्रम में मसूत होटल, कोवलम के स्नान गृह, थेक्कादी का आरोग्य निवास बंगला, इदापालयम् का पर्यटक बंगला और थेक्कादी के पर्यटक बंगलों (श्रेणी 2) का प्रबन्ध हाथ में लेगा ।

एर्णाकुलम के निकट मछुओं की बस्ती

4341. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि उपमंत्री 1964 में केरल में एरणाकुलम के निकट मछुओं की बस्ती मेनास्सेरी में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तूफान के कारण मछुओं को हुई हानि के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सहायता कार्य सुझाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) उपमन्त्री ने तूफान के तुरन्त बाद जो कि दिसम्बर, 1965 में आया था, केरल का दौरा किया था । जिन स्थानों का दौरा किया गया उन में मेनास्सेरी भी था ।

(ख) और (ग) : दिसम्बर, 1965 में आये तूफान में 15 विभागीय और 7 गैर-सरकारी नौकाएं या तो गुम हो गयी या नष्ट हो गयी थीं । मेनास्सरी के मछियारों की उन दो नौकाओं के बारे में अभिरूची थी जो कि राज्य मात्स्यकी विभाग द्वारा उपदान तथा किराया खरीद प्रणाली के आधार पर दी गयी थीं । इन में से एक के बदले नयी नौका दी गयी है और दूसरी नौका की बीमा कम्पनी के खर्च पर मरम्मत करवाई जा रही है । तूफान में नौकाओं के नष्ट या गुम होने के कारण प्राइवेट पार्टियों को कुल रु० 3,17,328 का नुकसान होने का अनुमान है । केरल की राज्य सरकार 'विपत्ति सहायता निधि' में से सहायता देने पर विचार कर रही है ।

टेपिओका की खेती

4342. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कण्णनूर जिले में बेकार पड़ी भूमि में बड़े पैमाने पर टेपिओका की खेती आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो टेपिओका की खेती के लिये कितनी भूमि उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, । ऐसा एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि उपलब्ध हो सकती है इसके लिए राज्य सरकार को एक सर्वेक्षण करना होगा ।

रेलवे की कृषि योग्य भूमि

4343. **श्री प० कुन्हन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक केरल में रेलवे की कुल कितनी एकड़ कृषि-योग्य भूमि ली है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) खेती के लिये इस भूमि का वितरण करने के लिये सरकार ने क्या तरीका अपनाया है; और

(घ) क्या इस भूमि को खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों को देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 217.28 एकड़ ।

(ख) अधिक अन्न उपजाओ कार्यों के लिए दी गई भूमि के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन ने राज्य सरकार के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया है । जिन शर्तों पर ये भूमि राज्य सरकार को दी गई थी वह ये हैं कि राज्य सरकार खाद्य फसलें उगाने के लिये ये भूमि इच्छुक कृषकों को पट्टे पर देगी और उन कृषकों से प्राप्त की गई पट्टे की राशि का 95 प्रतिशत रेलवे को देगी ।

(ग) तथा (घ) : केरल लैण्ड असाइनमैन्ट रुलज़, 1964 में रखी गई व्यवस्थाओं की भाँति राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ी गई रेलवे की फालतू भूमि को पट्टे पर देने और उपरोक्त नियमानुसार रेलवे द्वारा परित्यक्त भूमि सम्बन्धी प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

केरल में कायमकुलम कायल भू-कृष्यकरण योजना

4344. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कायमकुलम कायल भू-कृष्यकरण योजना को कब कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस योजना से कितनी भूमि खेती के लिए मिलने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : जानकारी इकट्टी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Funds to Mortgage Banks, Sugar Factories and Marketing Societies

4345. **Shri Tulsidas Jadhav :**
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a resolution has been received from the Maharashtra Congress Committee in which the Central Government have been asked to give funds to land mortage banks, sugar factories and apex marketing societies; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

जेतसर यंत्रीकृत फार्म

4346. **श्री तन सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेतसर के केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म के लिए रूस में बनी खेती की मशीनों के संभरण के सम्बन्ध में 7 मई 1964 को भारत और रूस के बीच हुआ करार क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(ख) इस आयात का फार्म की फ़सल और चारे के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1964–65 में 4670 एकड़ भूमि में बुवाई की गई थी । 1965–66 की अवधि में वर्षा न होने तथा सिंचाई के पानी की कमी के कारण केवल 3,396 एकड़ भूमि में ही बुवाई की जा सकी ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक सहकारी संघ सीमित, हैदराबाद

4347. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों को ऋण तथा ऋण-पत्र देने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय भूमि-बन्धक बैंक सहकारी संघ लिमिटेड, हैदराबाद से कोई अभ्यावेदन मिला है कि उसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : उपलब्ध साधनों के आधार पर वर्ष 1966–67 में 35.65 करोड़ रुपए के साधारण ऋण-पत्र जारी करने का एक कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया है । अतिरिक्त साधन ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ताकि 21.35 करोड़ रुपए के ऋण-पत्र जारी करने के एक और कार्यक्रम के लिए सहायता दी जा सके । इससे इस वर्ष के लिए कुल 57 करोड़ रुपये हो जाएंगे । इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक सहकारी संघ लि० ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया गया है । सरकार अतिरिक्त साधन उपलब्ध करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है ।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंक

4348. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1966–67 में ऋण तथा ऋण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है;

(ख) केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) क्या बम्बई राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंक लिमिटेड, बम्बई से पर्याप्त संसाधनों के बारे में कोई प्रार्थना सरकार से की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) वर्ष 1966–67 में बैंक द्वारा प्रस्तावित अस्थायी कार्यक्रम 23.75 करोड़ रुपए के साधारण ऋण पत्र जारी करने का है ताकि 25 करोड़ रुपए के ऋण देने के कार्यक्रम को चलाया जा सके ।

(ख), (ग) व (घ) : सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं जैसे जीवन बीमा निगम, भारत का स्टेट बैंक और भारत का रिजर्व बैंक, भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायता देते हैं । इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 1966-67 में महाराष्ट्र भूमि बन्धक बैंक के ऋण-पत्रों के लिए 4.25 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन दिया जा चुका है । महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक ने सरकार से प्रार्थना की है तथा इसी तरह की प्रार्थना अखिल भारतीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक संघ द्वारा भी की गई है और एक विस्तृत कार्यक्रम को सहायता सुलभ करने के लिए अतिरिक्त संसाधन ढूंढ़ने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

Milk Production

4349. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether any scheme to increase the milk production is under consideration; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) & (b). Several schemes aiming at increase in the productive capacity as well as working efficiency of cattle through controlled breeding, improved feeding, effective disease control, better management, marketing etc. have been sponsored by the Central and State Governments under the Five Year Plans. The Central Government have been assisting the States in the implementation of these schemes by giving them technical and financial assistance. Some of the more important cattle development schemes which are intended to bring about increased production of milk directly are :

(1) All India Key Village Scheme for Cattle development.

(2) Feeds and Fodder Development Scheme.

(3) Cross breeding of cattle with exotic breeds in hilly and heavy rainfall areas.

(4) Intensive Cattle Development Projects linked up with existing large dairy plants.

During the Fourth Plan, it is proposed to set up 6 Centrally administered cattle breeding farms for production of progeny tested bulls of Murrah, Surti, Red Sindhi, Tharpakar, and exotic breeds of cattle as part of a coordinated cattle breeding programme. It is also proposed to set up four Centrally sponsored Intensive Cattle Development projects in the States of U.P., Punjab and Rajasthan with a view to increasing the supply of milk to D.M.S.

Seeds Farms in Maharashtra

4350. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether a Centrally sponsored seed farm is proposed to be opened in Maharashtra; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : The matter is under consideration in consultation with the Maharashtra Government.

Ghee-Creamery Centres

4351. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at the ghee-creamery centres, the milk, after the cream is extracted has to be sold at a very low price because there is no demand for it;

(b) whether it is a fact that low selling price of milk results into a loss to the producers and due to this reason, the ghee-creamery centres do not flourish;

(c) whether Government propose to formulate a scheme to prepare milk powder or cheese to ensure the just price to the milk producers for cream and the resultant milk; and

(d) if so, the out-line thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). Government is aware of the fact that a large number of private dairy traders have established cream separators for which they collect milk from the rural areas. The cream extracted from the whole milk is sold by them in the market and certain quantity is also converted into ghee. The separated milk of the cream is removed is also sold by them at a price it can fetch in the market as these traders have no proper processing and storage facilities.

(c) and (d). In the Third and Fourth Plans, milk powder factories/milk plants have also been established. At all these factories, the milk is collected from the rural areas through proper agencies, preferably by forming primary milk producers' cooperatives. The milk is then collected, assembled, chilled and brought to the factories. In all these factories, producers are paid a fair price for the milk supplied by them.

दुधारू भैंस का हल चलाने के लिये उपयोग

4352. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इज़रायल के एक विशेषज्ञ ने हल खींचने के लिए केवल एक दुधारू भैंस का उपयोग करने की योजना बनाई है और जिसका नैपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में इसका प्रयोग करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार के पास इज़राइल के एक विशेषज्ञ द्वारा हल खींचने के लिए बनाई गई योजना के बारे में कोई सूचना नहीं है । सरकार ऐसी सूचना लेना चाहती है । परन्तु भारत में इलाहाबाद, लखनऊ, कोयम्बेटूर तथा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में केवल एक बैल द्वारा हल खींचने के बारे में योजना बनाने व परीक्षण करने के बारे में कुछ कार्य किया गया है ।

विमान सेवाओं का अस्त व्यस्त हो जाना

4353. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन,** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65 और 1965-66 में कुहरे के कारण विमान सेवा कितनी बार अस्त व्यस्त हो गई थीं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 1964–65 और 1965–66 के दौरान खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की अस्तव्यस्त होने वाली सेवाओं की संख्या क्रमशः 64 और 65 हैं ।

1964–65 और 1965–66 के दौरान खराब मौसम के कारण आइ० ए० सी० की अस्त व्यस्त होने वाली सेवाओं की संख्या निम्न प्रकार हैं :

1964–65	1,296
1965–66 (अप्रैल, 1965 से जनवरी, 1966 तक)	626

शाक बाटिका प्रतियोगिता, दिल्ली

4354. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में हुई शाक बाटिका प्रतियोगिता में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रतियोगिता में किन किन राज्यों ने भाग लिया था; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Assistance to Maharashtra

4355. **Shri Kamble :**
Shri Lonikar :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state:

(a) the funds given by the Central Government to the Maharashtra Government for the implementation of (i) animal husbandry (ii) dairy industry and milk supply and (iii) fishery programmes in that State during 1965-66; and

(b) the amount spent on the said schemes in Maharashtra during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b). The required information is as under :—

Programme	Central assistance sanctioned for carrying out programme during 1965-66 (Rs. in lakhs)			Anticipated expenditure during 1965-66 as reported by State Government. (Rs. in in lakhs)
	Loan	Grant	Total	
Animal Husbandry . } Dairying and Milk Supply . }	73·39	61·45	134·84	242·06
Fisheries	33·92	13·62	47·54	120·87

उरुग्वे से गेहूं का आयात

4356. **श्री रामहरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरुग्वे की सरकार ने भारत को अपनी खाद्य की कमी को दूर करने के लिये गेहूं देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत मे गेहूं कब पहुंचने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा को चीनी का संभरण

4357. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1966 में उड़ीसा राज्य को चीनी का कितना अभ्यंश दिया गया;

(ख) उक्त महीनों में उड़ीसा से कितनी मांग की गई;

(ग) उक्त राज्य की मांग पूर्णतः पूरी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क)

जनवरी, 1966 . .	4895 मीटरी टन कोटा और 223 मीटरी टन त्यौहार के लिये ।
फरवरी, 1966 .	4895 मीटरी टन ।
मार्च, 1966 . . .	4895 मीटरी टन ।

(ख) और (ग) : ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है लेकिन उड़ीसा सरकार नियत कोटे से संतुष्ट है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बनों में संचार व्यवस्था

4358. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में बनों में संचार-व्यवस्था को सुधारने के लिय केरल सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वर्ष 1966-67 में इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) बनो में संचार व्यवस्था के सुधार के लिये 1965-66 में 4,51,000 रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ख) 54.5 मील सड़क के निर्माण के लिये 20.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। ज़िला-वार लक्ष्य निम्न प्रकार है :

ट्रीवेन्द्रम	0.75 लाख रुपये	
क्विलोन	7.72 लाख रुपये	10.50 मील
कोटयाम	3.50 लाख रुपये	19.00 मील
एर्नाकुलम	1.20 लाख रुपये	4.00 मील
त्रिचुर	1.78 लाख रुपये	13.00 मील
पलघाट	3.35 लाख रुपये	8.00 मील
कोज़ीकोड	0.75 लाख रुपये	
कैनानोर	0.95 लाख रुपये	
	20.00 लाख रुपये	

केरल में चारे के भण्डार (फौडर बैंक)

4359. **श्री अ० व० राघवन :** क्या, **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चारे के भण्डार स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वहां चारे की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तीसरी योजना की अवधि में प्रादेशिक आधार पर चारे के भण्डार बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल में चारे का कोई भण्डार स्थापित नहीं किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में एक चारे का भण्डार स्थापित किया गया था और इस भण्डार ने केरल और अन्य दक्षिण के राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। केरल सरकार से भी ऐसे भण्डार की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) केरल से सूखे की स्थिति तथा चारे की कमी के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारत में तैचूम नैटिव बीजों का बोया जाना

4360. **श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली खरीफ की फसल में भारत में विभिन्न केन्द्रों में कितने एकड़ भूमि में तैचुम नेटिव बीज बोया गया था;

(ख) प्रति एकड़ अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन कितना हुआ तथा इन केन्द्रों में औसत उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या अगली खरीफ की फसल में इस किस्म का धान बड़े पैमाने पर बोने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) खरीफ के पिछले मौसम में लगभग 165 एकड़ भूमि में ताईचुंग नेटिव (धान) का बीज बोया गया।

(ख) अधिकतम उत्पादन 8,400 पौंड था परन्तु खेती खराब होने की स्थिति में न्यूनतम उत्पादन लगभग 400 पौंड प्रति एकड़ था। औसत उत्पादन (जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग था) निम्न प्रकार था :

आन्ध्र प्रदेश	4,000 पौंड प्रति एकड़
उड़ीसा	3,000 पौंड प्रति एकड़
मध्य प्रदेश	2,500 पौंड प्रति एकड़
महाराष्ट्र	2,500 पौंड प्रति एकड़
पंजाब	3,000 पौंड प्रति एकड़

(ग) और (घ): 1966 की खरीफ में सम्बन्धित राज्यों ने ताईचुंग नेटिव 1 किस्म के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को लाने के लिए कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया गया है :

	(लाख एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	2.35
मध्य प्रदेश	1.25
महाराष्ट्र	1.95
उड़ीसा	0.75
पंजाब	0.25
उत्तर प्रदेश	1.00
बिहार	0.25
राजस्थान	0.01
दिल्ली	0.016
गोआ	0.04
आसाम	0.01
	7.876

सहकारी खेती से सम्बन्धित प्रायोगिक परियोजनाएं

4361. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री गोपालदत्त मेंहगी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में सहकारी खेती से सम्बन्धित, कुल कितनी प्रायोगिक परियोजनाएं राज्यवार स्थापित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं में चावल तथा गेहूं की प्रति एकड़ औसत उपज कितनी हुई; और

(ग) वर्ष 1966-67 में राज्यवार, सहकारी खेती से सम्बन्धित कितने कक्ष स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-6145/66**।]

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्ष 1966-67 में केवल पश्चिमी बंगाल में एक सहकारी खेती कक्ष स्थापित किया जाना है । तीसरी योजना में अन्य राज्यों में इस प्रकार का एक-एक कक्ष स्थापित किया जा चुका है ।

हल्दिया में सूखी गोदी

4362. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 23 नवंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): हल्दिया परियोजना में हल्दिया पर एक सूखी गोदी का निर्माण शामिल है परंतु इस कार्य को बाद में परियोजना की द्वितीय अवस्था में करने का प्रस्ताव है ।

Development of Agriculture and Animal Husbandry in States

4363. Shri D. N. Tiwary: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any statement has been prepared in regard to the quantum of loans and assistance given to different States for the development of Animal Husbandry during the Second and Third Five Year Plans; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b). A statement is enclosed **[Placed in Library, See No LT/6146/66.]**

Increase in Price of Rice and Paddy

4364. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of rice and paddy have exorbitantly increased in Bihar since December, 1965 and January, 1966; and

(b) if so, the measures taken to bring them down?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) The question of taking any special measures in this context does not arise. Certain steps have however, been taken to ensure that prices of rice and paddy are stabilised at reasonable levels. Maximum purchases of foodgrains at fixed rates are being made on Government account for distribution through fair price shops. Anti-hoarding measures have been strengthened.

स्टेट टनेज क्लब

4365. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेट टनेज क्लबों की संख्या कितनी है; और

(ख) वे खेती के उत्तम तरीकों को प्रचलित कराने में तथा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान के परिणामों को कृषि में लागू कराने में कहां तक सफल हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : नैशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स से मालूम हुआ है कि एक टनेज क्लब विजयवाड़ा में, दसरी आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले में है । जब यथा समय कई डिस्ट्रिक्ट क्लब स्थापित हो जायेंगी तो इनकी एक फेडरेशन स्टेट टनेज क्लब के रूप में हो सकती है। फसल उत्पादन मैसूर, सैमीनार मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में हुए और इन से हाइब्रिड खेती में कुछ स्थिरता आई ।

समवाय विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक

4366. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समवाय अधिनियम के अन्तर्गत समवाय विधि बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशकों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पश्चात् क्षेत्रीय निदेशक कौन कौन सी शक्तियो का प्रयोग करेंगे; और

(ग) प्रत्यायोजित शक्तियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय निदेशकों के निर्णय के विरुद्ध यदि अपील करने का कोई अधिकार है तो क्या ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे०रा०पट्टाभिरामन) : (क) इस समय और अधिक शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बोर्ड के नियन्त्रणाधीन जो किसी भी मामले का पुनर्विलोकन कर सकता है । प्रादेशिक निदेशक उनको दी गई, शक्तियों और कृत्यों का उपयोग करते हैं ।

चावल का आयात

4367. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री कृ० चं० पन्त :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में चावल का कुल कितना आयात किया गया;

(ख) किन किन देशों से चावल मंगाया गया; और

(ग) उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) :

देश	मात्रा हजार मीटरी टन में
बर्मा	203.6
कम्बोडिया	39.5
पाकिस्तान	10.2
थाईलण्ड	203.4
संयुक्त अरब गणराज्य	40.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	286.5
कुल चावल	783.2

(ग) बर्मा, कम्बोडिया, और थाइलैण्ड से चावल की लागत पर और संयुक्त राज्य अमेरिका से गैर-अमरीकी ध्वज पोतों में तथा संयुक्त अरब गण राज्य और थाईलैण्ड से चावल लाने में किराये पर 22.86 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी ।

संयुक्त राज्य अमरिका से चावल पी० एल० 480 के अधीन प्राप्त हुआ और पाकिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार करारों के अधीन आया जिसकी अदायगी रुपयों में करनी थी ।

रूस में निर्मित खेती के औजारों का संभरण

4368. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रयोग में लाने के लिये रूस में बने हुए खेती के औजार लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त किये जाने वाले भिन्न-भिन्न औजारों के विशिष्ट विवरण क्या हैं; और

(ग) मंगाये जाने वाले औजारों पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शशाधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : फालतु पुर्जों सहित डी टी–14 बी ट्रैक्टर्स–2000 और लगभग 70 लाख रुपये की लागत के औजार, लगभग 50 लाख रुपये की लागत के क्रालर ट्रैक्टर्स को 1966 के दौरान सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से आयात करने का इस समय प्रस्ताव है । और आयात करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

पंजाब में चीनी की मिलें

4369. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय चीनी की कितनी मिलें चल रही हैं;

(ख) वे कहां कहां पर हैं; और

(ग) पंजाब राज्य में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष में अब तक चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस समय पंजाब में 8 शर्करा की मिलें चल रही हैं ।

(ख) ये मिलें रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, मोरिन्दा, धुरी, फगवाड़ा, भोगपुर और बटाला में हैं ।

(ग) पंजाब में गत वर्ष (1964–65) में कुल 98,312 मीटरी टन शर्करा का उत्पादन हुआ था । इस वर्ष 15 अप्रैल, 1966 तक 1,27,343 मीटरी टन उत्पादन हुआ है ।

पंजाब में लघु सिंचाई योजनायें

4370. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य की कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन उपाय के रूप में पंजाब राज्य में इस वर्ष क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई लघु सिंचाई योजनायें मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) योजनाओं पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या सरकार का इन योजनाओं का सारा व्यय वहन करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ): 1965-66 की अवधि में आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सरकार से लघु सिंचाई के बारे में कोई विस्तृत योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं । परन्तु भारत सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रम को गतिमान करने के लिए दिसम्बर 1965 में पंजाब के लिए 25.00 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकार की थी ।

(1) आपत्कालीन उठाव सिंचाई योजनायें	5 लाख रुपए
(2) पुस्तिकायें	10 लाख रुपए
(3) गैर-सरकारी नलकूप	10 लाख रुपए
कुल	25 लाख रुपए

उपरोक्त राशि 1965-66 के शुरू में मंजूर किये गये 199.00 लाख रुपए के व्यय तथा मई 1965 में राज्य सरकार के लिए लघु सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं के हेतु स्वीकार की हुई 50.00 लाख रुपए अतिरिक्त राशि के अलावा है । इस प्रकार 1965-66 में लघु सिंचाई कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए 274.00 लाख रुपए का नियतन किया गया था ।

भारत सरकार योजना आयोग द्वारा निर्धारित केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रतिमान के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं का व्यय, जो कि ऋण तथा अनुदान के रूप में होगा, वहन करेगी ।

(नोट : इस प्रश्न के विषय में फरवरी, 1966 में नोटिस दिया गया था, अतः प्रश्न का उत्तर 1965-66 के बारे में है ।)

केरल भूमि उपयोगकरण आदेश

4371. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की खेती वाली भूमि को व्यापारी फसलों की भूमि में बदलने से रोकने के लिए केरल भूमि उपयोगकरण आदेश में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां । केरल सरकारने एक ऐसे प्रस्ताव का प्रारूप भेजा है जिसका अभिप्राय केरल भूमि उपयोग आदेश 1958 में संशोधन करना तथा अन्य बातों के अतिरिक्त धान की खेती वाली भूमि को खड़िया मिट्टी आदि की खुदाई तथा अन्य फसलों की भूमि में बदलने को रोकना है ।

(ख) केरल भूमि उपयोग के संशोधित आदेश का प्रस्ताव निम्नलिखित है :

"कोई भूमिधारी (चाहे वह स्वामी, किरायेदार या पट्टेदार हो) ऐसी भूमि को, जिसमें लगातार 3 वर्ष धान की खेती हो रही है, धान की खेती के अतिरिक्त अन्य फसल की भूमि में न बदल सकेगा और न ऐसा प्रयास कर सकेगा । यदि वह ऐसा करे तो इसके लिए नियमानुसार जिला कलैक्टर से लिखित आज्ञा लेना आवश्यक है ।"

प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ।

माथुपेट्टी में भारत-स्विटजरलैण्ड दुग्धशाला (डेरी) परियोजना

4372. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में माथुपेट्टी में भारत-स्विटजरलैण्ड दुग्धशाला (डेरी) परियोजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) परियोजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(ग) स्विटजरलैण्ड की सरकार ने क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रयोगात्मक रूप में स्विटजरलैण्ड की सरकार ने 1.22 मिलियन एस फ्रैंक प्रदान किये जबकि केरल की सरकार ने 8.65 लाख रुपये प्रदान किये । दूसरी अवस्था के लिए स्विस सरकार ने एस फ्रैंक 2.13 मिलियन देना स्वीकार किया है, और केरल सरकार ने 16.65 लाख रुपये । 31-3-67 के बाद प्रयोगात्मक अवस्था की समाप्ति पर विस्तार कार्यक्रम की लागत मालूम होगी ।

(ग) प्रयोगात्मक अवस्था के लिए स्विस सरकार ने निम्नलिखित बातें स्वीकृत की है :

(1) उन आवश्यक उपकरणों पर जो भारत में उपलब्ध नहीं है लागत तथा परिवहन खर्च । स्लूरी प्लान्ट तथा प्लाओ सैट्स, कृत्रिम वीर्याधान उपकरण, तरल नाईट्रोजन प्लान्ट तथा तरल नाइट्रोजन पात्र आयात किये गये हैं । ट्रैक्टर, स्पेडय, मैल्टर बैलैन्स, माइक्रो-स्कोप्स, टैस्टिंग कन्ट्रीफ्यूज आदि जैसे और विदेशी औजार भी स्विस सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ।

(2) स्विस पशुधन पर लागत तथा परिवहन खर्च । स्विस ब्राउन ब्रीड के 36 पशु पहले ही आयात किये जा चुके हैं । ऐसे ही और पशु आयात किये जा सकते हैं ।

(3) स्विस विशेषज्ञों के वेतन ।

(4) भारत आने और वापिस जाने का स्विस विशेषज्ञों को यात्रा तथा जीविका का खर्च ।

(5) स्विस विशेषज्ञों के लिए इन्शोरेन्स प्रीमियम ।

तुना मछली

4373. **श्री कण्डप्पन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार के समुद्र में तुना मछली बहुत पाई जाती है ; और

(ख) क्या वाणिज्यिक स्तर पर उसको निकालने की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना में अंडमान के समुद्र में तुना मछली पकड़ने की योजनाएं हैं ।

केरल अन्तर्देशीय जल सेवा

4374. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अन्तर्देशीय जल सेवा ने नावों के अपने बेड़े को आधुनिक रूप देने का निश्चय किया है;

(ख) क्या नई नावों की व्यवस्था करने के संबन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो 1966–67 में कितनी नई नावों को बनाने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा, केरल, ने अपनी नावों के बेड़े के पुनर्नवीनन की योजना तैयार की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

4375. **श्री मौर्य :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि विभाग के सचिव तथा समवाय पंजीयक (रजिस्ट्रार) को जयन्ती शिपिंग कम्पनी के कुप्रबन्ध तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के बारे में मौखिक अथवा लिखित शिकायतें (चाहे वे बिना नाम के हों या किसी और तरह की हों) प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) समवाय विधि विभाग तथा समवाय पंजीयक ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख) : समवाय विधि बोर्ड द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध कुछ गुमनाम तथा कुछ लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मुख्य आरोप, अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार हैं :

(एक) भारी यात्रा व्यय वसूल किया गया है;

(दो) दलाली की भारी रकमें दी गई हैं ;

(तीन) समवाय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए भविष्य निधिका अनुचित विनियोजन किया गया है;

(चार) वित्तीय वर्ष 1963–64 के लिये दो संतुलन पत्र तैयार किये गये हैं;

(पांच) कम्पनी ने बम्बई की एक कम्पनी से भारी ऋण लिया है;

(छः) कम्पनी और इसके प्रबन्धक निदेशक द्वारा आयकर उचित रूप से नहीं दिया गया है;

(सात) कम्पनी द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के एक बड़े भाग का उचित हिसाब नहीं दिखाया गया है और विदेशी मुद्रा विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है;

(आठ) कम्पनी ने निक्षेपों के रूप में बड़ी रकमें स्वीकार की हैं और उनकी पुनः अदायगी नहीं कर रही है;

(नौ) कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति अनियमितता से की गई है ।

(ग) विदेशी मुद्रा, आयकर आदि की पुनः अदायगी न करने के कथित उल्लंघन से सम्बन्धित शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्य वाही के लिये भेज दिया गया है। समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच की जा रही है और परिवहन मंत्रालय द्वारा पहले से नियुक्त की गई समिति द्वारा जो सम्बन्धित तथ्य सामने रखे जायेंगे उन पर विचार किया जायेगा।

Animal Husbandry in Delhi

4376. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to spend Rupees 8 lakhs on Animal Husbandry in Delhi and in its three hundred villages;

(b) if so, whether Government have taken over the pastures in Delhi and in its villages with the result that the work regarding Animal Husbandry has come to an end; and

(c) whetner Government have considered over this problem of the persons who keep animals?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) The budget for Animal Husbandry (including poultry and fisheries) in Delhi for the year 1966-67 is Rs. 6,70,000.

(b) No. Animal Husbandry activities are continuing in the villages of Union Territory of Delhi as before. The pasture lands in villages are vested in Gram-panchayats and the same are used for grazing of village cattle. Government have not taken over the pastures, nor is there any proposal to acquire tnese land.

(c) Does not arise.

क्रॉलर ट्रैक्टरों का आयात

4377. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में बड़े क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए उड़ीसा सरकार को विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में चीनी कारखाने

4378. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के चीनी के कारखाने ने हाल में प्रार्थना की है कि निकट भविष्य में उनका विस्तार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख): उड़ीसा में चल रहे शर्करा के दो कारखानों में से एक ने अपना विस्तार करने के लिये आवेदन-पत्र दिया है । राज्य सरकार के परामर्श से इस आवेदन पत्र पर विचार हो रहा है ।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

4379. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966–67 में उड़ीसा राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 1966–67 में कोणार्क और रंभा में पर्यटक बंगलों (श्रेणी 2) के निर्माण को पूरा करने का प्रस्ताव है । केन्द्र की 50 प्रतिशत सहायता से ये बंगले उड़ीसा की सरकार स्थापित कर रही है । सहायता का कुछ अंश दिया जा चुका है । 1966–67 में इन स्कीमों खर्चों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय बजट में 15,000 रु० की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार की 1966–67 की वार्षिक योजना में उड़ीसा के लिये कोई नई स्कीम शामिल नहीं की गई है । फिर भी चौथी योजना में कोणार्क के समेकित विकास के लिये एक स्कीम शामिल की गई है ।

नेफा में बन

4380. **श्री रिशांग किशिंग :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1962 से मार्च 1966 तक नेफा में बनों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ख) वन संसाधनों का लाभ उठाने, विकास करने तथा अच्छी तरह देखभाल करने के लिये कौन सी विभिन्न योजनायें बनाई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क)

1962–63	1963–64	1964–65	1965–66	
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	
36,68,469	44,28,607	57,34,500	जानकारी	उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से कुछ ये हैं :

(1) आर्थिक तथा औद्योगिक प्लान्टेशन को बढ़ाना

(2) इमारती लकड़ी के कार्य तथा बन उपयोगिता

(3) वन कार्यकारी योजनाओं की तैयारी

4—63 L. S./66

धान की खेती

4381. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चालाकुडी खण्ड विकास क्षेत्र में एक लाख पराधान अधिक पैदा करने की योजना के सम्बन्ध में 29 मार्च, 1966 के केरल के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार ने उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट नहीं देखी है । राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक

4382. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**

श्री वाडीवा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री विश्राम प्रसाद :

श्री पाराशर :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभाव की स्थिति के कारण किसानों से प्राप्त राशि की वसूली स्थगित किये जाने के कारण चालू वर्ष में सहकारी बैंकों द्वारा भारत के रिज़र्व बैंक को देय राशि लौटाने में मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों को अनुभव हो रही कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रिज़र्व बैंक से प्रार्थना की है कि वह अपनी ऋण स्थिरीकरण निधि में से $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का ऋण दे ताकि वह राशि सहकारी बैंकों को दी जा सके ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग): मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 43 जिलों में से 27 में फसलें अदृष्टपूर्व रूप से खराब हुई है जिससे किसानों की ऋण लौटाने की क्षमता क्षीण हो गई है । राज्य सरकार ने 27 प्रभावित जिलों में से 25 जिलों के 27 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि में से कुल मिलाकर 328.50 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन पत्र रिज़र्व बैंक को मंजूरी के लिए भेजे हैं । राज्य सरकार ने रिज़र्व बैंक को यह भी सूचित कर दिया है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर किए जाने वाले ऋणों की गारंटी देगी । रिज़र्व बैंक इन आवेदन-पत्रों पर विचार कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज पथ

4383. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री धर्मलिंगम :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस राज्य की कुछ सड़कों को, उनके सामरिक महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे सड़के कौन-कौन सी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) 1. कानपुर और गाजियाबाद के बीच जी० टी० रोड ।

2. दिल्ली-मेरठ-रुड़की-हरिद्वारा-जोशीमठ-नीती दर्रा सड़क ।

(ग) प्रस्ताव परीक्षाधीन है और अंतिम निर्णय इस मामले में, चौथी आयोजना में राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों के विस्तार के लिये धन की उपलब्धता पर और देश के अन्य भागों के अन्य ऐसे ही प्रस्तावों के मुकाबले में इन प्रस्तावों के गुणों पर निर्भर करता है ।

बागवानी के स्नातक

4384. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागबानी के स्नातकों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये विदेशों में जाने के लिये क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक बागबानी के कितने स्नातकों को विदेश भेजकर प्रशिक्षण दिलाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

परीक्षणात्मक नलकूप संघ

4385. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में महाराष्ट्र राज्य में परीक्षणात्मक नलकूप संघ द्वारा किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : परीक्षणात्मक नलकूप संघ ने 1965–66 में महाराष्ट्र राज्य में कोई कार्य नहीं किया है ।

केरल में सड़क निर्माण कार्य

4386. श्री मुहम्मद कोया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के मालाबार क्षेत्र में ढाई करोड़ रुपये की लागत के सड़क निर्माण कार्य छोड़ देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका मालाबार के पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) संभवतः सदस्य का तात्पर्य केरल के मालाबार भाग की पश्चिमी तट सड़क से है । पश्चिमी तट सड़क के केरल में पड़ने वाले भाग के विकास के लिए राज्य सरकार ने 6.23 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित अनुमान भेजा था । घने बसे हुए शहरों की बाहरी सड़कों के निर्माण, वल्लियपतम नदी, जिसके ऊपर पहले ही एक रेल

व सड़क पुल है, के ऊपर एक अलग सड़क पुल, रेल के फाटक के स्थान में ऊपरी पुल और कुछ अन्य विकास कार्यों के लिये की गयी 2.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था को निकाल कर यह राशि घटा कर 3.74 करोड़ रुपया कर दी गयी ।

(ख) मौजूदा सड़क पर की उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टि में रख कर इन कार्यों को इस परियोजना के क्षेत्र से निकाल दिया और इस कारण से भी कि भारत सरकार ने पश्चिमी तट को एक पूरी तरह पुलों वाली, एक गली वाली और अस्फाल्ट वाले यान मार्ग वाली सड़क के रूप में विकसित करने के लिए सहायता देने का निर्णय किया है ।

(ग) पश्चिमी तट सड़क के जिन प्रस्तावित निर्माण कार्यों को पूरा करना है उन के फलस्वरूप यह सड़क एक गली वाली काली सतह की सड़क तैयार होगी और इस प्रकार पश्चिम तट होते हुए एक सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा ।

अमरीकी परिष्करण उद्योग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

4387. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी खाद्य परिष्करण उद्योग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा, जो हाल में भारत आया था, भारत की स्थिति के सम्बन्ध में, अमरीकी विदेश विभाग को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) हम ने विशगटन में अपने मिशन से इस रिपोर्ट का पूरा "टेक्स्ट" भेजने के लिये कहा है । रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Guest Control Order in Delhi

4388. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that food was served to 100 persons, including two Union Ministers, at the home of a political leader in Kotla Muberakpur, Delhi on the 30th March, 1966 ; and

(b) if so, the action taken against him?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उर्वरकों का संभरण

4389. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वितरण के लिये निगमों तथा निजी व्यक्तियों को उर्वरक दिये जाने की क्या शर्तें हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में सभी उर्वरकों का मूल्य ढांचा क्या है तथा ये किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई सूचना का एक विवरण नत्थी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6147/66 ।**]

महिलाओं को समान अधिकार देने के लिये कानून

4390. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ के पांचवे सम्मेलन में महिलाओं को समान अधिकार देने वाले कानून पर अमल किये जाने की मांग की गई थी और यदि हां, तो कैसे;

(ख) किन कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये हैं ; और

(ग) उन्हें कौन कार्यान्वित करायेगा ।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) दिल्ली में हाल ही हुए भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ के पांचवें सम्मेलन में की गई ऐसी किसी मांग से मंत्रालय अवगत नहीं है ।

(ख) स्वयं संविधान द्वारा ही महिलाओं को समान अधिकार दिये गये हैं । अनुच्छेद 14 में, जो कि समानता के अधिकार के सम्बन्ध में एक मूल अनुच्छेद है, कानून के सामने समानता भारतीय राज्यक्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये, चाहे वह व्यक्ति पुरुष है अथवा महिला, अथवा एक नागरिक है अथवा विदेशी कानूनों की समान सुरक्षा का उपबंध है । फिर, इस मूल सिद्धान्त के दृष्टान्त के रुप में अनुच्छेद 15 द्वारा अन्य बातों के साथ साथ केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करना निषीद्ध है; और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता का उपबन्ध किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ साथ केवल लिंग के आधार पर राज्य की किसी नौकरी अथवा पद के संबंध में भेदभाव निषिद्ध है । केवल इतना ही नहीं, अनुच्छेद 15 के खंड (3) द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महिलाओं के लिये विशेष अनुग्रहीत व्यवहार की व्यवस्था की जाये । फिर, अनुच्छेद 39 में राज्यनीति के वैदेशिक सिद्धान्त के रूप में यह विहित है कि सरकार विशेष रुप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिये ढालेगी कि पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिले और इसके साथ साथ महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो ।

(ग) इन सांवैधानिक उपबन्धों की क्रियान्विति के लिये सरकार के विभिन्न साधनों की व्यवस्था है और यदि विधि की दृष्टि में समता सम्बन्धी मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो न्यायालयों और विशेष रुप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वे इस उल्लंघन को ठीक करें ।

बम्बई का सहायक पत्तन

4391. श्री दिगे :

श्री मुकाने :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन के भार को कम करने की दृष्टि से एक सहायक पत्तन खोलने का सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किन किन पत्तनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : बंबई पत्तन के भावी विकास के लिए एक मास्टर योजना बनाने के लिए बंबई पत्तन ट्रस्ट के सलाहकार इंजीनियरों का एक आयोग बनाया गया है । मास्टर योजना के अंग के रूप में बंबई हारबर के पूर्व की ओर मुख्य भूमि से दूर न्हावा-शेवा क्षेत्र में अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं को स्थापित करने की शक्यता की जांच करने के लिए जांच की जा रही है ।

न्हावा-शेवा में एक सहायक पत्तन के विकास की योजना का ब्यौरा अभी तयार नहीं किया गया है । प्राकृतिक गहरा पानी, सड़क और रेल व्यवस्था द्वारा सरलता से वहां पहुंचने की संभावना आसानी से बिजली और पानी की उपलब्धता, पत्तन आधारित उद्योगों के विकास के लिए निकट पड़ोस में अविकसित भूमि के नये क्षेत्र, इत्यादि जैसे कुछ प्राकृतिक लाभों से, जिन से कोई स्थान पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए उपयुक्त बनता है, इस निर्णय पर पहुंचा गया है कि पत्तन का भावी विकास इस स्थान पर होना चाहिए बजाए डाक तंत्र के स्थान के जहां चारों ओर अति विकास के कारण भीड़-भाड़ है और सड़क और रेल के पहुंच मार्गों पर बड़ा दबाव है । अतः न्हावा-शेवा पर एक सहायक पत्तन के विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव तयार करने के लिए मास्टर योजना के अंग के रूप में जांच हो रही है । तकनीकी और आर्थिक जांच पूरी हो जाने के बाद ही यह तय होगा कि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था और वित्तीय रूप रेखा, जो संभावित यातायात की पूर्ति के लिए आवश्यक होगा की, ठीक क्या स्वरूप और क्षेत्र होगा। अप्रैल 1967 के बाद जब मास्टर योजना तैयार होगी इस विकास योजना का साफ साफ चित्र सामने आयेगा ।

न्हावा-शेवा पर सहायक पत्तन बनाने की लागत अनुमानतः 16 करोड़ रुपये होगी। बंबई पत्तन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 8.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती के लिए उर्वरक

4392. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में वर्जिनिया तम्बाकू की खेती के लिए रसायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में नहीं दिये जाते ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप तम्बाकू के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों की अधिक रसायनिक उर्वरक देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देहरादून में दुग्धशाला

4393. श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचंद कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैण्ड की सहकार की सहायता से देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक दुग्धशाला खोली जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) न्यूजीलैण्ड से डेरी उपकरण पहले ही स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस सहायता के साथ कोई शर्त नहीं लगी है। न्यूजीलैण्ड सरकार ने अपनी सहायता को नकद अनुदान तथा 70,000 पौंड अथवा लगभग 9.34 लाख रुपये की लागत के न्यूजीलैण्ड में निर्मित उपकरण के रूप में देना सूचित किया है।

(ग) 20.80 लाख रुपये।

नेपाल को गेहूं दिया जाना

4394. डा० महावीर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का नेपाल को अमरीकी गेहूं भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : जी हां। भारत सरकार नेपाल सरकार की विशिष्ट प्रार्थना पर, उस देश में वर्तमान खाद्य कमी को दूर करने में सहायता करने के लिये उन्हें 5000 मीटरी टन आयातित अमरीकी गेहूं, विशेष मामला मान कर, बेचना मान गयी है।

संसद् तथा विधान मंडलों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

4395. डा० महादेव प्रसाद :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष राज्यों के बारे में संसद् तथा विधान मण्डलों के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश कब प्रकाशित किये जायेंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : 15 फरवरी, 1966 से आसाम, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सब सम्बन्ध में अन्तिम परिसीमन आदेश प्रकाशित किये गये हैं। पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित अन्तिम परिसीमन आदेश 1 मार्च, 1966 को सभा पटल पर रख दिये गये थे और गुजरात से सम्बन्धित आदेशों को 26 अप्रैल, 1966 को सभा पटल पर रखा जायेगा। आसाम और राजस्थान से सम्बन्धित अन्तिम परिसीमन आदेश शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

आशा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आदेश 10 मई, 1966 तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे और मनीपुर और त्रिपुरा के सम्बन्ध में 15 मई, 1966 तक। दिल्ली के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश में चार या पांच महीनें और लगेंगे क्योंकि उनकी कुल संख्या का अभी निश्चय नहीं किया गया है।

आस्ट्रेलिया से गायों का उपहार

4396. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से मद्रास सरकार को कुछ गायें उपहार में दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इस उपहार का अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन गायों को भारत में लाने तथा यात्रा के दौरान उनकी रखवाली करने वालों आदि पर मद्रास सरकार को कितना व्यय करना पड़ा ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख): "फार दोज़ वू हैव लेस" ("For Those Who Have Less") नामक एक आस्ट्रेलियन सोसायटी ने भारत सरकार को 75 होलस्टेन पशुओं को उपहार रूप में दिया है । इनमें से 6 यंवा बछड़े तथा 4 साण्ड मद्रास सरकार को दिये गए थे ।

(ग) पोत किराया तथा विविध मदों पर 14,695 रुपए। राज्य सरकार को देखभाल करने वालों के लिए कुछ नहीं देना पड़ा है ।

राष्ट्रीय सडक बोर्ड

4397. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मोटर गाड़ी संस्थाओं के संघान द्वारा हाल में बम्बई में अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में राष्ट्रीय सड़क बोर्ड बनाने के बारे में की गई मांग की और सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) बैठक में और क्या क्या मांगों की गई और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): फीडरेशन आफ इंडियन आटोमोबाइल ऐसोसिएशन की इन मांगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं खींचा गया है । फोडरेशन की सातवी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि जिसमें उसके सुझाव है प्राप्त कर ली गई है । इन सुझावों का परीक्षण किया जायेगा और जहां जरूरत होगी उचित कार्यवाही की जायेंगी ।

प्रशिक्षण विमान

4398. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रशिक्षण-विमानों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या असैनिक उड्डयन विभाग तथा हिन्दुस्तान एरोनांटिक्स पृथक रूप से इस प्रकार के विमान का डिजाइन तैयार करके ऐसा विमान बनाने की योजना बना रहे हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये इन दोनों विभागों के प्रयासों को समन्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : सिविल फलाइंग क्लबों और खासकर उन्नत उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण विमानों की तुलनात्मक रूप से कमी है । नागर विमानन विभाग इस प्रयोजन के लिए एक प्रशिक्षण विमान का डिजाइन बना रहा है और उसका विकास कर रहा है । एक ही विमान के इस प्रकार मानकन करने के प्रश्न पर कि वह फलाइंग क्लब और साथ ही भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सके, विचार किया जा रहा है ।

गुजरात में तटवर्ती राजपथ

4399. श्री जसवन्त मेहता : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथों के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) इस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण है ; और

(ग) ये कब पूरे किये जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : संभवतः माननीय सदस्य का संदर्भ तटीय मुख्यमार्ग से है जिसके सुधार करने का सुझाव गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र तट पर बड़ौदा से भलीया तक का दिया है । यह एक राज्य सड़क है और इसके सुधार का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है । वे इसकी वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं और इस परियोजना की आर्थिक औचित्यता के लिये उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं । इन आकड़ों का परीक्षण किया जा रहा है । यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी जायेगी तो वह केन्द्रीय खंड में सड़क विकास के लिये निर्धारित वित्तीय स्रोतों पर निर्भर करेगी ।

मैसूर में उद्यान विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था

4400. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में एक क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान सम्बन्धी संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इसे कब से आरम्भ किया जायेगा ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार ने एक क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान सम्बन्धी संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । फिर भी हेसरघट्टा (मैसूर राज्य) में उद्यान विज्ञान सम्बन्धी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव को चौथी योजना में शामिल करना स्वीकार कर लिया गया है । संस्था उद्यान विज्ञान सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथा साधारण समस्याओं पर अनुसंधान करेगी और दक्षिण भारत की जरूरतों के लिए सामग्री जुटाएगी ।

(घ) सम्भावना है कि संस्था 1966–67 में शुरू कर दी जायेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान

4401. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद के बारे में 12 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन मार्गों पर तथा किन प्रदेशों में इन विमानों को चलाने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : तीन अतिरिक्त फोकर फ्रेण्डशिप विमानों को दिल्ली, बनारस और कलकत्ता से, तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में बम्बई से नेपाल के लिए आई० ए० सी० की सेवाओं पर लगाये जाने का प्रस्ताव है जो कि अभी तक डकोटा विमानों द्वारा चलाई जा रही हैं । यदि कुछ और क्षमता उपलब्ध होगी तो पूर्वी क्षेत्र में कुछ अन्य मार्गों पर इनके चलाये जाने का भी प्रस्ताव है ।

दो कारवेल विमान मुख्य मार्गों पर वाइकाउण्ड विमानों के स्थान पर चलाये जायेंगे जिन पर वे, बोइंग विमानों को वापस लेने और कारवेल विमानों में से एक की हानि होने की वजह से चलाये जा रहे हैं ।

एच० एस० 748 विमानों के मिल जाने पर उन्हें पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डकोटाओं के स्थान पर चलाया जायेगा ।

पहली अक्टूबर, 1966 से, जबकि दो अतिरिक्त बोइंग विमानों में से पहले बोइंग विमान के सेवा पर चलाये जाने की आशा है, एयर इंडिया का मध्यपूर्व, युरोप से होकर भारत और यू०के० के बीच एक अतिरिक्त सेवा, बम्बई और नैरोबी के बीच एक अतिरिक्त सेवा चलाने और वर्तमान सिंगापुर टर्मीनेटर को पर्थ से होकर सिडनी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । दूसरा विमान अधिकांश रूप से विमान कर्मीदल के शिक्षण और अभ्यास उडानों के लिए इस्तेमाल किया जायेगा और 1 अप्रैल, 1967 से अन्तर्राष्ट्रीय नियोजित मार्गों के लि इस्तेमाल किया जायेगा । 1 जनवरी, 1967 से, एयर इंडिया आई० ए० जी० की ओर से बम्बई और कलकत्ता के बीच दैनिक परिचालना की व्यवस्था कर सकेगा ।

उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से नियत की गई राशि

4402. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य के लिये केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के लिये मंजूर की गई पूरी राशि दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना में 4.24 लाख अनुमानित लागत के निर्माण कार्य मंजूर किये गये थे । दूसरी योजना से बचे निर्माण कार्यों की लागत 38.38 लाख रुपया थी । जैसा नीचे दिया गया है भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजनामें कुल 59.42 लाख रुपये की राशि दी है :

वर्ष	दी गयी राशि लाख रुपये
1961–62	13.86
1962–63	10.68
1963–64	6.75
1964–65	11.13
1965–66	17.00
	59.42

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

उड़ीसा में बड़े पुल

4403. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने बड़े पुलों का निर्माण पूरा किया गया ; और

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितनी राशि नियत की गई थी और कितने राशि का उपयोग किया गया ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर प्रत्येक 5 लाख रुपये की लागत से सात बड़े पुल पूरे किये गये । अन्य 6 पुलों पर काम अग्रीम अवस्था में है और यह इस वर्ष पूरा हो जायेगा ।

(ख) उसकी सूचना एकत्रीत की जा रही है और शीघ्र ही सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बम्बई लन्दन विमान सेवा

4404. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1966 से बम्बई और लंदन के बीच एक नई जेट विमान सेवा आरंभ करने का एयर इण्डिया का विचार है ; जो तेहरान में रुका करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): जी, हां । एयर इण्डिया का अक्तूबर, 1966 से लन्दन के लिए एक अतिरिक्त विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव है जो तेहरान में रुका करेगी । टाइम-टेबल और दूसरे ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Unemployment due to Rationing in Delhi

4405. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of persons rendered unemployed due to the introduction of rationing system in Delhi; and

(b) the steps Government propose to take to provide them with jobs?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Government is not aware that any body has been rendered unemployed due to introduction of rationing in Delhi.

(b) Does not arise.

Milling of Paddy

4406. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the total quantity of paddy received annually in the Rice Mills in India for milling and polishing purposes and the percentage thereof which is disposed of by the mills;

(b) whether adequate quantity of paddy is not milled due to shortage of rice mills in the country; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Supply of Wheat under Rationing

4407. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is essential to draw flour instead of wheat in case it is not taken under the rationining system in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोचीन पत्तन में हड़ताल

4408. श्री कोल्ला वेंकेय्या :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1966 के प्रथम सप्ताह में कोचीन पत्तन के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने यह हड़ताल की थी ;

(ग) कर्मचारियों ने इस हड़ताल के क्या कारण बताये और क्या इस हड़ताल के बारे में कर्मचारियों ने कोई पूर्व सूचना दी थी ; और

(घ) कर्मचारियों की मांगे पूरी करने तथा हड़ताल टालने के लिये पत्तन प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ): परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत कोचीन पोर्ट कर्मचारीयों के कुछ वर्ग, जिस में मेरीन और फ्लोटिला स्टाफ भी सामिल है, छुट्टियों और साप्ताहिक 'आफ' दिनों में काम की मजदूरी की अपनी सामान्य दरों का दुगना भुगतान पाने के हकदार है, किन्तु जहां कर्मचारी आराम के साप्ताहिक दिन या छुटटी के स्थान पर वैकल्पिक दिन की छुटी पाता है तो वहां उसे मिलने वाली अतिरिक्त अदायगी सामान्य समय मजदूरी के आधे तक सीमित होती है । चूंकि पत्तन के नाविय कर्मीदलों को एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती थी इस लिये उन्हे छुट्टियों पर काम करने के लिये मजदूरी की सामान्य दर का दुगना देने का चलन रहा है ।

अभी हाल ही में यह देखा गया कि कुछ कर्मचारी छुटिटयों में काम करने के बाद तुरन्त आकस्मिक छुट्टी ले लेते हैं। पत्तन अधिकारियों के विचार में ऐसे मामलों में ऐसा प्रमाण पत्र देना ठीक न होगा कि कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। कर्मचारियों और संघ को सूचित कर दिया गया कि छुट्टी के काम के बाद सप्ताह के भीतर यदि कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी का आवेदन देते हैं तो उन्हे छुट्टी के काम के लिये आकस्मिक छुट्टी की बजाय एक दिन की छुट्टी और आधे दिन की मजदूरी दी जायेगी । कर्मचारियों और संघ ने कहा कि नियमों के अनुसार उन्हे मुआवज़ा दिया जाना चाहिये और उन्हे पत्तन अधिकारियों के प्रस्तावानुसार प्रतिवेदित आकस्मिक छुट्टी के स्थान परएक दिन की छुट्टी का दिया जाना स्वीकार नहीं है ।

कोचीन पोर्ट कर्मचारी संघ ने 30 मार्च, 1966 को एक पत्र भेजा जिस में कहा गया था कि जब तक पत्तन प्रशासन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते है तब तक वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी के दिन और साप्ताहिक 'आफ' के दिनों में काम करने की सलाह न देंगे। तदनुसार 150 नाविय कर्मीदल जो 2 अप्रैल, 1966 को छुट्टी पर काम करने के लिये तैनात किये गये थे, काम पर नहीं आये और

इससे जहाजों का आना जाना बंद हो गया। सहायक श्रम आयुक्त इरनाकुलम की मौजूदगी में इस मामले पर संघ प्रतिनिधियों से विचार विमर्ष किया गया। संघ ने कर्मचारियों को यह सलाह देने में सहमति दी कि उन्हें बगैर सोचे समझे आकस्मिक छुट्टी नहीं लेनी चाहिये और पत्तन अधिकारियों ने स्वीकार किया कि आकस्मिक छुट्टी स्वत: मुआवजे की छुट्टी को प्रभावित नहीं करेंगी। चूंकि उचित समय के भीतर मुआवजे की छुट्टी के दिये जाने की कठिनता कर्मचारियों की कमी के कारण थी, इस लिये इस पर विचार कर कर्मी दल की शक्ति को आवश्यक सीमा तक बढ़ाने के लिये प्रस्ताव को पोर्ट ट्रस्ट मंडल के सामने रख दिया गया है।

Smuggling of Foodgrains in Delhi

4409. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade :

Shri Prakash Vir Shastri : Shri Hukam Chand Kacchavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested for smuggling of food grains since the introduction of rationing system in Delhi; and

(b) the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Fifty three.

(b) They were prosecuted under the Defence of India Rules.

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन

4410. श्री फिरोड़िया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक संगठन को अगले वर्ष अपना आगामी अधिवेशन भारत में करने का निमंत्रण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में अधिवेशन बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अपना आगामी बृहद् महासभा-अधिवेशन, जो कि 1968 में होगा, भारत में करने का निमंत्रण देने का निर्णय किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का कोई भी महासभा-अधिवेशन अभी तक रोम के पूर्व में किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है। भारत में अधिवेशन करने से भारत की केवल प्रतिष्ठा ही नही बढेगी बल्कि यह नागर विमानन की दृष्टि से भारत के लिए लाभप्रद भी होगा।

उर्वरक संवर्द्धन निगम

4411. श्री फिरोडिया :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक संवर्द्धन निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ; और

(ग) कब अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) इस विषय में उर्वरक विषयक समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) समिति ने उर्वरक संवर्द्धन निगम के लिए निम्न उद्देश्यों का सुझाव दिया है :

(1) भविष्य में खपत के लिए अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करने के लिए समस्त देश में संवर्द्धन कार्यक्रम का कार्यभार संभालना ।

(2) फार्म सूचना सेवा की सहायता से उर्वरकों के उपयोग, भूमि परीक्षण सेवाओं तथा कृषि संबंधी परामर्श द्वारा कृषकों को मुफ्त सहायता प्रदान करना ।

(3) उन दुर्गम क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना जहां पर उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम हो रहा है तथा ऐसे क्षेत्रों के लिये उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई के लिए व्यवस्था करना ।

(4) केन्द्रीय उर्वरक भण्डार द्वारा उर्वरकों के व्यवस्थित संभरण के क्रय तथा प्रेषण के बारे में योजना तैयार करना ।

(5) नये तथा "हाई एनेलिसिस कम्पलैक्स" उर्वरकों के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य प्रकार के उर्वरकों का अधिक मात्रा में आयात तथा वितरण करना ।

(6) जब तक देशी उत्पादन मांग के अनुसार नहीं बढ़ जाता उस समय तक पौटाश सहित उर्वरकों के आयात तथा वितरण की व्यवस्था करना ।

(7) देसी विनिर्माताओं द्वारा उपयुक्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था न कर सकने की स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उर्वरकों के संभरण का प्रबन्ध करना ।

(8) दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों की अस्थायी कमी का मुकाबला करने के लिए आयात तथा देसी उत्पादन द्वारा उचित मूल्य पर उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि उर्वरक संवर्द्धन निगम की स्थापना द्वारा उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए और समस्त देश में क्षेत्र निकायों की स्थापना करने के पश्चात यह निगम चतुर्थ योजना की समाप्ति से पहले ही एक राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम के रूप में परिणित कर दी जाए। ऐसी कृषि सेवा निगम कार्यक्रम के एक अंश के रूप में कृषि-संभरणों का समन्वय कर सकती है जिससे कि कृषि उत्पादन में सन्तोषजनक परिणाम निकल सके ।

(ग) इस विषय में अन्तिम निर्णय होने में कुछ समय लगेगा ।

अन्तर्राज्य भूमि संरक्षण बोर्ड

4412. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हिमाचल अन्तर्राज्य भूमि संरक्षण बोर्ड से पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र में अथवा हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना के दौरान एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह सतलज वाटर शैड में विलासपुर के समीप बरलाघाट क्षेत्र के बाह्य सीमा सम्बन्धी नक्शे भेजे जहां एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि हम मामले पर विचार कर सकें। बोर्ड को यह भी सलाह दी गई है कि वह ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिये पहले राज्य सरकार से बातचीत करे।

केरल में अंडों का पावडर बनाने का कारखाना

4413. **श्री अ० व० राघवन :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अंडों का पाउडर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां लगाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (शामधर मिश्र) : (क) : जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने चेंगानूर में इस प्लांट की स्थापना का सुझाव दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (QUESTIONS)

काशी एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : मुझे काशी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के बारे में 15 अथवा 16 माननीय सदस्यों से ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई है । मुझे माननीय मंत्री से भी यह सूचना मिली है कि वे स्वत: ही एक वक्तव्य देना चाहते हैं । वे अपना वक्तव्य दे सकते है और उसके बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 25 अप्रैल, 1966 को लगभग 14.23 बजे जब 47 अप वाराणसी-बम्बई एक्सप्रैस गाड़ी जंघई-इलाहाबाद सैक्शन के उग्रसेनपुर स्टेशन से गुजर रही थी तो इंजन चालकों को पीछे देखने पर मालूम हुआ कि कुछ यात्री डिब्बों से कूद रहे है और गाड़ी को रोकने के लिये संकेत कर रहे हैं । इसलिये गाड़ी को तुरन्त रोक दिया गया । तब पता लगा कि तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में, जो इंजन से चौथे नम्बर पर और ब्रेक वेन से आठवें नम्बर पर था, आग लगी हुई है ।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति की मृत्यु उस समय हुई जब उसको चिकित्सा के लिये इलाहाबाद ले जाया जा रहा था । आठ व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए और 25 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई ।

घायल व्यक्तियों का गाड़ी के गार्ड द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया था । इलाहाबाद से एक 'मेडिकल वान' भेजी गई जिसमें चार डाक्टर थे । यह वान 17.15 बजे घटनास्थल पर पहुंची थी । इलाहाबाद के सिविल सर्जन भी तीन एम्बुलैंस गाड़ियों को लेकर वहां पर गये थे ।

एक घायल व्यक्ति को चिकित्सा के बाद घटनास्थल पर ही छुटटी दे दी गई थी । चार घायल व्यक्तियों को फुलपुर सिविल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था और शेष 28 व्यक्तियों को इलाहाबाद के अस्पतालों में दाखिल किया गया था ।

वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

श्री लिंग रेड्डी (चिकबल्लापुर) : क्या यह सच है कि यात्रियों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी परन्तु खतरे की जंजीरे काम नहीं कर रहीं थीं ? यदि हां, क्या गाड़ी रवाना होने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जंजीरें ठीक तरह से काम करती हों ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सत्य है वाराणसी इलाहाबाद सैक्शन पर जंजीर खींच कर गाड़ी रोकने की घटनाएं बहुदा होती रहती थी। इसलिये 1962 मे उस सैक्शन पर यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी फिर भी हम अब वहां पर यह व्यवस्था लागू करने जा रहे है।

प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : वक्तव्य में कहा गया है कि जब गाड़ी फूलपुर स्टेशन से रवाना हुई तो वह बिल्कुल ठीक थी। क्या ऐसा सन्देह है कि यह दुर्घटना तोड़फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं। इसकी जांच की जा रही है। शार्ट सर्किट या अन्य कोई कारण हो सकता है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : According to newspaper reports five persons have died and 35 persons were injured. Which of these two statements is correct?

What alternative arrangement had been made in that train in the absence of alarm chains so that it could be brought to a halt by passengers in case of emergency because the passengers sustained injuries by jumping out of the train?

Dr. Ram Subhag Singh : No alternative arrangement exists there. Because there had been large incidence of chain pulling, this system was discontinued. So far as the number of fatal cases is concerned, I do not want to contradict newspaper reports. But according to our information three persosn have died.

Shri Maurya (Aligarh): Without these chains, even more serious accidents can take place. Because of the fear of a quarrel people do not stop marrying. Do Government propose to introduce this system in all the trains to avoid such serious accidents in future?

Dr. Ram Subhag Singh : I concede to what the hon. Member is saying and that is why we are considering whether or not to have this system again.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : What is the number of deaths resulting separately by jumping out of the train and by being burnt?

Dr. Ram Subhag Singh : Correct information in this regard is not available at the moment.

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : Was the train checked at Varanasi before its departure from that station?

Dr. Ram Subhag Singh : According to the report received from that place the train was carefully checked at that station and upto Janghai Station there were no such indications.

Shri Bagri (Hissar) : What steps Government are taking to ensure that unserviced coaches are not run?

Dr. Ram Subhag Singh : It is always our endeavour not to run condemned Coaches.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : कल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जंजीर खींचने की व्यवस्था को पुन: लागू करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि हम इस व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Whenever there is a railway accident the hon. Minister's reply is that the accident was not due to operational failure. Does it not show their own failure? Why are they now delaying in laying down their Offices?

Dr. Ram Subhag Singh : I admit that had there been alarm chain, this accident might have been avoided. One does not become a minister by his own sweet will. We are prepared to resign if the Parliament wants.

Shri A. P. Sharma (Buxar): May I know whether the persons killed in the accident have been identified and their families informed? In which hospital the injured persons have been admitted for treatment?

Dr. Ram Subhag Singh : They are receiving treatment in the Allahabad hospital. We will communicate this to their families.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The hon. Minister stated that the engine driver stopped the train when he saw the persons jumping out from the train. At what speed the train was running at that time?.

Dr. Ram Subhag Singh : I require notice for that.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह एक एक्सप्रेस गाड़ी थी। इस सभा में निश्चित रुप से यह निर्णय किया गया था कि एक्सप्रेस डाक गाडियों में से जंजीर खींचने की व्यवस्था को नहीं हटाया जाना चाहिये ? क्या मंत्री महोदय अब भी यह महसूस करते हैं कि उनकी असफलता नहीं है ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : 1962 में, जबकि जंजीर खींचने की बहुत अधिक घटनाएं हुई थी जिसके कारण बहुत असुविधा और विलम्ब होता था, यह निर्णय किया गया था कि ऐसे सैक्शनों पर जहां जंजीर खींचने की अधिक घटनाएं होती हैं, जंजीर व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये । दुर्भाग्य से यह एक ऐसा ही सैक्शन निकला, अर्थात बनारस और इलाहाबाद के बीच । परन्तु अब हमने यह निर्णय किया है कि जंजीर व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहिये ।

Shri Yashapl Singh (Kairana) : Whenever there is fire it is always in the third Class Coach and never in the first Class Coach. What are the reasons for this ?

श्री स० का० पाटिल : कुछ वर्ष पहले एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भी आग लगी थी और उसमें इस सभा के एक सदस्य की जान गई थी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल मोटरगाड़ी नियम, 1961

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड(ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस०आर०ओ० संख्या 45/66 की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6134/66 ।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी०एस०आर० 556 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6135/66।]**

(दो) भारतीय मक्का (स्टार्च निर्माण में अस्थायी उपयोग) आदेश, 1966 जो दिनांक 14 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 579 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 6135/66।]**

परिसिमित आयोग अधिनियम, 1961

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 1 बी, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1141 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1963 के भारत के राजपत्र में एस०ओ० 874 में प्रकाशित इसके आदेश संख्या 1 में संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6136/66।]**

(दो) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 2 बी, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1142 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1963 के भारत के राजपत्र में एस०ओ० 2443 में प्रकाशित इसके आदेश संख्या 2 में संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6136/66।]**

(तीन) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 6, जिसके द्वारा गुजरात राज्य में संसदीय तथा विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमायें निर्धारित की गई तथा जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1021 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 6136/66।]**

समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के बारें में वर्ष 1966-67 के लिये अखबारी कागज संबंधी आयात नीति के विषय में सार्वजनिक सूचना

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में वर्ष 1966–67 के लिये अखबारी कागज संबंधी आयात नीति के विषय में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6137/66।]**

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF A MEMBER

(डॉ० सारादीश राय)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे पश्चिमी बंगाल की सरकार, कलकत्ता, से दिनांक 25 अप्रैल, 1966 का निम्नलिखित टेलीप्रिंटर सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"लोक-सभा के सदस्य डा० सारादीश राय को जो भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम 30 के अन्तर्गत निरुद्ध थे, 23 अप्रैल, 1966 की रात को निरोध से रिहा कर दिया गया है।"

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

(102 वां प्रतिवेदन)

श्री अ० चं० गुह (बारासाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—के बारे में प्राक्कलन समिति का 102 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

(50 वां प्रतिवेदन)

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं राजस्व प्राप्तियां, 1965 सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के पैरा 88 के सम्बन्ध में निर्यात संवर्द्धन योजनाओं तथा सम्बद्ध विषयों के बारे में लोक-लेखा समिति का 50 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

(24 वां प्रतिवेदन)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के बारें में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आसाम में रेल दुर्घटनाओं के बारें में
RE : RAILWAY ACCIDENTS IN ASSAM

श्री रंगा : (त्रिचूर) : डा० राम सुभग सिंह आसाम से लौटे हैं। सभा को आसाम में पिछले सप्ताह में हुई घटनाओं की बड़ी चिन्ता है। मेरा निवेदन है कि वे यथा सम्भव शीघ्र सभा में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री दोपहर बाद अथवा कल वक्तव्य दे सकते हैं।

डा० रामसुभग सिंह : मैं मुंह जबानी अभी भी कुछ कह सकता हूं। परन्तु लिखित रूप में उत्तर मैं दोपहर बाद ही दे सकूंगा .....

अध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य तैयार करा लें और तभी वक्तव्य दें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने इसी विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अल्प सूचना प्रश्न के रूप में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं अथवा यह चाहते हैं कि इस विषय पर एक वक्तव्य दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : वक्तव्य दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, वे अपना वक्तव्य कल प्रश्नकाल के बाद दे दें।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वैदेशिक कार्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा होगी।

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई नगर—उत्तर) : प्रधान मंत्री की हाल की विदेश यात्रा एक महान व्यक्तिगत सफलता है परन्तु व्यक्तिगत सफलता को सफल नीति नहीं कहा जा सकता।

मैं विदेश मंत्री को इन दो बातों के लिये धन्यवाद देता हूं एक तो यह कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि तटस्थता की नीति का त्याग नहीं किया जायेगा और दूसरे यह कि वियतनाम संबंधी हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि देश के हितों का बलिदान नहीं किया गया है और न ही नीति में मूल परिवर्तन किये गये हैं। परन्तु हमें वास्तविकता को देखना है। यह एक आम बात हो गई है कि नीति के परिवर्तन के बारे में हमें अपनी सरकार की बजाय सर्वप्रथम विदेशी सरकार से समाचार पढ़ने को मिलते हैं। इससे हमें दुःख होता है और हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हमारे सामने प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा की पूरी रिपोर्ट है और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह इस सभा से कोई महत्व पूर्ण बात छिपाएगी। परन्तु जब संसार के अन्य देशों के नेता बिल्कुल ही विपरीत वक्तव्य देते हैं तो हमें भ्रम होने लगता है।

ऐसा एक उदाहरण यह है कि अमरीका के उप-राष्ट्रपति ने न केवल हमारे प्रधान मंत्री बल्कि भारत सरकार के साथ हुई बातचीत के बारे में टेलीविज़न पर बताया है कि उन्होंने अर्थ-व्यवस्था के विकास और सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचे सम्बन्धी समस्त मामलों पर विचार किया था। आज के समाचार पत्रों में यह सूचना भी निकली है कि श्री ब्लैक विश्व बैंक की ओर से नहीं बल्कि अमरीका के राष्ट्रपति की ओर से यहां आ रहे हैं। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि विश्व बैंक अमरीका का ही दूसरा नाम है। श्री ब्लैक ब्रह्मपुत्र घाटी में हमारी और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजनाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये आ रहे हैं। यह परियोजनाएं 15 वर्ष तक चलेंगी सिंधु नदी के पानी का उदाहरण हमारे सामने है। हम पाकिस्तान को किसी दबाव के कारण नहीं बल्कि मानवीय आधार पर पानी देते रहे हैं। हम ने सिंधु जल करार के अन्तर्गत करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और उस का परिणाम हमें इच्छोगिल नहर के रूप में मिला है। अतः जब तक विश्व में परिस्थितियां नहीं बदल जातीं तब तक हम राजस्थान तथा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेल तथा गैस की खोज अथवा ब्रह्मपुत्र घाटी में विद्युत परियोजनाओं में पाकिस्तान को शामिल करने की बात नहीं सोच सकते। सभा को इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि श्री ब्लैक किस उद्देश्य से यहां आ रहे हैं। जब पी० एल० 480 करार हुआ था तब भी इस सभा को उसका ब्यौरा नहीं बताया गया था। हो सकता है कि उस समय मंत्रिमण्डल के सदस्यों को भी उस की जानकारी न हो। परन्तु सामान्य तथा बुनियादी विचार यह था कि उधार पट्टे सम्बन्धी करारों की तरह पी० एल० 480 करार के उपबन्ध इस देश की मुद्रा स्थिति या अमरीका के सांविधानिक कानूनों में बाधक नहीं होंगे।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जैसे ही अनाज या कपास का आदेश दिया जाता है रुपयों में उसका मूल्य अमरीकी दूतावास के खाते में रिजर्व बैंक में जमा करा दिया जाता है जिसमें से दूतावास $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अपने खर्च के लिये और $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत निजी उद्योगों को ऋण देने के लिये निकाल सकता है। शेष राशि जमा ही रहती है। उसे किसी काम में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उससे मुद्रास्फीति होगी। इस प्रकार उसका नियंत्रण विदेशी हाथों में रहेगा। ऐसा होने के बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा उसमें से कई सौ करोड़ की राशि कई बार निकाली जा चुकी है। इस धन से हमारे यहां जो प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है

वह हमारे देश के सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास में हस्तक्षेप मात्र है और इससे सम्बन्धित लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उचित बात यह होगी कि इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया जाये और देश के कानून के अन्तर्गत कार्य किया जाये।

सरकार द्वारा यह कहा गया है कि खाद्यान्नों का आयात करने में आत्मसम्मान का प्रश्न बीच में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि यह आन्तरिक मामला है और इस सम्बन्ध में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते है।

यह ठीक है कि बिना विदेशी सहायता के आत्म निर्भर नहीं हो सकते हैं किन्तु यह भी सही है कि लगातार विदेशों की सहायता पर निर्भर करने पर भी हम स्वावलम्बी नहीं बन सकते हैं क्यों कि तब सहायता देने वाले देश हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते है और उससे देश की अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुंचती है। हमें आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी हैं जिनसे हम शीघ्र आत्मनिर्भर बन सकें क्योंकि स्वावलम्बन के लिये अनुकूल परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। यदि हम आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर हों और हमारे उत्पादन तथा वितरण के साधन और हमारी साख दूसरों पर निर्भर हो, तो हम न तो स्वतंत्र रूप से ही कार्य कर सकते हैं और न ही हम गुटों से अलग रहने की नीति पर कायम रह सकते हैं।

मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में हमारे देश में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। विदेशों में भारत की जो दयनीय दशा का चित्रण किया जाता है मेरे विचार से वह सही नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि विदेशों में यह कहना उचित नहीं है कि भारत में लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं और देश में हालत बहुत खराब है। यदि हम स्थिति पर वास्तविकता से विचार करें तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। विदेशों में इस प्रकार का प्रचार करना देश को अन्य दशों की नजरों में गिराकर उनका आश्रित बनना है। हमें अपनी आन्तरिक व्यवस्था की कमियों को दूर करना है।

अब मैं गुटों से अलग रहने की नीति के बारे में कुछ कहूंगा। एक ओर तो हम आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे है और अपने उत्पादन और वितरण के साधन और अपनी साख उनके हाथों में सौंप रहे है और दूसरी ओर गुटों से अलग रहने की बात करते हैं। ये दो परस्पर विरोधी बातें हैं। ऐसी अवस्था में हम गुटों से अलग रहने की नीति पर कायम नहीं रह सकते हैं।

साम्राज्यवाद के दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आजकल इसका अर्थ आर्थिक शक्ति का विस्तार है। आज संसार में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है और जब तक यह असंतुलन बना रहेगा, समृद्ध राष्ट्र और अधिक समृद्ध तथा निर्धन राष्ट्र और अधिक निर्धन होते जायेंगे। दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर रहने पर यह असंतुलन बढ़ता ही जायेगा। हमें अपने कारखानों को चलाने के लिये स्वयं अपने साधनों की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा इसका परिणाम भारत के लिये घातक सिध्द होगा। अतः सरकार गुटों से अलग रहने की नीति का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यद्यपि आज हम गुटों से अलग रहने की बात करते है, उसके उद्देश्यों को हमने तिलांजलि दे दी है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अमरीका के अधीन रह कर नहीं, अपितु उसे अपना महत्व बताकर अधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। ब्राजील तथा अन्य देशों का ऐसा अनुभव रहा है।

मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वियतनाम के बारे में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैदेशिक कार्य मंत्री को वियतनाम के बारे में भारत की नीति स्पष्ट करनी चाहिए। बार बार इस बात को दोहराने का कोई महत्व नहीं रह गया है कि वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रधान के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे। प्रधान के रूप में हमारा कुछ और उत्तरदायित्व है तथा एक राष्ट्र के रूप में कुछ और ही है। हम प्रधान के रूप में विश्व को यह न बता कर कि चीन या अमरीका से वियतनाम में कितने हथियार आ रहे हैं, अपना कर्तव्य पालन

[श्री कृष्ण मेनन]

नहीं कर रहे हैं। वियतनाम एक ऐसा एशियाई देश है जहां एक राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे राष्ट्र को उकसाने मे "डलेस सिद्धान्त" सफल रहा है और जहां पर बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों तथा बच्चों की प्रति दिन हत्या की जा रही है।

प्राय: यह कहा जाता है परिस्थितियां बदल गई हैं और अब दो गुटों का अस्तित्व नहीं रह गया है। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। अभी हाल में 'सेंटो' देशों की एक बैठक हुई थी जिसमें ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को किसी बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। श्री भुट्टो ने अमरीका तथा विश्व को स्पष्ट शब्दों में बताया है चीन के साथ पाकिस्तान की सन्धि से अमरीका के साथ पाकिस्तान के सम्बन्धों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है बल्कि इससे एक दूसरे के और अधिक निकट आये हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई और सांठगांठ कर ली है। भारत के लिये सबसे अधिक बुरी बात "इस्लामी पैक्ट" का बनना है। इस्लामी देशों का सम्मेलन 'सेंटो' का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार की सैनिक सन्धियां भारत की सीमा पर की जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन सबका प्रयोग भारत के विरुद्ध ही होगा। हमें न केवल पाकिस्तान का अपितु पश्चिमी राष्ट्रों तथा चीन का भी मुकाबला करना है। यह बात अमरीका के रक्षा मंत्री श्री मेकनामारा के भाषण से स्पष्ट हो जाती है।

हम अभी तक अफ्रीकी-एशियाई देशों के सम्बन्धों को नहीं समझ पाये हैं। हमें उस समय तक काम करते रहना है जब तक भारत को एक शक्तिशाली तथा स्वतंत्र साथी के रूप में न देखा जाये। हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखना है और जो देश उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उनको साथ देना है। हमारे लिये केवल यह कहना काफी नहीं है कि हमने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध मत दिया है। हम अफ्रीका के देशों के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाये हैं जिनसे गुटों से अलग रहने की नीति को बल मिल सके।

हमारी विदेश नीति काफी बदल चुकी है। हमें विदेश नीति के बारे में अन्य देशों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। समय की पुकार है कि हम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें और अफ्रीकी-एशियाई देशों को विश्वास दिलायें कि हम उनके साथ हैं। हम उन्हें बताएं कि हम बैठे बैठे तमाशा नहीं देख रहे हैं। हम एक शक्तिशाली देश हैं, चीन ने हमें पराजित नहीं किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने जो कुछ कहा है, हम उसे भले ही पसन्द न करें किन्तु उनके कथन में वास्तविकता है। इस समय उनके विचार काफी महत्व रखते हैं। हम उनके वक्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान की मत्री से पाकिस्तान अमरीका के अधिक निकट आ गया है, तो हमें बाध्य हो कर इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों पर तीन दिन की चर्चा के दौरान मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार ध्यानपूर्वक सुने। माननीय सदस्यों ने कई बातें उठाई हैं किन्तु मेरे लिये उन सभी बातों का उत्तर देना संभव नहीं हो सकेगा। अत: मैं अधिक महत्वपूर्ण बातों का ही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

हमें सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों के बारे में, विशेषरूप से ताशकन्द घोषणा के बाद, विचार करना है। भारत और पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौते पर दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार करने के लिये हस्ताक्षर किये थे। यह सभी जानते है भारत समझौते का पूरी तरह पालन कर रहा है। पाकिस्तान भी इस समझौते के कई सप्ताह बाद तक इसका समर्थन करता रहा और इसके समर्थन में भाषण देता रहा। इस समझौते के अनुसार दोनों देश इस बात के लिये सहमत थे कि उस मनोवृत्ति को बदलने के लिये काम किया जाय जिसके कारण दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़े हैं। किन्तु कुछ समय बाद पाकिस्तान इस समझौते का पालन करने से पीछे हटने लगा। उसने खुले रूप में ताशकन्द घोषणा के विपरीत भारत विरोधी भाषण देने आरंभ

कर दिये। पाकिस्तान यह भूल गया कि उसने ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे और उसकी शर्तों का पालन करना उसका उत्तरदायित्व है। पाकिस्तान के समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण है इसलिये वे सरकार के विरोध में कुछ नहीं कह सके और उन्होंने भी भारत के प्रति घृणा का आन्दोलन आरंभ कर दिया।

ताशकन्द समझौते की एक शर्त यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के आपसी पेचीदे मतभेद के मामले बातचीत द्वारा सुलझाये जायेंगे। हम दिल से चाहते हैं कि दोनों देश इस समझौते का पूरी तरह पालन करें। इसी भावना से हमने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों देशों के बीच मंत्रि स्तर पर एक बैठक हो और हम बात के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल को लेकर रावलपिंडी गये। हम चाहते थे वे सभी आपसी मतभेद वहां पर बातचीत द्वारा दूर किये जायें जिन पर विचार करना हमने ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत माना था। किन्तु हमने वहां पर यह पाया कि पाकिस्तानी नेता तथा मंत्री ताशकन्द समझौते का पालन करने के लिये कतई इच्छुक नहीं हैं और इस समझौते के अन्तर्गत उन्होंने जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था उसको निभाने के लिये तैयार नहीं हैं। उनका कहना था कि जम्मू तथा काश्मीर का केवल एक मामला ऐसा है जिस पर दोनों देशों द्वारा मिलकर विचार किया जा सकता है और जब तक इस मामले पर बातचीत नहीं की जाती तब तक अन्य मामलों पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पाकिस्तान बार बार जम्मू तथा काश्मीर के मामले को उठाना चाहता है। ताशकन्द घोषणा में यह कहीं नहीं कहा गया है कि दोनों देश अपने सम्बन्धों में सुधार करने के लिये एकमात्र मामले के रूप में अथवा प्रथम मामले के रूप में विचार करेंगे।

रावलपिंडी में पाकिस्तान का यह रवैया देख कर हम यह भावना लेकर वापिस आ गये कि वह ताशकन्द घोषणा की शर्तों का पालन करने को तैयार नहीं है। ताशकन्द घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों देश जब्त की गई सम्पत्ति, सामान्य संचार व्यवस्था तथा विमान सेवा आदि फिर से आरंभ करने तथा अन्य कई मामलों को तय करने के लिये बातचीत करेंगे। किन्तु पाकिस्तान ने इन पर विचार करना उचित न समझ कर ताशकन्द घोषणा की अवहेलना की है। इन सब बातों के होते हुए भी हम बातचीत का मार्ग बन्द नहीं करना चाहते हैं। हम हमेशा बातचीत करने के लिये तैयार है बशर्ते कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करे। यदि पाकिस्तान चाहे तो हम सभी मामलों पर आगे विचार करने के लिये तैयार हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तान की ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि वह इन मामलों पर बात करने का इच्छुक है। केवल यही नहीं अपितु पाकिस्तान भारत को ताशकन्द घोषणा की शर्तों का पालन न करने के लिये दोषी ठहराने का अवसर ढूंढ़ रहा है किन्तु उसे इसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि हम दिल से ताशकन्द समझौते का पालन कर रहे हैं।

चीन को छोड़ कर विश्व के प्रायः सभी देशों ने ताशकन्द घोषणा को शान्ति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और उसकी सराहना की है। चीन ने पाकिस्तानियों में यह भावना पैदा करने का प्रयत्न किया है कि उन्हें इस घोषणा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा उस पर बाध्य होकर हस्ताक्षर किये गये हैं। अपने पाकिस्तान के दौरे के समय चीनी नेताओं ने पाकिस्तान पर यह प्रभाव डाला है कि केवल चीन ही पाकिस्तान का समर्थक है और वही उसकी रक्षा कर सकता है। यह एक विचित्र बात है कि पाकिस्तान सीटो तथा सेंटो का सदस्य होते हुए भी अपनी जनता में यह भावना पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है कि उनका चीन ही एक मात्र परम मित्र है। चीनी नेताओं ने पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी भाषणों तथा प्रचार का अनुचित लाभ उठाया है।

[श्री स्वर्ण सिंह]

पाकिस्तान चीन के अधिक निकट जा रहा है और दोनों देशों के बीच सैनिक सन्धि हो गई है और इस की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दश अब भी जम्मू तथा काश्मीर के मामले में पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। वे इस बात की ओर ध्यान नहीं देते चीन द्वारा पाकिस्तान को टैंक, विमान तथा अन्य सनिक साज सामान दिया जा रहा है। पाकिस्तान में इस सामान का प्रदर्शन भी किया गया है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है चीन जम्मू तथा काश्मीर के मामले में पाकिस्तान का पूरा पूरा समर्थन कर रहा है। हमें इस पर ध्यान पूर्वक विचार करना है।

हम अब भी यह आशा करते हैं कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते की शर्तों का पालन करेगा। इसके लिये हम हमेशा ही प्रयत्नशील रहेंगे। किन्तु इसके साथ साथ हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिये सैनिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अपने देश को सुदृढ़ तथा समृद्ध बनाने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना है।

यह दुर्भाग्य तथा अचम्भे की बात है कि कुछ सदस्य सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार गुटों से अलग रहने तथा उपनिवेशवाद विरोधी नीति के प्रति उदासीन हो गई हैं। हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम हमेशा ही इन नीतियों का पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम इन नीतियों से कभी भी विचलित नहीं होंगे।

जहां तक उपनिवेशवाद विरोधी नीति का सम्बन्ध है, रोडेशिया के प्रश्न के बारे में भारत सदैव स्पष्ट तथा सही रवैया अपनाता रहा है। जैसे ही अल्प संख्यक गोरी सरकार ने एक पक्षीय और गैरकानूनी स्वाधीनता की घोषणा की, हमने रोडेशिया से अपने राजनयिक और आर्थिक सम्बन्ध तोड़ लिये। रोडेशिया के साथ हमारा बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था। किन्तु हमने उसकी कोई परवाह न करके यह कदम उठाया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने इसके विरोध में अनेक वक्तव्य देकर अपने विचार प्रकट किये जिनका सभी अफ्रीकी देशों ने समर्थन किया। हमने मोजम्बीक, अंगोल तथा अरब देशों और विश्व के अन्य भागों में उपनिवेशवाद की अन्तिम निशानियों को शीघ्र समाप्त करने के लिये समर्थन करने के हेतु स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट किये हैं।

समाचारपत्रों में प्रकाशित ये समाचार बिल्कुल गलत हैं कि हमने अमरीका को सूचित किया है कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में वियतनाम के सम्बन्ध में हमने जो विचार प्रकट किये है वे सही नहीं हैं। इस समाचार में भी कोई सचाई नहीं है कि प्रतिवेदन में वियतनाम के सम्बन्ध में हमारे विचार व्यक्त करने के लिये किसी अधिकारी की निन्दा की गई है। हमने वियतनाम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में यह बात स्पष्ट कर दी है कि वियतनाम समस्या का कोई सैनिक हल नहीं हो सकता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों दल जनेवा समझौते का पालन न करने के बारे में एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं परन्तु फिर भी आशा की एक झलक दिखाई देती है कि दोनों दलों में इस समझौते के आधार पर बातचीत आरम्भ हो जायेगी। हमारा सदा यही विचार रहा है कि वर्तमान संघर्ष को जनेवा समझौते के आधार पर ही हल किया जा सकता है। हम यह दावा तो नहीं करते कि हमें सदा सफलता मिली है परन्तु दोनों दलो में बातचीत आरम्भ कराने में हम कभी भी हिचकिचाते नहीं है। हम विभिन्न सरकारों से संपर्क बनाये हुये हैं और बातचीत आरम्भ कराने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस मामले में अमरीका सरकार का क्या रवैया है परन्त मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यद्यपि अमरीका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे परन्तु उन्होंने ऐसे कई वक्तव्य दिये हैं जिस में उन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसमें यह कहां गया हो कि वे इस समझौते को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। (अन्तर्बाधा) इस मामले में हमारा रवैया तथा नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले का कोई भी हल जनेवा समझौते को आधार मान कर ही

तलाश किया जा सकता है। इस मामले को सैनिक शक्ति से हल नही किया जा सकता। किसी एक देश द्वारा दूसरे देश में सैनिक रखे जाने के हम सर्वथा विरुद्ध हैं। यह सब कुछ प्रतिवेदन में बताया गया है।

हम अरब देशो के साथ सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ कर रहे है। हमें प्रसन्नता है कि भारत पाक संघर्ष के बारे में भी अरब देशो ने व्यावहारिक रवैया अपनाया है। हो सकता है कुछ अरब देश हमारे दृष्टिकोण से सहमत न हों परन्तु हमने अपना दृष्टिकोण सब को बता दिया हैं। हम संयुक्त राष्ट्र में तथा दूसरे कई क्षेत्रो में मिलकर तथा मित्रतापूर्ण ढंग से कार्य करते है। हमे अपने सम्बन्धों को अधिक अच्छा बनाना है।

यह कहना गलत है कि हम मुस्लिम देशों में केवल मुसलमानों को ही राजदूत बनाकर भेजते हैं। 13 अरब देशो में से केवल 3 अरब देशों में हमारे राजदूत मुस्लिम जाति के हैं। दूसरे 23 गैर-अरब मुस्लिम देशों में से केवल 6 देशों में हमारे राजदूत मुस्लिम जाति के हैं। राजदूत की नियुक्ति करते समय हम सामुदायिक विचारो को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लाते। राजदूत के पद पर नियुक्ति करते समय सम्बन्धित व्यक्ति की कार्यकुशलता को ही ध्यान में रखा जाता है।

विदेशों सम्बन्धी सेवा के कार्य के पुनर्विलोकन के लिये हमने एक समिति बनाई है। आशा है कि इस समिति के प्रतिवेदन से हम अपनी विदेशों सम्बन्धी सेवा तथा विदेशों में स्थित अपने मिशनो के कार्य में सुधार कर सकेंगे। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विदेशों में सहित मिशनों के कार्य की जो आलोचना की गई है वह उचित नहीं ह। प्रश्नावलि को अधिकांश सदस्यों में बांटा गया है और उस बारे मे प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है कुछ सदस्यों को शिकायत है कि प्रश्नावलि उनको नहीं दी गई है। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि प्रश्नावलि अधिक से अधिक सदस्यों को मिले। वैसे भी जो लोग अपनी सलाह देना चाहे दे सकते हैं हम इस पर पूरी तरह ध्यान देंगे। श्री मनोहरन ने कहा है कि एक विशेष अवसर पर एक दूसरे देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा था कि भारत के राजदूत ने हमे पहले कभी यह बात नहीं बताई है। मैं इस बात का पता करूंगा। अच्छा होता यदि माननीय सदस्य यह बात मुझे अपनी यात्रा से आने के तुरन्त पश्चात ही बता देते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपने नेता श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुख्यालय तथा विदेशों में स्थित हमारे मिशनो में कार्य करने वालों ने अच्छा कार्य ही किया है। हमारे लिये यह एक नया क्षेत्र था फिर भी हमने इस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य किया है और हम महत्वपूर्ण कार्य करते रहेंगे। जहां तक चुनाव तथा प्रशिक्षण का सम्बन्ध है भारतीय विदेशी सेवा पुनर्विलोकन समिति इस विषय पर अपना प्रतिवेदन देगी, परन्तु इस बीच यदि कोई सदस्य कुछ सुझाव देना चाहे तो हम उन पर प्रसन्नता से विचार करेंगे।

विदेशों मे प्रचार के मामले पर हम समाचारपत्रों, रेडियो तथा दूसरे ऐसे साधनों पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। कुछ अन्य कार्यवाही भी की जायेगी। जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है विदेशों में प्रचार सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। आशा है कि इस प्रतिवेदन मे दिये गये सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा ताकि हम अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ उठा सके और चीन तथा पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण प्रचार को निष्प्रभाव कर सके।

जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ हम अपने सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। आशा है कि हम शीघ्र ही वहां पर राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय स्थापित कर देंगे जिससे हमारा व्यापार उनके साथ बढ़ जायेगा। इस समय, इसके अलावा, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम अधिक कार्यवाही करें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपूर): यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इसराइल या ताइवान के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे तथापि उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने पख्तुनिस्तान सम्बन्धी आन्दोलन अथवा तिब्बत में मानवीय अधिकारों के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने श्री कृष्ण मेनन द्वारा उठाये भारत-अमरीकी

[डा लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

शिक्षा प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण मामले के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक समय था जब अमरीका दस भारतीयों तथा नौ अमरिकनों के आधार पर यह प्रतिष्ठान गठित करने को तैयार था परन्तु अब स्थिति यह है कि प्रबन्ध में दोनों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। इस से पूर्व अनुदानों पर मतदान हो इस सब मामलों पर प्रकाश डाला जाना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रस्तावित भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान की सराहना नहीं की गई है। जैसा कि आप जानते हैं पी०एल० 480 के अन्तर्गत मंगाये गये अनाज तथा खाद्यान्न तथा दूसरी वस्तुओं के लिये रुपये मे भुगतान किया जाता है। इस रुपये के प्रयोग के बारे में पी०एल० 480 की सप्लाई से सम्बन्धित करारों में बताया गया है। इस रुपये में से औसतन 80 प्रतिशत रुपया भारत सरकार को वित्तीय परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये दे दिया जाता है। पी०एल० 480 निधि में से शिक्षा के लिये एक प्रतिष्ठान स्थापित करने का इरादा एक वर्ष पूर्व बनाया गया था। हमारा इरादा यह है कि प्रतिष्ठान के लिये दी गई राशि सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई जायेगी जिससे कि अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव न पडे। इस नियम के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा इसके प्रयोजनों के लिये इस राशि पर अर्जित होने वाले ब्याज की राशि ही प्रयोग में लाई जायेगी।

चूंकि इस प्रकार लगाई जाने वाली राशि 30 करोड़ डालरों के बराबर होगी, इसलिये व्यय के लिये सामान्यरूप से पांच या छः करोड़ रुपये उपलब्ध किये जायेंगे। अनुसंधान अथवा विशेष प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों जैसे प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली राशि से ऐसा नहीं हो सकता कि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। यह तर्क देना बहुत अनुचित है। समझौता करते समय हम पर्याप्त रक्षोपाय सुनिश्चित करेंगे। जब तक कोई समझौता न हो जाये उस पर संसद् में चर्चा नहीं हो सकती। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे तर्क करते समय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों को आधार न बनायें। अभी इस मामले को अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

श्री भागवत झा आजाद ने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है कि इस कार्य को शिक्षा मंत्रालय को क्यों नहीं सौंपा जाता। मेरा विचार है कि इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय तथा अमरीकी सरकार के बीच बातचीत होती रही है और यही इस प्रकार के संयुक्त न्यास तथा संयुक्त प्रतिष्ठान को ही उचित समझा गया है। इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

हमने आर्थिक विकास, कारखाने लगाने तथा ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों मे विदेशों से सहायता ली है। दूसरा दल हमे अपने अनुभव के बारे में बता सकता है, अपने सुझाव दे सकता है परन्तु अन्ततः निर्णय हमने ही करना है। किसी को भी यह सन्देह नहीं रखना चाहिये कि ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस अथवा रुस से सहायता लेते समय हम आर्थिक क्षेत्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की वास्तविक शक्ति अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने में ही है। परन्तु जब हम विदेशों से सहायता लेकर तेजी से अपना विकास कर सकते है तब हमें इस सहायता का लाभ उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिये। इसके साथ साथ हम अपनी स्वतंत्रता, प्रयुक्ता का सौदा नही करेंगे और नही अपनी मूल नीतियों मे परिवर्तन करेंगे।

इसराइल के बारे में हम समय समय पर अपनी नीति पर सावधानी से विचार करते रहते हैं परन्तु मेरा विचार है कि हम वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन नही कर सकते।

फार्मोसा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेम केवल साम्यवादी चीन को ही मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।/
All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई । */The following Demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
16	वैदेशिक कार्य	14,41,69,000
17	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	5,10,82,000

लोहा तथा इस्पात मंत्रालय

वर्ष 1966–67 के लिये लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
65	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय .	27,90,000
66	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का अन्य राजस्व .	6,13,50,000
131	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	25,66,67,000

श्री बूटा सिंह (मोगा) : लोहा तथा इस्पात उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि मशीनरी, टूल और औज़ार, परिवहन सम्बन्धी उपकरण, सड़के तथा पुल, सिंचाई और विद्युत् के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग होता है ।

तीसरी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास के लिये 640 रुपयों की व्यवस्था की गई थी । इस योजना में लोहा तथा इस्पात के बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे परन्तु हम ये लक्ष्य प्राप्त करने में बिल्कुल असफल रहे है ।

समाचार पत्रों में प्रति दिन यह समाचार प्रकाशित होते है कि सरकारी क्षेत्र के सब से बड़े एकक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में न केवल कुप्रबन्ध है बल्कि वह राजनीति का आखाड़ा भी है । गैर-सरकारी क्षेत्र में भण्डार नहीं जमा हो रहे है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में बड़े बड़े भण्डार जमा होने का क्या कारण है ।

मैं मंत्री महोदय से प्रबन्ध तथा सरकारी क्षेत्र के इन तीनों कारखानों की योजनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है कि रूरकेला की हाट रोल्ड कायल में मंदी आ गई है और 50,000 टन निर्यात के लिए निर्धारित किये गये है । मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियां बनाने की क्षमता बढाकर पांच लाख टन कर दी गई है जबकि उसके पास उसके लिए केवल 150,000 टन का ही आदेश है ।

कचे लोहे के भण्डार साथ साथ जमा हो रहे हैं । सरकार ने रुस से कच्चा लोहा खरीदा है और वह अपने भण्डारों का प्रयोग नहीं कर सकी है । लोहा और इस्पात मंत्रालय में आयोजन व्यवस्था बहुत ही त्रूटिपूर्ण है । मंत्रालय में नीति ऐसे लोग बना रहे हैं जिन्हे इस्पात बनाने का कोई अनुभव नही है । सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रबन्ध के लिए कोई स्वतन्त्र तथा आर्थिक मूल्यांकन प्राधिकार स्थापित नही किया गया है । कारखाने चलाने के लिए आवश्यक अनुभव के अनुसार निदेश दिये जाने चाहियें । मंत्री महोदय को मुख्य कार्यालय में आदेश देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने के साथ

[श्री बूटा सिंह]

साथ वहां रेलवे बोर्ड की तरह कारखानों के अनुभवी अधिकारी लगाने पर विचार करना चाहिये। इससे दोनों के बीच वास्तविक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता मिलेगी तथा महा-प्रबन्धकों में विश्वास पैदा हो जायेगा कि उनकी समस्याओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार होता है।

क्या यह सच है कि निदेशक बोर्ड के सदस्य विभिन्न इस्पात कारखानों के महाप्रबन्धकों से सेवा के मामले में कनिष्ठ है अथवा उन जैसे ही वरिष्ठ हैं हैं? क्या यह भी सच है कि केवल एक अथवा दो निदेशक बैठक में भाग लेते हैं? मंत्री महोदय को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा विभिन्न सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिये।

लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
65	7	श्री अ०व०राघवन	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अधिक उत्पादन व्यय .	100
	8	,,	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में व्यय कम करने की आवश्यकता।	100
65	9	,,	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हुई भारी हानि। .	100
	10	,,	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यचालन पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव।	100
65	11	,,	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में होने वाला व्यर्थ-व्यय न रोकना।	100
	12	,,	भिलाई इस्पात संयंत्र से छंटनी किये गये कर्मचारियों की सेवाये बोकारो इस्पात संयंत्र में उपयोग करने की आवश्यकता।	100
65	13	,,	विभिन्न उत्पादन एककों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब।	100
	14	,,	रेलवे इंजन खरीदने में विलम्ब, जिसके परिणामस्वरुप यातायात में बाधायें पड़ी है और भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन गिरा है।	100
65	15	,,	भिलाई इस्पात संयंत्र में निर्मित पटरियों का बड़े पैमाने पर अस्वीकार किया जाना।	100
	16	,,	भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की अत्याधिकता।	100
65	17	,,	कच्चे माल का पर्याप्त भंडार न रखने के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विभिन्न एककों को चालू करने में हुआ असाधारण विलम्ब।	100
65	18	,,	रोलिंग मिलों द्वारा निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में विलम्ब और इस्पात पिंडों का जमा हो जाना।	100

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन इस्पात के उत्पादन तथा उपयोग से किया जाता है। हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नये इस्पात कारखाने आरम्भ करके आर्थिक स्वतन्त्रता की नींव डाली है। यह संतोष का विषय है कि हम धीरे धीरे अपने तक्नीशियनों को प्रशिक्षण दे रहे है और हमारे इस्पात कारखानों को चलाने वाले अधिकांश कर्मचारी बहुत हद तक योग्य हो गये है। बोकारों के लिये भी तक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि पांचवां इस्पात कारखाना चौथी योजना के दौरान कार्य आरम्भ कर देगा। जब तक वह कारखाना स्थापित नही हो जाता, तब तक हमारे लिए नैशनल कौंसिल ऑफ एप्लाईड ईकोनामिक रिसर्च तथा लोहा और इस्पात के बारे में स्टियरिंग ग्रुप द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं।

सरकार ने सभी बातों का ध्यान रखते हुए पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का कार्य भारत के लिए ब्रिटिश अमरीकी इस्पात कारखाना बनाने वाले सार्थ संघ को सौंपा था। उसने विशाखापटनम, बेलाडिला, होसपेट, गोआ, सैलम तथा नेवेली में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन किया और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभी संगत बातों को ध्यान मे रखते हुये उसने उपलब्ध स्थानों में से विशाखापटनम को चुना है। उस स्थान को सार्थ संघ ने इस लिए चुना है क्योंकि वहां बहुत कम धन व्यय होगा। तट के निकट कारखाना निश्चय ही समय के अन्दर चालू किया जा सकता है। ऐसे भारी तथा बड़े संयंत्र देश के अन्दर लाने ले जाने की आवश्यकता से बनकर किया जा सकता है। लम्बे और अधिक खर्च वाले आन्तरिक परिवहन की बजाये कम दूरी के कारण रुपये की काफी बचत हो सकती है। सड़कों पर पुलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ विशाखापटनम में कारखाना शीघ्रता में स्थापित किया जा सकेगा और विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आय हो सकेगी। विशाखापटनम जैसे गहन समुद्र स्थान पर अमरीकी तथा अन्य यूरोपीय देशों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में आसानी होगी क्योंकि तट के निकट कारखाना बनाना सदा ही अच्छा रहता है।

धातुकार्मिक तथा कोकिंग कोयले की कमी से कठिनाई पैदा हो सकती है और भविष्य में हमें आस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ सकता है। समय समय पर आवश्यकता पड़ने वाले कच्चे माल के आयात के लिए भी पत्तन के पास कारखाना बहुत अच्छा होगा।

जब हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादूर शास्त्री हैदराबाद में गये थे तो लाखों लोक उनका भाषण सुनने के लिये गये। उन्होंने प्रधान मंत्री के सम्मुख अपनी शिकायतें रखीं। उन्होंने वहीं कह दिया था कि वह विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे। इसलिये यदि वहांके लाखों लोगों को आश्वासन देने के बाद उसकी उपेक्षा की जाये तो मालूम नहीं, उसके क्या परिणाम होंगे। आन्ध्र प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां के लोगों की उचित मांग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। यदि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासन के बाद भी सरकार यह मांग स्वीकार नहीं करती तो आंध्र प्रदेश मे होने वाली अप्रिय घटनाओं के लिए वह जिम्मेदार होगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से एकबार फिर निवेदन करूंगी कि इन बातों पर विचार करके पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने के मामले में शीघ्र निर्णय करेंगे।

श्री दाजी (इन्दौर) : लोहा तथा इस्पात मूलभूत उद्योग है जिसपर देश का समूचा आर्थिक विकास निर्भर करता है। यदि किसी देश को इस्पात के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है तो वह औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिये हमें इस्पात के लक्ष्य में वृद्धि करनी होगी। आयोजन में इस्पात को आवश्यक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

बोकारो पर अधिक व्यय की आलोचना ठीक नहीं है क्योंकि हम पहली बार इस्पात कारखानों जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये बोकारों में नये क्षेत्रों का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आरम्भ में भारतीय माल की उत्पादन लागत कुछ अधिक है और वहां उत्पादन

[श्री दाजी]

पर अधिक लागत आने का यह एक कारण है। हम कुछ क्षेत्रों में मितव्ययता कर सकते हैं और बोकारो में लागत कम की जा सकती है ताकि बोकारो में बनने वाला इस्पात लोगों को सस्ता उपलब्ध हो सके।

हिन्दुस्तान स्टील अपने वर्तमानरुप में बोकारो की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। हम इसके ढांचे के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं कर सके। जबतक सरकार उसके ढ़ांचे के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर लेती तब तक उसके काम में सुधार नहीं हो सकता।

एक ही कारखाने में अर्थात दुर्गापुर में कच्चे माल में एक करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होती है। भिलाई में 1,20,000 टन लौह अयस्क ठेकेदारों को 8.50 रुपये के लगभग की दर से दे कर उन्हें 10 लाख रुपये उपहार के रुप में दे दिये गये हैं। इसके लिए केवल ठेकेदार ही ज़िम्मेवार नहीं हैं। इसमें उच्च अधिकारियों का भी हाथ है। सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की इस प्रकार की लूटमार के कारण सरकारी क्षेत्र का नाम बदनाम हो गया है। ऐसे मामले में ज़िम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिये और दण्ड दिया जाना चाहिये।

दुर्गापुर कारखाना तथा दामोदर घाटी निगम दोनों सरकारी क्षेत्र में है परन्तु उनमें गैस की दर के बारे में फैसला नहीं हो सका है। दुर्गापुर कारखाना गलत आयोजन, गलत कार्य संपादन तथा निर्माण करने वाले ठेकेदारों की उपेक्षापूर्ण कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है, वहां सब से अधिक लाभ देने वाला विभाग एक्सल व्हील संयंत्र निर्धारित क्षमता का 57 प्रतिशत कार्य कर रहा है। जब तक ऐसा होगा, उस कारखाने में लाभ नहीं हो सकता।

यदि हम बोकारो में भारतियों द्वारा निर्माण कर सकते हैं तो दुर्गापुर में अंग्रेजी फर्म को ठेका क्यों दिया जा रहा है। राची कारखाना समूह अपने संयंत्र बना सकता है और विस्तार कार्य कर सकता है। भविष्य में बनने वाले कारखानों में ऐसे ठेके नहीं दिये जाने चाहिये।

एक वर्ष पूर्व प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये बीसवें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार को ध्यान से विचार करना चाहिये। समिति ने सिफारिश की थी कि गैर-सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की भान्ति एक कर्मचारी आयोग बनाना चाहिये जिससे भर्ती के सम्बन्ध में नीति युक्तियुक्त बनाई जा सके। सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के बारे में समिति तथा सभा को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

हम विदेशी पूंजी लगाये जाने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु धन लगाने वाले विदेशी हमारी अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशियों की कार्य-प्रणाली बिलकुल गलत है। एक जर्मन व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक 'जर्मन रुडकेला' में लिखा है। कि वे भारत में अपनी पत्नियां नहीं लाते तथा वे नौकरानियों के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित किये हैं। उससे पता चलता है कि जर्मन वहां कितना गन्दा खेल खेल रहे हैं। सरकार इसे रोक क्यों नहीं रही है। हमें भूखे रहना स्वीकार है परन्तु ऐसी पूंजी लेने से इन्कार कर देना चाहिये जिससे हमारा देश बदनाम हो।

विश्व बैंक इस बात के लिये हम पर जोर दे रहा है कि हम सभी प्रकार के लोहे से नियंत्रण हटा दें। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है। लोहे और इस्पात के मूल्यों का प्रभाव दूसरे उद्योगों पर भी पड़ता है इसलिये मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लोहे तथा इस्पात के मूल्यों के बारे में सरकार की क्या नीति है। हम अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। भिलाई इस्पात कारखाने के लेखे से पता चलता है कि उसमें मामूली हानि हुई है परन्तु यह हानी कच्चे लोहे के उपादन के कारण हुई। टाटा तथा बर्ड एन्ड कम्पनी ने कच्चे लोहे का उत्पादन करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि कच्चा लोहा सस्ता होता है तथा

उसमें लाभ भी कम होता है। संतुलन पत्र में यह बात बताई जानी चाहिये कि राष्ट्र हितों के कारण इस कम्पनी को यह कार्य करना पड़ा जिस कारण उसको हानि उठानी पड़ी है। सरकार को इन उपक्रमों को किसी प्रकार की सहायता करनी चाहिये।

मूल्यों में वृद्धि से सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक लाभ हुआ है क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अधिक नहीं है। सरकार को लागत के बारे में अध्ययन कराना चाहिये और इसके पश्चात सरकार को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लागत सम्बन्धी ढांचे के बारे में अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हम केवल उसी समय प्रगति कर सकते हैं जबकि हम अपनी पिछली गलतियों को ठीक करें तथा पिछले अनुभव से कुछ सिखें।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : औद्योगिक विकास के लिये लोहे तथा इस्पात का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि लोहे तथा इस्पात के वितरण पर वह कड़ी निगाह रखे। ऐसा सुना गया है कि कच्चा लोहा तथा इस्पात केवल कोटाधारियों को ही दिया जाता है जोकि इसका उचित उपयोग नहीं करते हैं और कि छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा लोहा तथा इस्पात उपलब्ध नहीं किया जाता है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह छोटे पमाने के उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों के लिये वितरण के बारे में विशेषरुप से निगाह रखे।

यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने दो करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। रूरकेला के उर्वरक सम्बन्धी विभाग में कुछ हानि हुई है अन्यथा लाभ इससे भी अधिक होता। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी क्षेत्र में लोहे तथा इस्पात के लगभग सभी कारखानों का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है और आशा की जा सकती है यह इस वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष के मध्य में किसी समय पूरा हो जायेगा।

माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुर्गापुर कारखाने की चौथी धमन भट्टी चालू हो गई है क्योंकि इसके मार्च, 1966 में चालू होने की आशा थी।

कुछ हद तक यह भी उत्साहवर्धक बात है कि रांची में हैवी इंजीनियरिंग 43 प्रतिशत उपकरणों तथा 65 प्रतिशत ढांचों की व्यवस्था करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा देश कबतक स्वावलम्बी हो जायेगा।

यह भी एक अच्छी बात है कि विशेष इस्पात के लिये आवश्यक मिश्रधातु के उत्पादन को देश में बढ़ाया जा रहा है। रांची में सैन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ब्यूरो का प्रथम दर्जे के डिज़ाइन ब्यूरो के रुप में विकास किया जाना चाहिये ताकि इंजीनियरों, तकनीशयनों तथा वैज्ञानिकों को आरम्भ से ही कार्य करने का अवसर मिले सके और औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिये वे उच्च योग्यता के विशेषज्ञ बन सके। लोहे में असन्तुलन दूर करने के लिये सरकार ने भद्रावती में प्रतिवर्ष 120 टन तक उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी योजना का अनुमोदन करके काफी उत्साहवर्धक कार्य किया है। ऐसा पता लगा है कि लोहे तथा इस्पात के चौथी योजना के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनपर अब पुनः विचार किया जा रहा है।

इस बात पर बहुत मतभेद है कि पांचवे इस्पात कारखाने को कहां पर स्थापित किया जाये। आंग्ल-अमरीकी सार्थ संघ को इस मामले की जांच के लिये कहा गया था। उन्होने कई स्थानों को उचित बताया था। इस समय उनका प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई कारणों से होस्पेट बहुत अच्छी जगह है। वहांपर लगभग 200 करोड़ मीट्रीक टन अत्यधिक मूल्यवान लोह-अयस्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विद्युत, मीठा पानी तथा भूमि भी कारखाना लगाने के लिये उपलब्ध है। मैसूर राज्य के बीजापूर के पड़ोसी जिले में तथा आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में चुने की पत्थर भी उपलब्ध है। सामरिक, सैनिक तथा प्रतिरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी होसपेट सबसे अच्छी जगह है और वहां पर सभी सुविधायें भी उपलब्ध है। इस समय लोहे तथा इस्पात के लगभग सभी कारखाने बिहार, बंगाल तथा मैसूर में स्थित

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम]

हैं। दक्षिण में उद्योगों के विकास हेतु यह आवश्यक है कि वहां भी लोहे तथा इस्पात के कारखाने स्थापित किये जायें। वितरण के उद्देश्यों को देखते हुए भी होसपेट ही सबसे उपयुक्त स्थान दीख पड़ता है, क्योंकि वह मध्य में स्थित है और मोटर तथा बड़ी लाइनों से देश के साथ मिला हुआ है।

मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जापान जैसा देश जोकि लोह-अयस्क, कोयले तथा दूसरी चीजों का निर्यात करता है विश्व बाजार में लोहा सस्ते दामों पर बेचता है। हो सकता है कि जापान में आधुनिक मशीनें तथा दूसरे लाभ उपलब्ध हों परन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम भी आधुनिक तथा नये कारखाने लगा रहे है और कि हमारा लौह-अयस्क विश्व में सबसे अच्छी किस्म का है और कि हमारे यहां कोयला भी उपलब्ध है। इन सब बातों के बावजूद हमारे यहां लोहे सम्बन्धी उत्पादन लागत विश्व के दूसरे देशों की तुलना में अधिक है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। पता लगा था कि भूतपूर्व मंत्री श्री संजीव रेड्डी ने इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी। सरकार को इस समिति की जांच के परिणामों के बारे में सभा को जानकारी देनी चाहिये।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : हम भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के बारे में चर्चा कर रह हैं। देश में उद्योगों के तेजी से विकास के लिये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को महत्वपूर्ण योग देना है। देश में इस्पात के उपयोग को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा देश इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने देश में इस्पात मिलों के कार्यसंचालन के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

हिन्दुस्तान स्टील में अधिकतम पूंजी लगाई गई है परन्तु दुर्भाग्यवश तीनों इस्पात कारखानों के कार्य का अधिक्षण करने में मंत्रालय ने बिल्कुल भी रुचि नहीं ली है। कारखानों के प्रबन्ध में कई कमियां हैं। निदेशकों की बैठक में 50 प्रतिशत से कम लोग उपस्थित होते हैं। केवल उन निदेशकों को रखा जाना चाहिय जो उपक्रमों के कार्य में वास्तविक रुप से रुचि लेते हों।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस्पात कारखानों के कार्य का अध्ययन किया है और उनको वहां कई कमियों का पता चला है। इस्पात कारखानों के विस्तार कार्य में भी विलम्ब हुआ है। इन कारखानों को चालू करने में भी कई बाधायें पेश आई हैं। प्रतिवेदन से पता लगता है कि लोह-अयस्क के ढोने के कार्य में लगे डीजल इंजन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

इस समय जबकि हमारे सामने विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति है लाखों करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके फालतू पुर्जे मंगवाये गये है जोकि बेकार पड़े हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये। चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों पर भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अपव्यय किया गया है। सरकारी उपक्रमों का कार्य संतोषजनक नहीं है इसलिये इसमें सुधार किया जाना चाहिये और इस बातको सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे सरकारी धन का अपव्यय न हो।

भिलाई इस्पात कारखाने से मजदूरों को निकाला जा रहा है। भूतपूव मंत्री ने यह विश्वास दिलाया था कि इन तकनीकी मजदूरों को बोकारों के कारखाने तथा दूसरे स्थानों में नियुक्त किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इन तकनीकी व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय पूल बनाया जायेगा और भविष्य में स्थापित किये जाने वाले कारखाने में इन लोगों की सेवाओं से लाभ उठाया जायेगा। परन्तु बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। इन लोगों को पर्याप्त अनुभव है और इनके अनुभव से बोकारो तथा दूसरे लगाये जानेवाले कारखानों में लाभ उठाया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवदन करता हूं कि वह स्वयं इस मामले की ओर ध्यान दें।

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 1957 में इस्पात का उत्पादन केवल 1.26 लाख टन था। 1957 से 1966 तक की अवधि में इस्पात उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की

की है तथा इस समय देश में 60 लाख टन इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता है। सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। 1966 के अन्त तक या 1967 के आरम्भ में इस्पात का उत्पादन 8.9 लाख टन हो जायेगा। इन आंकड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि हमारे इस्पात उद्योग ने काफी प्रगति की है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

नियंत्रण लागू करने तथा हटाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये राज समिति के नाम की एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने नियंत्रण हटाने के बारे में निर्णय लिया है। इस्पात की 70 से 80 प्रतिशत मदों से नियंत्रण हटा दिया गया है। सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है और यदि आवश्यक हुआ तो वह आवश्यक कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचायेगी। बाजार में वे सभी उन मदों की सभी चीजें उपलब्ध हैं जिनपर से नियंत्रण हटा गया है।

यह सच है कि इस्पात कारखानों में विशेषकर "फिश प्लेट्स", "स्लीपर" और रेलों की भरमार है। इन मदों की मुख्यता मांग रेलवे से होती है। इस वर्ष रेलवे ने अपने बजट में काफी कटौती कर दी है जिस कारण यह माल मिलो में पड़ा हुआ है। इन चीजों को निर्यात करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस समय नालीदार चादरों की कमी है इसलिये इनपर अभी निमंत्रण नहीं हटा गया है। कच्चे लोहे के बारे में स्थिति बहुत अच्छी है और अब हम किसी सीमा तक इसके निर्यात के बारे में सोच सकते हैं। यह कहना गलत है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिश्रित इस्पात के कारखाने लगाये जा रहे है। जहांतक "फ्लैट" इस्पात का सम्बन्ध है इसका उत्पादन बोकारों में लगाये जाने वाले कारखाने में किया जायेगा। इस समय दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने में लगभग 60,000 टन मिश्रित इस्पात का उत्पादन हो रहा है। भद्रावती स्टील वर्क्स के नरम इस्पात का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस कारखाने के सभी एककों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। इस नरम इस्पात को मिश्रित इस्पात में बदलने का कार्यक्रम भी आरम्भ कर दिया गया है। आशा है कि 1967 तक दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात का कारखाना पूरी क्षमता से कार्य चालू कर देगा। भद्रावती का कारखाना भी 1968 तक पूरा उत्पादन शुरू कर देगा। इस कारखाने में लगभग 77,000 टन मिश्रित इस्पात का उत्पादन होगा।

आशा है कि चौथी योजना में मिश्रित इस्पात की मांग लगभग पांच लाख हो जायेगी। इस बातको ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के कारखानों के अतिरिक्त हमने गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लगभग 14 लाइसेंस दिये गये है। गैर-सरकारी क्षेत्र में मिश्रित इस्पात के कारखानों के विकास के बारे में समय समय पर हम स्थिति का पुनर्विलोकन करते रहते हैं। यदि हम देखते है कि कुछ पार्टियां अपेक्षित स्तर तक कार्य नहीं कर रही हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं। इस बारे में हम प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं।

हम दुर्गापुर इस्पात कारखानेके और अधिक विस्तार पर भी विचार कर रहे हैं। जिससे चौथी योजना में मिश्रित इस्पात के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। जहांतक रोलिंग उद्योग का सम्बन्ध है यह ठीक है कि "बिलेट" की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है। री-रोलिंग कि बहुत सी मिले रद्दी माल का प्रयोग करने हतु बनाई गई थी। परन्तु सरकार के स्पष्ट निदेशो के बावजूद भी बहुत सी री-रोलिंग मिले "बिलेट" की मांग कर रही है।

[श्री प्र० चं० सेठी]

मिलों की क्षमता का अनुमान लगाने तथा इस मामले की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी है। प्रतिवेदन की प्राप्ति पर कोई निर्णय लिया जायगा।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : It is a matter of great regret that large amount have been invested in the Public Sector Steel Plants without making the best use of it. Inspite of the fact that eight hundred crores of rupees have been invested in the Hindustan Steel Ltd., it is suffering heavy losses. It reveals that there is some defect some-where.

Fixed target of 25 lakh tons of steel in the Bhillai Steel Plant has not been achieved and it is also not expected to achieve its targets in the next two years. If this thing is allowed to continue then the targets of the Fourth Plan would be achieved in Fifth Plan.

Government should not jump up on the other project until one in hand is completed. The work already taken in hand should be completed first. Government should also ensure the tax-payers to the effect that proper use is being made of their money. Mostly foreign engineers have been employed in the Public Sector Steel Plants. Communists have also their influence in these Plants. I would like to request that these Plants may be cleared of from foreigners and Communists influences. Only then we can hope for the better functioning of these Steel Plants.

Our own engineers and other technical persons should be given proper encouragement.

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपूर) : जब तक देश में उद्योग का उचित विकास नहीं किया जाता हम दूसरे देशों के साथ किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुविज्ञात है कि उड़ीसा राज्य राजनैतिक, सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। रूरकेला के इस्पात कारखाने से वहां के लोगों को बहुत आशायें थी जोकि पूरी नहीं हो सकी हैं। आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के जिन लोगों से इस कारखानों के लिये भूमि ली गई थी उनको भी इस कारखाने में रोजगार नहीं दिया गया है।

मंत्रालय के विशेषज्ञ तथा इस प्रश्न की जांच करने वाले लोगों ने तथा इस बारे में समाचारपत्रों में लिखने वालों ने कहा है कि उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने की अधिक गुंजाइश है। वहां खनिजों की भरमार है तथा वनों और जल संसाधनों की प्रचुरता है। एक अन्य इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। वह इस्पात कारखाना क्योंझर अथवा मयूरगंज जिले में स्थापित किया जाना चाहिये। हीराकूड़ तथा तालपेट तापीय विद्युत केन्द्र से विद्युत उपलब्ध हो सकती है। भूमि मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, इसके अतिरिक्त परादीप पत्तन बड़ी तेजी से बन रहा है। इस्पात कारखाना स्थापित करने की वहां सभी सुविधायें मिल सकती हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दें। हमारे राज्य की तुलना पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र अथवा मद्रास के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक निर्धन और पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिए इस राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : इस प्रतिवेदन में इस्पात तथा सम्बन्धित मामलों पर लगाई गई कुल पूंजी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

प्रसन्नता की बात है कि जनवरी, 1966 में मंत्रालयों के पुनर्गठन के बाद इस मंत्रालय का मुख्य काम इस्पात का उत्पादन, आयात और निर्यात तथा कोयला धोने के कारखानों आदि से सम्बन्धित होगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों की क्रिया स्थिति का मूल्यांकन मुख्यत: लाभ की दृष्टि से किया गया है। यह कहना कि सरकारी क्षेत्र का कार्य लगाई गई पूंजी की तुलना में संतोषजनक नहीं है वास्तव में इसे सीमित दृष्टिकोण से देखना है। हमें इस पर उचित रूप से मानवीय साधनों की उपलब्धि की दृष्टि से भी विचार करना चाहिये।

उस बात के बावजूद कि क्रियान्विति अपर्याप्त रही है, इस्पात उद्योग को मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में रखने का निर्णय ठीक निर्णय था। उत्पादन के अनुमान तथा वास्तविक उपलब्धि में बहुत बड़ा अन्तर चिन्ताजनक है। उदाहरण के लिए, तीसरी योजना के लिए उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन था परन्तु 1965-66 में उत्पादन केवल 45 लाख टन हुआ है। योजना के अनुसार 1966-67 में 1 करोड़ 22 लाख टन इस्पात का उत्पादन होगा। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या प्रबन्ध तथा पूंजी आदि लगाने के सम्बन्ध में कोई आमूल परिवर्तन करने की उनकी योजना है। ऐसे परिवर्तन के बिना लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव है। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि प्राक्कलन और वास्तविक उपलब्धि के बीच इतना अन्तर लगातार क्यों है। हमारे पास विश्व में सब से बढ़िया कच्चा लोहा है। हमारे पास कोयला काफी मात्रा में है और हमें श्रमिक भी कम वेतन पर मिलते हैं। हमारे पास सभी आवश्यक वस्तुएं हैं। परन्तु उत्पादन में कमी है। 1963-64 के लिए हिन्दुस्तान स्टील के वार्षिक प्रतिवेदन में 4.7 करोड़ रुपये की हानि दिखाई गई है और मार्च, 1964 तक कुल हानि 68.4 करोड़ रुपये है। यदि हम उच्च अवक्षण व्यय के लिए छूट भी दें तो भी इस बढ़ रही हानि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। जब हमारे कारखाने बहुत बड़े हैं तो कार्यकुशलता का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिये। समूचा उत्पादन बहुत अच्छी तरह किया जाना चाहिये। प्रबन्ध, विक्रय तथा श्रम प्रबन्ध आदि के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

हम बोकारो कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं। उस पर लगभग 1100 अथवा 1,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आज पांच कारखाने कार्य कर रहे हैं। इन में से तीन सरकारी क्षेत्र में हैं और दो गैर-सरकारी क्षेत्र में। परन्तु इन पांचों कारखानों में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परियोजना का अध्ययन कर सकते हों तथा डिजाइन बना सकते हों।

हमारे परमाणु शक्ति संयंत्र का काम उच्च तकनीकी का है परन्तु वहां एक भी विदेशी तकनीशियन नहीं है। उस संयंत्र ने बहुत प्रगति की है। इन कारखानों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में पहली बात यह है कि यहां प्रबन्धक बहुत ही योग्य व्यक्ति होना चाहिये। उसे निर्णय करने की शक्ति तथा अधिकार होना चाहिये। उसे अपनी असफलताओं के लिए जिम्मेवार होना चाहिये। हमारे कारखानों का प्रबन्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता है परन्तु वे व्यापार प्रबन्धक नहीं है। वे भारतीय असैनिक सेवा के अफसर हैं। नौकरशाह संतुलन पत्र तक नहीं समझ सकते हैं। जब तक ठीक प्रकार के प्रबन्धक न हों तब तक कार्य नहीं चलाया जा सकता। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में दुर्भाग्यवश नौकरशाही ही अपनाई जा रही है। जब तक इस्पात उद्योग को नौकरशाही के उस दलदल से नहीं निकाला जाता तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। तथा इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखने के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : इस्पात उद्योग किसी देश की औद्योगिक तथा वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। निस्सन्देह इस्पात उद्योग ने प्रगति की है और सरकारी क्षेत्र में हमारे तीन कारखाने हैं परन्तु ग्रामीणों की नालीदार लोहे की चादरों की मांग को बिलकुल भी पूरा नहीं किया गया है और उन लोगों को यह वस्तुएं अब तक नहीं मिल रही है। यदि जस्ते की कमी के कारण नालीदार लोहे की चादरें उपलब्ध नहीं है तो सरकार उन्हें काली चादरें दे सकती है।

इस्पात घटिया किस्म का बनता है और इस कारण पुलों के ढांचे कमजोर हैं। सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की भांति इस्पात कारखानों के प्रशासन में बहुत अधिक कर्मचारी हैं। यह बात भी हानि के लिये कुछ हद तक जिम्मेवार है। इस्पात कारखानों में नियुक्त नौकरशाही अफसर श्रमिकों में अनावश्यक झगड़े पैदा कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, रुरकेला में हिन्द मजदूर संघ का बहुतमत है। परन्तु 'इंटक' को मान्यता प्रदान की गई है जो कि केवल 5 प्रतिशत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार को मजदूरों के बहुमत की प्रतिनिधि रुरकेला मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करनी चाहिये।

[श्री प्रिय गुप्त]

भिलाई में आदिवासियों को सामान्य अदक्ष कार्य भी नहीं दिये गये हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में तथा दुर्गापुर में जिन लोगों की भूमि ली गई है, उनको कारखानों में अदक्ष नौकरियाँ भी नहीं दी गई हैं। जिन लोगों को भूमि से वंचित कर दिया गया है, उन्हें सब से पहले अवसर दिये जाने चाहिये। अन्त में मैं मंत्रालय से यह प्रार्थना करता हूं कि वह एक आदर्श नियोजन के रूप में व्यवहार करे।

Shri Achal Singh (Agra) : Although, our steel industry has made a good progress and we have stopped the import of steel to a great extent, yet the performance of Public Sector undertakings is not according to expectations.

A committee under the Chairmanship of Shri Khadilkar has been appointed to enquire into the loss in those factories. I have visited Bhillai, Rourkella and Durgapur Plants. Their management is not as it should be. The expenditure is too heavy and the plants are mismanaged. As a result of that we are not getting profits according to expectations. The Khadilkar Committee should go into this whole question and find out the defects.

We have shortage of alloy steel which is very necessary for small industries and they are suffering as a consequence of that. The Ministry should make more alloy steel available.

We have to import stainless steel, which is very costly. The Ministry should take steps to produce stainless steel in India so that foreign exchange to be spent on its import is saved.

The Minister incharge of this ministry is charged too often. This is one of the reasons of mismanagement. I support the demands of this Ministry because iron and steel are vital for trade, domestic use, war purposes and ship-building etc. I am happy over the decontrol of iron. Attempts should be made to produce galvanised sheets.

श्री लिंग रेड्डी (चिंघबल्लापुर) : मैं लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं, देश में औद्योगिक क्रांति के लिए लोहा तथा इस्पात आधार है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि लोहे तथा इस्पात के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये। तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चूकी है तथा यह वर्ष चतुर्थ योजना का पहला वर्ष है परन्तु हम अभी तक विदेशों से 6,95,430 टन इस्पात आयात कर रहे हैं और उस पर 72 करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। इससे केवल यही मालूम होता है कि हम देश में लोह आयस्क का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं और हमने ठीक प्रकार से योजना नहीं बनाई है। यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के इस विस्तार कार्यक्रम में यथासम्भव शीघ्रता लाई जाये।

इस्पात और लोहा निर्धन लोग नहीं ले सकते। इस की लागत बढ़ रही है। श्री मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसका प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये और देश के निर्धन लोगों को लोहा और इस्पात ठीक मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिये।

बोकारो इस्पात कारखाने का कार्य आरम्भ करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। यद्यपि ब्रिटिश-अमरीकी सार्थ संघ ने पांचवें इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में प्रतिवेदन जून, 1965 में दे दिया था तथापि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को विशेषज्ञ समिति ने होस्पेट के बारे में यह राय दी थी कि होस्पेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत लोह अयस्क है और अन्य प्रकार की सुविधायें भी उपलब्ध है जब इस समिति का प्रतिवदन उपलब्ध है तो दूसरी समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में सरकार को निर्णय शीघ्र करना चाहिये और होस्पेट में इस्पात कारखाना लगाना चाहिये।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : हम अपनी औद्योगिक नीति के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इस बात से इनकार करने का कोई लाभ नहीं कि हमारे अधिकांश सरकारी उपक्रमों के परिणाम बहुत बुरे निकले हैं और इस कारण हम यह विचार करने पर विवश हो गये हैं कि क्या देश का प्रशासन आधुनिक कारोबार और औद्योगिक साम्राज्य के दायित्व निभाने के लिये पूरी तरह तैयार है अथवा क्या हमें कोई अन्य उपाय करने चाहिये तथा यदि परिवर्तन सरलता से लाने की सम्भावना नहीं है तो कुछ समय के बाद समाजवाद लाने के लिये हमें कुछ दूसरे उपाय करने पड़ेंगे।

जमशेदपुर में टाटा के कारखाने में केवल 100 कार्यकारी प्रबन्धक हैं और वहां 15 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है परन्तु भिलाई में 1600 कार्यकारी प्रबन्धक हैं जबकि वहां उत्पादन 2500 मीटरी टन है। मंत्री महोदय को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिये जिनसे इन बड़े-बड़े सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध पर कुछ नियंत्रण किया जा सके और प्रबन्धकों को उत्तर-दायी ठहराया जा सके।

हमारी बहुत सी आर्थिक बुराइयां इन सरकारी उपक्रमों में लगाई गई बहुत बड़ी पूंजी का सीधा परिणाम हैं। बिना उचित लाभ के हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बहुत अधिक धन नहीं लगा सकते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार साहसपूर्वक कार्यवाही करे और गैर-सरकारी उपक्रमों की नीति को बढ़ावा देना चाहिये। इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिये। बोकारों के बारे में भी लोगों का विचार है कि इस के सम्बन्ध में निर्णय राजनैतिक दबाव के अन्तर्गत किया गया है। पांववां इस्पात कारखाना स्थापित करने के प्रश्न में राजनीति घुसने नहीं देनी चाहिए।

श्री राने (बुलडाना) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस्पात आयोग एक मूल उद्योग है और उस ने बहुत अच्छा काम किया है। वर्ष 1965-66 इस्पात उद्योग के लिये एक गौरव का वर्ष है। यह ठीक है कि इस उद्योग को पिछले सात आठ वर्षों से हानि हो रही है परन्तु चालू वर्ष एक अभूतपूर्व वर्ष है जिसमें हमें लाभ होने वाला है। हमें 1.8 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक का लाभ हुआ है। हिन्दुस्तान स्टील के सम्बन्ध में सरकारी उप-क्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से ऐसा मालूम होता है कि 1968 या 1969 तक उसे 558 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह प्राक्कलन अधिक दिखाई दे सकता है परन्तु हमें विश्वास रखना चाहिये कि आने वाले वर्षों में सरकारी उपक्रमों से लाभ अवश्य होगा। सरकारी क्षेत्र की आलोचना नहीं की जानी चाहियें।

पिछले 20,25 वर्षों से नालीदार लोहे की चादरों की भारी कमी है। कृषकों को नालीदार चादरों की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीणों के लिये यह चादरे नितान्त आवश्यक हैं।

मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं। लोहे की नालीदार चादरों की बहुत कमी है और कृषकों को वह पिछले बीस पच्चीस वर्ष से नहीं मिल रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस के बारे में क्या कोई कृषकों, उद्योगपतियों अथवा सरकार के लिये कोई कोटा निश्चित किया हुआ है। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह यह लोहे की चादरें कृषकों को प्रदान करें चाहे इनका आयात ही क्यों न करना पड़े।

श्री रामभद्रन (कडलूर) : लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का संबंध भारी उद्योग से है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस्पात के कारखानों की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमारे माध्यम तथा लघु उद्योगों की योजना भी बेकार रहेगी। इस लिये हमारी योजनाओं में तो भारी उद्योग पर जोर दिया गया है, परन्तु कार्यान्वित करने का तरीका ठीक प्रतीत नहीं होता।

यह सरकार समाजवाद में विश्वास के प्रति कहती तो बहुत है परन्तु जो कुछ यह कर रही है उस से समाजवाद में विश्वास ही उठ जाता है।

[श्री रामभद्रन]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड वैसे तो बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम है परन्तु इसके लाभ की ओर देखें तो केवल दुःख ही होता है क्योंकि 1964-65 तक इसमें 885 करोड़ रुपया लागत का लगा है और अब तक इसमें केवल घाटा ही है और वह भी 77 करोड़ रुपये का। उसके कारण तो आसानी से बता सकते हैं।

सरकार ने पांचवां इस्पात कारखाना लगाने में बहुत देर कर दी है। मैं तो सोचता था कि सेलम में इस्पात का कारखाना लगना निश्चित ही है। और मद्रास राज्य सरकार ने तो उसके लिये भूमि भी अर्जन कर ली है परन्तु अब ऐसा दिखाई देता है कि यह केवल काग़जी कार्रवाई ही रहे। मैं इस मामले में शीघ्र निर्णय की मांग करता हूं। इस मामले में मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के सदस्य यह न समझें कि हम विजाखापटनम और होसपेट पर इस्पात कारखाने स्थापित होने के विरुद्ध हैं। देश में इस्पात की इतनी आवश्यकता है कि सेलम के अतिरिक्त विजाखापटनम तथा होसपेट पर भी इस्पात कारखाने लगाये जा सकते हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार दस्तूर एंड कं० की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : इस्पात का उत्पादन बढ़ाने पर मैं इस्पात मंत्रालय को बधाई देता हूं।

मैंने बहुत से स्थानों का नाम सुना है कि वहां इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाये परन्तु मुझे आश्चर्य है कि इन बातों में राजनैतिक प्रभाव आ रहे हैं। सदस्यों ने गोवा, होसपेट, नीवेली तथा विशाखापटनम का नाम लिया है। ऐसा लगता है कि बेलाडिला को भूल गये हैं। परन्तु बस्तर कांड के पश्चात इस पर विचार किया जाना चाहिये। बस्तर की घटना भी इसलिये हुई कि उन लोगों की उपेक्षा की गई। वैसे भी संसार का कच्चे लोहे का बेलाडिला में भंडार है और इसका विकास करना है। इसलिये कच्चा माल मिलने के कारण तथा सस्ते दामों पर मिलने के कारण बेलाडिला पर भी विचार करना चाहिये।

श्री म० ला० जाधव (मालेगांव) : अभी मेरे दो मित्रों ने कहा है कि गरीब कृषकों को लोहे की नालीदार चादरें नहीं मिलती हैं जब कि उद्योगपतियों को मिल जाती हैं।

यदि वह सुरक्षा के कार्यों पर लगाया जा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें छोटे काश्तकारों का भी ध्यान रखना चाहिये।

हमें अपने ही टेकनिकल लोग रखने चाहियें। विदेशियों पर आधारित नहीं रहना चाहिये चाहे वह जर्मनों के हों अथवा जापान के। और जहां जहां विदेशी कार्य कर रहे हैं उनके स्थान पर भारतीयों को ही लगाना चाहिये।

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियों के होते हुए मैं यह कह सकता हूं कि हम इस्पात के कारखाने स्थापित करने में गर्व महसूस करते हैं। 1957 से 1965 तक हमने इतने बड़े इस्पात के कारखाने लगा दिये हैं। यह याद रखना चाहिये कि इतने बड़े कारखानों के लिये हमें अनुभव की आवश्यकता है, टेकनिशनों की आवश्यकता है और इन सब की हमारे पास कमी थी। इस देश ने यह कार्य आरंभ करके एक खतरा मोल लिया था। परन्तु आज वहां काफी लाभदायक कार्य हो रहा है।

मैं यह कहने में किसी से पीछे नहीं हूं कि हमें इन सरकारी उपक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ानी है और हम संसार के विकासशील देशों के सामने एक नमूना भी पेश करना चाहते हैं।

हमारे अधिकारी जो कि वहां कार्य कर रहे हैं उन की आलोचना की गई है। वैसे तो संसार में कोई भी व्यक्ति पूरा निपुण नहीं माना जा सकता परन्तु यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें एक विषम समय यह कार्य भार संभालना पड़ा जो कि उनके अनुभव के बिल्कुल विरुद्ध था,

तो यही कहना पड़ेगा कि उन्होंने खूब अच्छा कार्य किया है। यह याद रखना चाहिये कि उसमें से 80 से 90 प्रतिशत तो बिल्कुल नये थे और उन्होंने अपने ऊपर इन पेचीदा कार्यों को करने का कार्यभार संभाला। थोड़े ही वर्षों में हम निर्धारित उत्पादन से भी अधिक पर पहुंच गये हैं।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इनका ढांचा बड़ा है तथा कुछ ने कहा है कि इन पर व्यय अधिक हुआ है। इतना मैं कह दूं कि रूरकेला में इस्पात तैयार करने पर 240 रुपये प्रति टन व्यय आता है, भिलाई में यह 214 रुपये तथा दुर्गापुर में 260 रुपये प्रति टन में तैयार होता है। टिस्को में यह 272 रुपये और इस्को में 231 रुपये प्रति टन इस्पात तैयार होता है। इन सब बातों को देखते हुए भी मैं इतना कह सकता हूं कि इन में उत्पादन खर्च को कम किया जा सकता है। मैंने जब अपना कार्य भार संभाला तो पहला कार्य यह किया था कि प्रबंधकों और निर्देशकों से इस व्यय को कम करने पर बात की थी। हम व्यय कम कर सकते हैं, अपने माल की किस्म को अच्छा कर सकते हैं तथा मात्रा बढ़ा सकते हैं और साथ ही संसार को दिखा सकते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक नमूने के नियोजक हो सकते हैं। वास्तव में यह कठिन बातें हैं परन्तु हमारा प्रयत्न यह होगा कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें।

श्री मसानी के कथन के अनुसार यह फिजूल खर्ची की बड़ी इमारतें हैं। हमारा यह कर्तव्य होगा कि उपभोक्ता को नुकसान न हो।

मैं श्री राने तथा अन्य मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने यह आलोचना की है कि किसानों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है और लोहे की चादरें नहीं मिल रही हैं। मेरा यह प्रयत्न होगा और कर्तव्य होगा कि उन्हें यह चीज मिलनी चाहिये। परन्तु हमारे किसानों को यह देखना चाहिये कि जहां उनका कार्य इनके बिना चल सकता है, वहां वे दूसरी चीजें प्रयोग करें। यह कार्य उनके सहयोग से हो सकता है और उन्हें यह चाहिये कि समाज की भलाई के लिये थोड़ा बहुत कष्ट उठायें। हमें यह भी देखना है कि कुछ रक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं और हमें उन पर विचार करना है।

जैसा कि मेरे सहयोगी श्री सेठी ने कहा कि हमें इन मामलों में रूढ़ीवादी नहीं होना चाहिये। मैं स्वयं लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास रखता हूं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं वह कार्यभार भी अपने हाथ में ले लूं तो मैं पूरी तरह निभा नहीं सकता। इस बारे में कोई भले ही यह कह दे कि मैं समाजवादी नहीं हूं यदि ऐसा करने में मैं यह महसूस करूं कि यह देश के हक में है। योजना आयोग की बेकार आलोचना हो रही है कि चौथी योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया। भला ऐसा सुनना किसे अच्छा लगता है। साथ ही मुझे यह भी पता है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम में इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या विचार है। परन्तु मुझे निर्णय इन सब बातों को ध्यान में रख कर करना है।

श्री दाजी ने एक पुस्तक में लिखी बातों का जिक्र किया। मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। परन्तु वह पुस्तक जर्मन भाषा में है और मैंने उसका अनुवाद करवाया है और मैं देखूंगा कि उसमें क्या लिखा है। उस से पहले मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।

रांची स्थित कारखाने पर हमें गर्व है। मैं जब भी वहां जाता हूं और उसे देखता हूं तो मुझे खुशी होती है क्योंकि यह कारखाना हमारा बहुत अच्छा कारखाना है।

मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा वे इन चीजों के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहें क्योंकि जिससे उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका उत्साह बढ़ेगा। अन्य वस्तुओं में आत्मनिर्भर होने के बारे में मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार पूर्णतः आत्म-निर्भर होने की नीति अपना रही है। हम अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता को यथासंभव तुरन्त बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्नशील हैं। हमने पिछले 10 वर्ष की अवधि में लगभग 150 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई है।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

जहां तक जस्ते के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम देश में जस्ते का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र के एक उद्योगपति ने जस्ते स्थान पर एक अन्य धातु का आविष्कार करने के मामले में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। अन्य कई कार्य किये जा रहे हैं और किये जायेंगे जिनका परिणाम कुछ समय बाद मालूम होगा परन्तु शर्त यह है कि हम इस भावना को जो हमारे देश ने पिछले छः वर्षों के दौरान दिखाई है, उलटने का जानबूझकर प्रयत्न न करें। हमें प्रगतिशील विचारों के वयस्क इंजिनियरों तथा तकनीकीशियनों को हतोत्साह नहीं करना चाहिये, यह हो सकता है कि उनमें से बहुत काफी सफल न रहें फिर भी उनके विचारों तथा सुझावों के परिणाम अच्छे निकलते हैं।

स्टेनलेस स्टील की समस्या को काफी हद तक हल करने के लिये आगामी 1½ अथवा 2 वर्ष की अवधि में दुर्गापुर में 17,000--18,000 टन स्टेनलेस स्टील तैयार किया जायेगा। सरकार अस्पताल और रासायनिक कारखानों की स्टेनलेस स्टील की आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयत्न करेगी।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिकों/कर्मचारियों की छंटनी का सम्बन्ध है, हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष न हो, उसे नौकरी से निकाला न जाये। किन्तु साथ-ही-साथ हमें यह भी देखना है हमारे इस्पात कारखाने लाभप्रद हों और उत्पादन लागत कम हो। इसलिये कभी कभी कटु निर्णय हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आ खड़ी होती है जब सरकार को बाध्य होकर छंटनी करनी पड़ती है। सरकारी क्षेत्र में विभागीय निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथापि हम ऐसे मामलों में भी काफी उदारता से काम लेते हैं। यदि सरकारी क्षेत्र में कारखानों को उचित प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है तो उनमें फालतू कर्मचारी नहीं होने चाहिये। परन्तु हम इन तथ्यों को धीरे-धीरे कार्यरूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इससे होने वाले दुख तथा बोझ को सहन किया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कारखाने लाभप्रद हैं।

जहां तक बोकारो इस्पात परियोजना पर खर्च का सम्बन्ध है, इस पर 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रूस से हमें केवल 100 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। बाकी धनराशि की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।/
The cutmotions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई। *The following Demands in respect of Ministry of Iron and Steel were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
65	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय . .	27,90,000
66	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	6,13,50,000
131	लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	25,66,67,000

भारतीय इतिहास की आलोचना के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION REGARDING CRITICISM OF INDIAN HISTORY

Dr. Ram Manohar Lohia (Forrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the discussion relates to a book called 'History of Mankind' Published by the International Commission of Historians set up by the UNESCO. The publication contains a number of glaring errors, so far as the history of India is concerned. Though the book has been published by the International Commission of Historians, the responsibility for the errors is on the United Nations, the UNESCO and the Government of India.

It has been said in the above book that when one looks at the northern gate of the great stupa at Sanchi one cannot help, feeling that it was inspired by the wooden architechture of china. This statement has not been called into question by any Indian historian but it has been challenged by a Russian historian, Professor Ilygin.

[श्री सोनवने पीठासीन हुये
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Then, there is reference in this book to another book entitled "Five Thousand years of Pakistan" in which a deliberate attempt has been made by the author R. E. M. Wheeler to give an impression that Pakistan was an ancient country and he has associated the civilisation of Mohanjadaro and Harappa with that country.

It has also been said in the history of Mankind that Rig Veda is not ancient, without going into the details of this matter, he could only say that he was not going to believe what has been suggested in the book, that there was no poetry worth mentioning in India about 3100 years ago.

It is these kinds of things that effect the mind of the younger generation in India and they think that the Indian Civilisation has largely been influenced by foreigners. These historians have destroyed the art of history writing in India, because the historians of India started with the thesis that any revival in the country was the result of a direct and physical contact with the foreigner. All kinds of things are said about our capacity to assimilate and absorb whoever came with the intention of conquering our country. This trend must be stopped.

The Government should therefore, consider the matter in all seriousness. It should try to understand that on the back of what we have been seeing about Mizos, Nagas, Kashmir, Adivasis, etc. is this poision of erroneous interpretation of history.

The Government should attach the greatest importance to the study of history and mathematics. So long as our younger generations do not know the correct history of our country and the facts of our past, we cannot be a progressive and prosperous country.

Shri Shivmurthi Swamy (Kappal) : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the U.N.O. asked for any records or other information before they took up the writing of the history, and whether the Ministry had set-up any cell to revise the history written by the British and if so, whether any results of their research were supplied to the U.N.O.?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वतंत्र भारत की तरह ब्रिटिश राज के दौरान स्वदेशी भारतीय शिक्षा तथा ज्ञान को न केवल घटिया समझा जाता था बल्कि आधुनिक मानवीय अध्ययन के लिये उसे असंगत भी समझा जाता था, यदि हां तो क्या इस समचे प्रश्न को जांच करने के लिये तथा उसे ठीक करने के तरीकों का सुझाव देने तथा इस बारे में सिफारिश करने के लिये सरकार का विचार एक सक्षम आयोग नियुक्त करने का है;

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : महोदय, केवल एक प्रश्न पुछने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न पुछने की अनुयति केवल उन सदस्यों को दी जाती है जिन्होंने पहले नोटिस दिये है । इस सम्बन्ध में अर्थात आधे घंटे की चर्चा पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55 (5) में, जो इस पर लागू होता है, स्पष्ट है :—

सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा जिस सदस्यने सूचना दो हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे किसी तथ्य विषय केग अग्रेतर विसदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी :"

इसलिये यह बिलकुल स्पष्ट है। जब तक इस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव नहीं रखा जाता, हम इसकी अवहेलना न ीं कर सकते ।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"प्रश्नों को पुछने के लिये जहां तक पहले सूचना देने का सम्बन्ध है, इस आधे घंटे की चर्चा पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55(5) का लागू होना निलम्बित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रश्नों को पूछने के लिये जहां तक पहले सूचना देने का सम्बन्ध है, इस आधे घंटे की चर्चा पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55(5) का लागू होना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted*

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : श्री मजूमदार ने पूना के ओरियंटल इंस्टीटयूट को लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इतिहास भयंकर रूप से लिखा जा रहा है। इस बात को देखते हुये क्या सरकार उनके सामने भारतीय इतिहास ठीक प्रकार से रखने के लिये कार्यवाही करेगी ?

Shri R. S. Pandey : Is the Government taking any steps to write a new history of India in the context of the freedom which the country attained 18 years ago and put the proper perspective of Indian history before the world?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सभापति महोदय इतिहासकार केवल भतकाल के तथ्यों को ही नहीं लिखता अपितु वह भूतकाल का निर्धारण भी करता है। वह भूतकाल पर अपना निर्णय देता है। हो सकता है वह इतिहास लिखते समय सभी तथ्यों तथा आकड़ों के बारे में पूर्णतः प्रकाश न डाले। अतः इतिहासकार का कर्तव्य महत्वपूर्ण है। इतिहास को भूतकाल की घटनाओं की केवल एक सूचोमात्र समझ लेना गलत है।

समान तथ्यों के आधार पर भी किसी घटना के बारे में एक इतिहासकार का मत अथवा विवरण भिन्न प्रकार का हो सकता है किन्तु एक सही इतिहासकार अपने दृष्टिकोण से तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

इतिहास लिखने की जिम्मेदारी के बारे में माननीय सदस्य के विभाग में जो गलतफहमी है, सबसे पहले मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। वास्तविकता यह है कि इतिहास लिखने की जिम्मेदारी न तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर, न ही यूनेस्को पर और न भारत पर ही है। इसकी जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग पर है। यूनेस्को के महानिदेशक ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में जो कुछ लिखा है, उससे यह स्पष्ट है।

इस आयोग के अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक के पहले खण्ड की प्रस्तावना में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मूलपाठ के लिये लेखक-सम्पादक पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

इस आयोग में तीन भारतीय शामिल थे—डा० भाभा, प्रोफेसर मजूमदार तथा सरदार पन्निकर। जब यह मूलपाठ तैयार किया गया था, उसे पुरातत्व के महानिदेशक प्रोफेसर मजूमदार तथा सहायक महानिदेशक श्री लाल के समक्ष हमने विचारार्थ रखा था। भारत के इन प्रख्यात विद्वानों ने इस पाठ को टीका टिप्पणी प्रस्तुत की। उन लेखकों द्वारा प्राचीन काल के बारे में दिये गये विवेचन से तीव्र रुप से मतभेद व्यक्त किया गया था। लेखकों ने प्रोफेसर मजूमदार तथा अन्य लोगों द्वारा की गई आलोचना को टिप्पणों में छाप दिया है जिससे इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति न केवल लेखकों के मूल पाठ से अवगत हो सके अपितु उस आलोचना से भी अवगत हो सके जो इस पाठ में की गई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार अथवा शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः सभा तथा डा० लोहिया से मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार अथवा शिक्षा मंत्रालय को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही न करने के लिये दोषी ठहराया बिलकुल गलत है कि ऐसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में गलत बयानी न की जाये। इसकी सारी जिम्मेदारी आयोग पर है। भारत सरकार ने वह सब कुछ किया जो वह यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकती थी कि हमारे इतिहास के बारे में किसी गलत बयानी पर हमारी आपत्तियां इस खण्ड में शामिल की जायें।

जहां तक डा० लोहिया द्वारा ऋगवेद काल के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है लेखक ने यह मत व्यक्त किया है कि ऋगवेद 1200 वर्षों से पहले नहीं लिखा गया था। यह उस तथ्य के सर्वथा प्रतिकूल है जो हम जानते हैं कि ऋगवेद बहुत ही प्राचीन पुस्तक है और जो हमारी संस्कृति का सर्वोत्तम प्रतीक है तथा जिससे हमारे साहित्य तथा काव्य को महान योगदान मिला है। इस त्रुटि को ओर उनका ध्यान दिलाया गया है और इस त्रुटि की आलोचना को टिप्पणों में शामिल कर दिया गया है।

जहां तक "पाकिस्तान के पांच हजार वर्ष" नामक पुस्तक का सम्बन्ध है, पाकिस्तान केवल 19 वर्ष पूर्व बना था और इससे पूर्व जो भी संस्कृति थी वह भारतीय संस्कृति थी। अतः पाकिस्तान के बारे में किसी भी इतिहासकार के लिये पाकिस्तान के बारे में पांच हजार वर्ष पहले की बात करना बहुत ही उपहास जनक है।

सरकार ने प्रतिष्ठित लोगों का एक बोर्ड बनाया है जो भारतीय इतिहास को हमारी राष्ट्रीय एकता तथा हमारी संस्कृति की दृष्टि से पुनः लिख रहा है। इस वर्ष के अन्त तक कुछ पुस्तकें तैयार हो जायेंगी। आशा है कि ये पुस्तकें विभिन्न राज्यों को भेजी जायेंगी और उनका विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जायेगा तथा वे विद्यार्थियों को पढ़ाई जायेंगी।

हाल ही में हमने नेहरू पुस्तकालय तथा संग्रहालय स्थापित किया है जहां हम राजाराम मोहन राय के जमाने से लेकर आधुनिक काल तक की सभी पुस्तकें एकत्रित कर रहे हैं। ऐतिहासिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये सरकार हर प्रयत्न कर रही है जिसके आधार पर भारत के बारे में तथा भारत के भूतकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है।

[श्री मु० क० चागला]

एक "प्राचीन विश्व" नामक दूसरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है जिसका एक खण्ड प्रकाशित भी हो चुका है। अन्य खण्डों की प्रतीक्षा है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि उसके प्रकाशित हो जाने पर उसे भारत के प्रसिद्ध तथा प्रख्यात इतिहासकारों के पास दिया जायेगा। उनकी आलोचनाएं मांगी जायेंगी जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के पास भेजा जायेगा, जैसा प्रथम खण्ड में किया गया है, और उन्हें उसमें शामिल किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 27 अप्रैल, 1966/7 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 27, 1966/ *Vaisakha* 7, 1888 (Saka).

भा०स०मु०—वि १—63 लोक सभा/66-25-9-67-565